Tuesday, 09 August, 1960

लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४४, १९६०/१८८२ (शाक)

[१ से १२ अगस्त १९६०/ १० से २१ श्रावण १८८२ (शाक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated On 29.11.83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शाक)

(खण्ड ४४ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पृष्ठ

अंक २—मंगलवार, २ अगस्त, १९६०/११ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ४४ और ४७ से ५० . . . १३१—५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५, ४६ और ५१ से ७२ . . . १५३—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८ से १४९ . . . . १६५—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या १८२२ के उत्तर में शुद्धि . . . १९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १९९—२०१

तारांकित प्रश्न संख्या १३०८ और १८१५ के उत्तरों की शुद्धि २०१

भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद के सम्बन्ध में वक्तव्य २०१—०२

सदस्य का निरोध २०२

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खण्ड ११ से २८ और १ . . . . २०२—१६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २१६

मनीपुर भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २१६—४६

खण्ड २ से १७० और १ . . . . २४०—४६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २४६

त्रिपुरा-भू-राजस्व तथा भूमि-सुधार विधेयक

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २४६—५०

दैनिक संक्षेपिका २५१—५७

अंक ३—बुधवार, ३ अगस्त, १९६०/१२ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ८५ . . . २५९—८३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६ से १२५ . . . २८३—३०३

अतारांकित प्रश्न संख्या १५० से २४२ . . . . ३०३—४४

दिनांक २-४-६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७०० के उत्तर में शुद्धि ३४४

विषय सूची

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४४—५०
कार्य-मन्त्रणा समिति—	
बावनवां प्रतिवेदन	३५०
ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
पैंसठवां प्रतिवेदन	३५०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
वित्त मन्त्री की विदेश यात्रा	३५०—५१
तारांकित प्रश्न संख्या १४८४ के उत्तर की शुद्धि . . .	३५१—५२
त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३५२—५९
खण्ड २ से १९९, अनुसूची तथा खण्ड १	३५९—६०
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३६१—८०
त्रिपुरा नगरपालिका विधि (निरसन) विधेयक—पारित . .	३८१—८२
धार्मिक न्यास विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३८२—८५
लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण के बारे में प्रस्ताव	३८५—४०३
दैनिक संक्षेपिका	४०४—१४

अंक ४—गुरुवार, ४ अगस्त, १९६०/१३ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२६, १५८, १२७ से १३४ और १३६ .	४१५—३७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	४३८—४१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३७ से १५७ और १५९ से १६२ .	४४१—५५
अतारांकित प्रश्न संख्या २४३ से २६४ और २६६ से २९५ .	४५५—७५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	४७५—७७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
इंग्लैण्ड में श्री फीज़ो द्वारा भारत विरोधी प्रचार . .	४७७—८३

विषय सूची

पृष्ठ

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित ४८३–८४

कार्य मन्त्रणा समिति—

बावनवां प्रतिवेदन ४८४

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . ४८४—५१२

बाग़ान श्रमिक (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५१३—१४

दैनिक संक्षेपिका ५१५—२०

अंक ५—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९६०/१४ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३ से १७३ और १७५ से १७८ . ५२१—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७४ और १७९ से १९९ . . ५४६—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३५९ . . . ५५५—८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५८३—८६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में विद्यार्थियों को दाखिले से इन्कार . . . ५८६—५८९

तारांकित प्रश्न संख्या ४८९ के उत्तर की शुद्धि . . . ५८९

सभा का कार्य ५८९–९०

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय लाख उपकर समिति ५९०

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना . ५९०

बाग़ान श्रमिक (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५९१—९४

खंड २ से ८ और १—पारित करने का प्रस्ताव . . . ५९४—९६

रबड़ (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ५९६—६०५

विषय सूची | पृष्ठ

खंड २, ३ और १—

पारित करने का प्रस्ताव ६०५–०६

कपास परिवहन (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—पारित ६०७

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ६०७–०८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पैंसठवां प्रतिवेदन ६०८

औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के पुनरीक्षण के बारे में संकल्प—

अस्वीकृत . . . . . . ६०८—३१

आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प . . . ६३१

कपड़े की कीमत में वृद्धि के बारे में चर्चा . . ६३२—३८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ६३९—४६

अंक ६—सोमवार, ८ अगस्त, १९६०/१७ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०० से २०७ और २०९ से २११ . ६४७—७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८ और २१२ से २३८ . . ६७२—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६० से ३९४ और ३९७ से ४३६ . ६८५—७१६

कथित विशेषाधिकार भंग के बारे में ७१६–१७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७१७–१८

लोक लेखा समिति

तीसवां प्रतिवेदन ७१८

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ७१८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जाली नोटों का चलन ७१८

सदस्य द्वारा त्याग पत्र ७१८

अत्यावश्यक सेवायें निर्वहन अध्यादेश के बारे में .

संविहित संकल्प

तथा

केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में प्रस्ताव . ७१९—६२

विषय सूची	पृष्ठ
कपड़े की कीमत में वद्धि के बारे में चर्चा . . .	७६२—७१
दैनिक संक्षेपिका . . .	७७२—७७
अंक ७—मंगलवार, ६ अगस्त, १६६०/१८ श्रावण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २३६ से २४५, २४८, २५० से २५४, २७१ और २५५	७७६—८०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २४६, २४७, २४६, २५६ से २५६, २६१ से २७०	८०४—१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४६६ . . .	८११—३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
(१) पलाई सेन्ट्रल बैंक का बन्द होना . . .	८३६—३६
(२) छपुई खास कोयलाखान, रानीगंज में विस्फोट . .	८४१—४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८४०
अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे), १६६०-६१ के बारे में विवरण .	८४१
अत्यावश्यक सेवायें निर्वहन अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प	
और	
केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों की हाल की हड़ताल के बारे में प्रस्ताव	८४२—८२
दैनिक संक्षेपिका	८८३—८७
अंक ८—बुधवार, १० अगस्त, १६६०/१६ श्रावण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७४, २७७ और २७६ से २८६ .	८८६—६१२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७५, २७६, २७८ और २८७ से ३१६	६१२—२६

विषय सूची

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या ४९८ से ५६५	९२७—५६
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	९५६—५८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९५८–५९
वर्ष १९५७-५८ के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के बारे में विवरण	९५९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियासठवां प्रतिवेदन . . .	९५९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली दुग्ध योजना .	९५९—६१
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (स्थिति, उन्मुक्तियां) तथा विशेषाधिकार विधेयक—पुरस्थापित . . .	९६१
कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	९६१—७५
अणुशक्ति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में . .	९७५
मतविभाजन के परिणाम की शुद्धि	९८७
दैनिक संक्षेपिका . .	९८८—९४
अंक ९—गुरुवार, ११ अगस्त, १९६०/२० श्रावण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१७ से ३२१, ३२३ से ३२७ और ३२९	९९५—१०१७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१०१७—२१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२२, ३२८ और ३३० से ३४९	१०२१—३०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ६३७ .	१०३०—६६
स्थगन प्रस्ताव—	
दिल्ली में टिटेनस का फैलना . . .	१०६३—६५
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	१०६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०६५—६८
दरभंगा मुज़फ़्फ़रपुर ज़िलों में अकाल की स्थिति के बारे में वक्तव्य	१०६८–६९

विषय सूची

पृष्ठ

कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . १०६६—६४

खंड २ से १३ और १

पारित करने का प्रस्ताव . . १०६४—६८

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . १०६८—११०५

खंड १ और २

पारित करने का प्रस्ताव . . ११०५

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ११०५—१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . ११११३—२०

अंक १०—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९६०/२१ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५० से ३५४ और ३५६ से ३६१ . ११२१—४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५५ और ३६२ से ३९१ . . ११४४—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३८ से ७१६ . . . ११५९—९२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . . ११९३—९५

पलाई सेन्ट्रल बैंक . . . . .

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में ११९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ११९५—९६

राज्य सभा से सन्देश . . . ११९६

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक सभा पटल पर रखे गये—

(१) निष्क्रांत हित (प्रथक्करण) संशोधन विधेयक, १९६० . ११९६

(२) कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और चिह्न लगाना) संशोधन विधेयक, १९६० . . . . . ११९६

(३) औषधि (संशोधन) विधेयक, १९६० . . . ११९६

(४) प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक . . ११९६

लोक लेखा समिति—

उन्तीसवां प्रतिवेदन . . . ११८७

विषय सूची

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

हिन्दुस्तान कोयला खान, तालचेर में दुर्घटना . ११९७–९८

सभा का कार्य ११९८

समितियों के लिये निर्वाचन --

(१) काफी बोर्ड . ११९९–१२००

(२) रबड़ बोर्ड . . . १२००

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १२००--२९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

छियासठवां प्रतिवेदन १२२९

विधेयक--पुरस्थापित --

(१) राष्ट्रीय स्मारक आयोग विधेयक (श्री नरसिंहन् का) . १२३०

(२) अन्य धर्मग्राहियों का विवाह विच्छेद विधेयक (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का) १२३०

(३) खास तेलों पर (साबुन बनाने के लिये) प्रतिबंध विधेयक (श्री झूलनसिंह का) . १२३०–३१

(४) प्रतिरक्षा सेनायें खाद्य पदार्थ विधेयक (श्री झूलनसिंह का) . १२३१

(५) धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का) १२३१

(६) भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक (श्री नरसिंहन् का) . १२३१–३२

वेतन की अधिकतम सीमा (गैर-सरकारी क्षेत्र में) विधेयक (श्री अ० मु० तारिक का)--वापस लिया गया--परिचालित करने का प्रस्ताव . १२३२--४९

सामाजिक प्रथायें (व्यय में कटौती) विधेयक--(श्री झूलनसिंह का)--परिचालित करने का प्रस्ताव . . . १२५०

कार्य मंत्रणा समिति --

तिरेपनवां प्रतिवेदन १२५०

दैनिक संक्षेपिका १२५१--५८

नोट :-- मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

मंगलवार, ९ अगस्त, १९६०

---

१८ श्रावण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लंका की नौ सेना की गश्ती टुकड़ी[1]

+

†*२३९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री आचार :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और उत्तर लंका के बीच स्थित कतचा थिवू द्वीप में हाल ही में लंका की नौसेना की गश्ती टुकड़ी और भारतीय मछुओं में मुठभेड़ हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या लंका स्थित भारतीय उच्च आयुक्त ने कोई विरोध-पत्र दिया है; और

(ग) क्या इस प्रकार की कोई अन्य घटनायें भी हुई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Navy Patrol.

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) कोई वास्तविक मुठभेड़ नहीं हुई, परन्तु भारतीय मछुओं को, जब दो भारतीय मत्स्य-नौकाओं ने २० अप्रैल, १९६० को 'आदम्स ब्रिज' के एक द्वीप पर लंगड़ डाला और श्रीलंका की नौसेना द्वारा, इस शंका पर कि उनके द्वारा अवैध आप्रवर्जन किया जा रहा है, उन्हें तैलमनगर ले जाया गया, कुछ परेशान किया गया। तथापि, उन को जांच पड़ताल करने पर श्रीलंका के असैनिक अधिकारियों द्वारा छोड़ दिया गया यह घटना कतचा थिवू द्वीप में या उसके समीप कहीं नहीं हुई।

(ख) श्रीलंका सरकार को इस आशय का एक नोट भेजा गया है कि वह इस घटना के कारणों की जांच करे।

(ग.) मद्रास से समाचार मिले हैं कि श्रीलंका की पुलिस की गश्ती टुकड़ी और भारतीय मछआ दलों में दो बार मामूली झड़पें हुयीं। कोई गम्भीर घटना नहीं हुई।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या यह द्वीप हमारे क्षेत्राधिकार में है? यह भारत में है या श्रीलंका में?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : द्वीप में कुछ नहीं हुआ। यह घटना समुद्र में हुई।

†**श्री तंगामणि** : यह घटना कतचा थिवू द्वीप और उत्तर लंका के बीच घटी। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या श्रीलंका सरकार उस द्वीप पर अपना दावा करती है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि इस बारे में कुछ विवाद है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या यह सच नहीं है कि कतचा थिवू द्वीप रामनाथपुरम् समस्थानम का है और श्रीलंका सरकार इस पर अपना दावा कर रही है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : रामनाथपुरम् समस्थानम् एक जमींदारी है। यह कोई राज्य नहीं है। यदि यह एक जमींदारी है तो इसका फैसला तो अदालत करेगी।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : रामनाथपुरम् समस्थानम् को मद्रास सरकार द्वारा जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अधीन ले लिया गया है। अतः कतचा थिवू द्वीप मद्रास सरकार के अधीन है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं वह प्रश्न समझता हूं। चाहे जमींदारी समस्थानम् की हो या राज्य की, वह जमींदारी है। वह कुछ और चीज़ नहीं हो सकती।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का इस सबसे यह तात्पर्य है कि यह भारत का भाग है, श्रीलंका का नहीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह मामला विवादास्पद है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या वास्तविक स्थिति के बारे में कोई जांच की गयी है और क्या इन मत्स्य-नौकाओं में श्रीलंका को कोई अवैध रूप से आप्रव्रजन किया जा रहा था?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: वे श्रीलंका तक पहुंचे ही नहीं। श्रीलंका सरकार अवैध रूप से आप्रव्रजन को रोकने के लिये इच्छुक है और जब वे छोटी नौकाओं में व्यक्तियों को देखते हैं, चाहे वे मत्स्य नौकायें हों या अन्य, उन्हें सन्देह हो जाता है। वे उनकी जांच करते हैं। सन्देह ठीक न भी हो परन्तु इस प्रकार ये छोटी घटनायें होती हैं।

†**श्री तंगामणि**: यह कहा गया है कि श्रीलंका सरकार द्वारा दो मत्स्य-नौकायें तलैमनगर ले जायीं गयीं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उस नौका में भारत से श्रीलंका को अवैध रूप से कोई आप्रव्रजन किया जा रहा था?

†**श्री सादत अली खां**: जी, नहीं।

†**श्री तंगामणि**: २० अप्रैल से मई के प्रथम सप्ताह तक की अवधि में हुई घटनाओं के अतिरिक्त क्या जून और जुलाई में भी कुछ घटनायें हुयी हैं?

†**श्री सादत अली खां**: मुझे इसका पता नहीं है।

†**श्री वाजपेयी**: जब श्रीलंका सरकार ने इस द्वीप के बारे में अपना दावा किया तो इस विवाद को भारत के पक्ष में सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू**: मैं वास्तविक तिथि के बारे में नहीं बता सकता। इस बारे में मैंने एक वर्ष पहले कागजात देखे थे। यह उससे भी अधिक हो सकता है।

श्री रघुनाथ सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त इस द्वीप पर काबिज़ कौन है।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं तो नहीं कह सकता कि यह काबिज़ होने की निशानी क्या है। ये छोटे छोटे टापू वहां हैं समुन्दर के बीच में, जिस की निस्बत मैंने कहा है कि कुछ बहस है सीलोन की गवर्नमेंट में और हमारी गवर्नमेंट में, यानी मद्रास की गवर्नमेंट में। क्या वहां इस वक्त होता है, कोई रहता भी है या नहीं, मुझे नहीं पता है।

श्री जयपाल सिंह: यह किन के कब्जे में है?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैंने इस का जवाब दिया है। इस वक्त मैं नहीं कह सकता कि किस का कब्जा है। मुमकिन है कि वहां कोई शख्स भी न हो।

†**श्री वाजपेयी**: यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि प्रधान मंत्री महोदय को इस बात का पता नहीं है कि वहां पर कोई व्यक्ति रहता भी है या वह हमारे कब्जे में भी है। यदि इस बारे में कोई विवाद है तो सरकार अपना मत स्पष्ट करे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: यह सच है। जब इस बारें में एक प्रश्न पूछा गया है तो मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा। यह प्रश्न एक घटना के बारे में है। अतः मुझे खेद है कि मैं पूरा ब्यौरा नहीं दे सकता। इसके बारे में मुझे विवाद का पता है परन्तु इस समय मुझे और अधिक कुछ पता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के स्कूलों के लिए टेलीविजन सेट

+

†*२४०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वें० ईयाचरण :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के माध्यमिक स्कूलों में टेलीविजन सेट लगाने की योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री अ० चं० जोशी)** : (क) और (ख). निर्देशित योजना केवल माध्यमिक स्कूलों में टेलीविजन सेट लगाने के बारे में नहीं है परन्तु यह योजना स्कूलों के लिये टेलीविजन पर पूरे कार्यक्रम दिखाने के बारे में है । योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी । इसको क्रियान्वित करने में लगभग छः महीने या इससे अधिक लगेंगे ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : दिल्ली में टेलीविजन सेटों की कितनी मांग है और छः महीनों में यह कितनी पूरी हो जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : सेटों की आवश्यकता आदि के बारे में योजना की जांच की जा रही है और मोटे तौर पर यह प्रस्ताव है कि ये सेट दिल्ली में सभी माध्यमिक स्कूलों में लगाये जायें ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या इस बात का पता लगा लिया गया है कि स्कूलों में टेलीविजन सेट लगाये जाने से शिक्षा को सहायता मिलेगी या उसकी गति मन्द पड़ जायेगी ? इससे विद्यार्थियों को अपने अध्ययन में दिमाग लगाने में सहायता मिलेगी या इनसे उनका दिमाग खराब हो जायेगा ?

†**डा० केसकर** : माननीय सदस्य इन लगाये जाने वाले सेटों का उद्देश्य नहीं समझे हैं। ये पूर्णरूपेण अध्ययन कक्षा के लिये हैं न कि बच्चों के लिये मनोरंजन कार्यक्रम का प्रसारण। इस समय यह योजना है । सम्भवतः हम इस योजना को बढ़ावा न देते परन्तु इस योजना को बढ़ावा देने के लिये हमें फोर्ड प्रतिष्ठान से बहुत अधिक समर्थन प्राप्त हुआ है । एशिया में यह इस प्रकार का पहला अनुभव होगा ।

†**महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या टेलीविजन सेट भारत में बनाये जायेंगे; और यदि हां, तो कब तक बनाये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० केसकर**: टेलीविज़न सेट की मांग बहुत अधिक होनी चाहिये ताकि हम इन सेटों का निर्माण कर सकें और जो सेट हम यहां लगायेंगे, वे हमें फार्ड प्रतिष्ठान से अनुदान के रूप में मिलेंगे। यदि कभी पूर्णरूपेण टेलीविज़न केन्द्र स्थापित हुआ और उसकी मांग हुई तो सेटों के निर्माण का यह प्रश्न उत्पन्न होगा।

†**श्री वें० ईयाचरण**: इस योजना के जरिये कौन कौन से विषय पढ़ाये जायेंगे।

†**डा० केसकर** इस बारे में दिल्ली राज्य शिक्षा प्राधिकारियों के सहयोग से निर्णय किया जायेगा। यह दिल्ली राज्य शिक्षा बोर्ड की शिक्षा का एक भाग होगा।

†**श्री त्यागी**: मुझे प्रसन्नता है कि यह योजना बनाई गई है। क्या मंत्री महोदय सेटों का प्रबन्ध इस प्रकार कर सकेंगे कि नये स्कूल खुले स्थान पर खोले जा सकें? यदि सेटों की जिम्मेवारी कोई उत्तरदायी व्यक्ति लेता है, तो वह कक्षायें और नये स्कूल चला सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय**: उसमें सब न्यौरा है।

†**श्री त्यागी**: एक खुला विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह उसी योजना के अनुरूप है।

†**अध्यक्ष महोदय**: क्या केवल टेलीविजन सेट लगाने और उस प्रकार का एक विश्व-विद्यालय स्थापित करने और किसी अध्यापक के न रखने का प्रस्ताव है?

†**डा० केसकर**: उद्देश्य यह है कि कुछ विषेयों के लिये सदैव अर्हता प्राप्त और प्रथम-श्रेणी के अध्यापक मिलना सम्भव नहीं है। दूसरे, कुछ विषयों का अध्यापन-कार्य श्रव्य–दृश्य साधनों द्वारा अधिक अच्छे ढंग पर किया जाता है। इन दोनों बातों के लिये दिल्ली के माध्यमिक स्कूलों में नियमित पाठ्यक्रम के विषयों के लिये इन नियमित कक्षाओं को चलाने का प्रस्ताव है—सारे विषय नहीं परन्तु कुछ विषय। सम्भवतः यह कार्यक्रम २–३ घंटे से कम नहीं होगा।

†**श्री च० द० पांडे**: इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ब्रिटेन और अमरीका में टेली-विज़न के प्रभाव युवकों पर बुरे पड़े हैं। सरकार टेलीविज़न लगाने पर जोर क्यों दे रही है जब कि और कई बातें की जा सकती हैं?

†**डा० केसकर**: टेलीविज़न एक माध्यम है और यह प्रश्न हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस का सदुपयोग करें या दुरुपयोग। जैसा कि मैं बता चुका हूं, यह साधारण टेलीविज़न कार्यक्रम न होगा, यह नियमित कक्षाओं के लिये है और इससे बच्चों के बिगड़ने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: क्या मैं जान सकता हूं कि योजना को कार्यान्वित करने के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है?

†**श्री अ० चं० जोशी**: इसमें फोर्ड फाउंडेशन की ओर से २२,५८,६२० रुपया दिया गया है और ४,२६,०२० रुपया आल इंडिया रेडियो की तरफ से नियत किया गया है।

डा० केसकर। मैं बतलाना चाहता हूं कि चार लाख रुपया जो हमारी तरफ से खर्च होगा, वह चार साल में खर्च होगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री भा० कृ० गायकवाड** : क्या ये टेलीविजन सेट सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में लगाये जायेंगे ? दूसरे, क्या सरकार सरकारी कालिजों को भी ये सेट देगी ?

†**श्री अ० चं० जोशी** : ये केवल माध्यमिक स्कूलों के लिये हैं।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या यह योजना भारत के सब प्रमुख नगरों में लागू की जायेगी ?

†**डा० केसकर** : शिक्षा विभाग में यह एक प्रयोग है। यदि इसमें सफलता मिली तो इसे दूसरे नगरों में लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास

†*२४१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलाई लामा ने भारत-स्थित तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये सिक्किम से कलकत्ता लाये गये अपने खजाने में से कुछ धन देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका इस विषय पर दलाई लामा के साथ कोई पत्र-व्यवहार हुआ था ?

†**वैदेशिक कार्यमंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जहां तक हमें ज्ञात हुआ है दलाई लामा ने भारत स्थित तिब्बती शरणार्थियों को लगभग, ५०,००० रुपयों से अधिक राशि बांटी है। उन्होंने तिब्बती बच्चों के लिये एक स्कूल चलाने के लिये भी ५०,००० रुपये देने का प्रस्ताव किया है।

(ख) जी, नहीं ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सरकार इस बात का निर्णय कर सकी है कि दलाई लामा के नाम में जो खजाना है, उसमें कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति थी ; यदि हां, तो उसमें से कितने मूल्य की वस्तुयें बेची जा चुकी हैं और उन्होंने अपने हिसाब से कितनी राशि निकलवा ली है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी, नहीं; हमारे पास इस सम्बन्ध में ठीक ठीक आंकड़े नहीं हैं, परन्तु मेरा अनुमान है कि उन्हें लगभग ८० लाख या १ करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त हुई थी। मेरा ख्याल है कि इसमें से अधिकांश धन का विनियोजन कर दिया गया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : केन्द्रीय सरकार द्वारा तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास पर प्रति मास कितनी राशि खर्च की जाती है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उसक उत्तर कई प्रश्नों के उत्तर में दिया जा चुका है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि इन दिनों तिब्बती शरणार्थियों का भारत में आना बढ़ गया है, क्योंकि चीन ने तिब्बत सीमा को खुला छोड़ दिया है; यदि हां तो क्या यह सच

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं है कि उसका हमारी अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? क्या हमारी सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये सीमा को रोक देने के प्रश्न पर विचार करेगी ताकि और अधिक तिब्बती शरणार्थी इधर न आ सकें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इन दिनों तिब्बत से शरणार्थियों की आने की रफ्तार बढ़ गई है और वे अभी तक छोटे-छोटे दलों में इधर आ रहे है मेरा अनुमान है कि अब उनकी कुल संख्या २०,००० से अधिक है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या इन शरणार्थियों के लिये भारत को सरकारी या गैर-सरकारी तरीके से राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त हुई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां; जहां तक हमारा सम्बन्ध है, इन शरणार्थियों के पुनर्वास की जिम्मेवारी केवल मात्र हमारी अपनी सरकार पर है । हमने इसके लिए कोई सहायता मांगी भी नहीं है । परन्तु फिर भी हमें दो तीन देशों जैसे कि न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया और अमरीका से सहायता प्राप्त हुई है । इस राशि को केवल सामान्य सहायता के लिये ही नहीं अपितु पुनर्वास सम्बन्धी विशेष योजनाओं के लिये भी खर्च किया जा रहा है ।

†**श्री हेम राज** : क्या इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता का अधिकार दिया जायेगा या नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता । इस सम्बन्ध में न उन्होंने मांग की है और न हमने अभी तक विचार किया है ।

†**श्री हेम राज** : इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी कुछ जमीन तिब्बती क्षेत्र में भी और कुछ भारतीय क्षेत्र में । क्या भारतीय क्षेत्र में भूमि होने के कारण इन व्यक्तियों को भारतीय नागरिक मान लिया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह तो अलग अलग व्यक्तियों के मामलों पर विचार करने का प्रश्न है ।

†**श्री हेम राज** : क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार ने शरणार्थियों के दार्जिलिंग में प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, क्योंकि वहां पर विधि और व्यवस्था की समस्या बनी हुई है; यदि हां, तो यह बात कहां तक सच है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या सरकार को पूरी तसल्ली है कि इन शरणार्थियों के रूप में कोई जासूस इस देश में प्रवेश नहीं कर रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस सम्बन्ध में ऊपर से तो कुछ भी जाहिर नहीं होता । इसलिये हमें अपनी योग्यता के अनुसार उनकी जांच करनी पड़ती है ।

---

†मूल अंग्रेजी

चीनी मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन

†*२४२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मजूरी बोर्ड १९६० के अगस्त महीने में अपना प्रतिवेदन देने वाला है ;

(ख) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या वह अन्तरिम सहायता, जिसके लिये बोर्ड ने सिफारिश की थी, सभी कारखानों द्वारा दी जा रही है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ला० न० मिश्र)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) बोर्ड इसकी सिफ़ारिशों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दे सका है ।

(ग) जी, हां (जहां तक सरकार को ज्ञात है ।)

†**श्री स० मो० बनर्जी** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कहा गया है कि "जी, नहीं ।" मैं जानना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ? इस सभा में यह बताया गया था कि यह सितम्बर के महीने में पेश की जायेगी । क्या सरकार उस तिथि तक रिपोर्ट पेश कर देगी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : पहले आशा थी कि रिपोर्ट सितम्बर, १९६० तक आ जायेगी, परन्तु अब हमारा अनुमान है कि वह नवम्बर, १९६० में पेश की जायेगी ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड** : क्या सरकार को ज्ञात है कि महाराष्ट्र की विशेषतया तिलक नगर की महाराष्ट्र चीनी फैक्टरी ने अपने मजदूरों को अभी तक अन्तरिम सहायता नहीं दी है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : अधिकांश चीनी मिलों ने अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध में चीनी बोर्ड की सिफारिश स्वीकार कर ली है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: यदि चीनी मिल मालिकों ने बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, तो उस स्थिति में क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई विधान बनाने का यत्न करेगी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : श्री बनर्जी ने यह पूछा है कि भविष्य में क्या होगा । कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में दी गयी अधिकांश सिफारिशों को भी बिना विधान बनाये ही हमने कार्यान्वित करा लिया है । मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में हमें किसी विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ।

†**श्री तंगामणि** : इस समय ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिससे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को मालिकों पर लागू किया जा सके और इसलिये कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति में इतनी देर लग रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो कि पहले पूछा जा चुका है । श्री बनर्जी के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह बताया है कि कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में सिफारिशों की कार्यान्विति में कोई कठिनाई नहीं है । उसी बात को फिर से पूछना व्यर्थ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गयी थी। क्या चीनी मजूरी बोर्ड से सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर इस सम्बन्ध में भी अधिसूचना जारी कर दी जायेगी ?

†**श्री नन्दा** : अधिसूचनायें सामान्यतया मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार कर लेने और सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय कर लेने के बाद ही जारी की जाती हैं; जहां तक कपड़ा मंजूरी बोर्ड के सम्बन्ध ने अनुभव की गयी कठिनाइयों का सम्बन्ध है, मेरा दृष्टिकोण यह है कि मिल मालिकों को ये शब्द नहीं कहने चाहिए कि उन्हें वे सिफारिशें मानने के लिये बाध्य किया गया है। यह बड़े संतोष की बात है कि इस दिशा में कुछ विलम्ब हो जाने के बावजूद भी वे सिफारिशें अधिकांश स्वीकार कर ली गयी हैं। और मजूरी बोर्ड द्वारा निश्चित की गई तिथि से लागू भी कर दी गई है। संभव है कि कुछ एक कारखानों में ये लागू न की गयी हों, परन्तु वह एक अलग प्रश्न है और उन मामलों पर विचार किया जा सकता है।

†**श्री प्रभात कार** : माननीय मंत्री ने बताया है कि वस्त्र मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई नहीं है। परन्तु क्या यह सच नहीं है कि पश्चिमी बंगाल में ये सिफारिशें अभी तक कार्यान्वित नहीं की गयी हैं ?

†**श्री नन्दा** : मुझे तो यही जानकारी प्राप्त हुई है कि मिल मालिक इससे सहमत हो गये थे। इसी लिये मैंने देश के सभी मजदूरों को सामान्य रूप से यह आश्वासन दिया था कि हम इस बात का यत्न करेंगे कि ये सिफारिशें कार्यान्वित हो जायें। हम बातचीत के द्वारा इन्हें लागू करवायेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो कानून भी बना देंगे।

†**श्री पलनियाण्डी** : क्या यह सच है कि सरकार ने अभी तक सीमेण्ट मजूरी बोर्ड के निर्णयों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है जबकि उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित हुए बहुत समय हो गया है ?

†**श्री नन्दा** : हाल ही में सीमेण्ट उद्योग समिति की एक बैठक हुई थी और मालिकों के सभी प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार कर लिया है कि वे उस मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर देना चाहता हूं कि मजदूरों ने तो अपनी ओर से यह स्वीकार कर लिया है कि वे आगामी पांच वर्षों तक और कोई मांग पेश न करेंगे।

†**श्री बासप्पा** : वस्त्र उद्योग के मजदूरों की मजूरी में देश के विभिन्न भागों में कितना अन्तर है ?

†**श्री नन्दा** : क्योंकि यह बहुत बड़ा उद्योग है, जो कि देश के विभिन्न भागों में चल रहा है, इसलिये मजूरी की दरों में अन्तर है। मजूरी बोर्ड इस पर विचार कर रहा है।

पंजाब के होज़री कारखाने

+

†*२४३. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के होज़री कारखानों में पिछले कुछ महीनों के दौरान काम नहीं हुआ था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात की व्यवस्था कराने के लिये कि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह सच नहीं है कि पंजाब की बहुत सी फैक्टरियां बुनकरों के लिये धागे की कमी होने के कारण लगभग तीन महीनों से बन्द हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं । उत्पादन आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से अप्रैल १९६० तक उत्पादन उतना ही रहा है जितना कि १९५९ की उस अवधि में हुआ था । उपलब्धि और कीमत के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई थी । कुछ एक विवाद उत्पन्न हो गये थे जो कि अब लगभग निपटा दिये गये हैं । परन्तु उससे वास्तविक उत्पादन पर कुछ भी बुरा असर नहीं पड़ा है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह सच नहीं है कि हौजरी फैक्टरियों द्वारा कई बार यह अभ्यावेदन किया गया है कि बुनकर इस करार को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं कि वे आयात किये गये धागे को उचित दामों पर संभरित करेंगे ?

†**श्री कानूनगो** : इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । परन्तु इस सम्बन्ध में एक समिति स्थापित की गयी है जो कि बहुत समय से बातचीत कर रही है । परन्तु वास्तविकता यह है कि हम उतना अधिक कच्चा ऊन नहीं मंगवा सकते जितने की कि हमें जरूरत है । इसीलिये सीमित मात्रा में प्राप्त होने वाले उस ऊन के धागे को राशन से देना पड़ता है । करार में यह निर्धारित किया गया था कि धागे की कुछ मात्रा हौजरी मिल असोसिएशन को दे दी जायेगी जो कि उसका वितरण करेगी । परन्तु उसके बाद यह झगड़ा पैदा हो गया कि जब तक वित्त मंत्रालय के लागत लेखापाल लागत का हिसाब नहीं लगा लेते तब तक वे किसी विशेष कीमत पर धागा स्वीकार कर लें और एक बैंक गारण्टी दें कि यदि लागत लेखापाल के हिसाब से यह ज्ञात हुआ कि अधिक मूल्य अर्थात् १ रुपये ६ आने अदा करने चाहियें तो उस स्थिति में कमी की गारण्टी बैंक द्वारा दी जायेगी । कुछ समय तक तो उन्होंने वैसा नहीं किया था । परन्तु अब वह झगड़ा निपट गया है ।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : क्या सरकार को लुधियाना फैक्टरियों के मजदूरों से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि जो फैक्टरियां बन्द हो गयी थीं, उन्हें फिर से खोल दिया जाये और यह कि उनके कार्य और रहन-सहन की दशा को सुधारने का भी यत्न किया जाये ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या सरकार ने धागे के आयात के लिये बुनकरों को लाइसेन्स देने के स्थान पर सरकारी क्षेत्र में लघु उद्योग निगम को लाइसेन्स देने की योजना पर विचार किया है ?

†**श्री कानूनगो** : जब कच्ची सामग्री ही उपलब्ध नहीं है तो क्षमता निर्धारित करने से क्या लाभ है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि हौजरी कारखाने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकें, इस दिशा में भी सरकार प्रयत्नशील है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं कि कच्ची सामग्री की कमी है। इसलिये वर्तमान क्षमता बढ़ ही नहीं सकती।

†**श्री त्यागी** : क्या देश से हौजरी के निर्यात की कोई सम्भावना है और यदि हां, तो क्या यह सच है कि उस स्थिति में ऊन के आयात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ? आयात इस शर्त पर किया जा सकता है कि तैयार वस्तुओं का निर्यात किया जाये।

†**श्री कानूनगो** : उस बारे में सदा विचार किया जाता है। परन्तु अभी तक बहुत कम मात्रा में निर्यात किया जा सका है।

दलाई लामा से पत्रकारों की भेंट

*२४४. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पत्रकारों को दलाई लामा अथवा अन्य महत्वपूर्ण तिब्बतियों से नहीं मिलने दिया जाता और ये उनसे केवल सरकारी दुभाषियों की मार्फत ही मिल सकते हैं; और

(ख) दलाई लामा और अन्य तिब्बती लोगों से भेंट की व्यवस्था के लिये किस प्रक्रिया का पालन करना होता है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, नहीं।

(ख) कोई भी व्यक्ति, जिनमें पत्रकार भी सम्मिलित हैं, दलाई लामा से भेंट करने के लिये निवेदन कर सकता है। इस बात का निर्णय स्वयं दलाई लामा करते हैं कि क्या उस व्यक्ति की प्रार्थना को स्वीकार किया जाये या न किया जाये। भेंट के समय दलाई लामा एक द्विभाषिये का उपयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें तिब्बती भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का इतना अधिक ज्ञान नहीं है कि वे बिना द्विभाषिये के भेंट करने वाले से बातचीत कर सकें।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या दलाई लामा से भेंट करने के लिये सीधे ही उन्हें लिखना पड़ता है या कि यह निवेदन किसी और के माध्यम से करना पड़ता है ?

†**श्री सादत अली खां** : यह काम दलाई लामा के सचिव के माध्यम से करना पड़ता है।

†**श्री अंसार हरवानी** : क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ एक अमरीकन अखबारों ने दलाई लामा से कुछ एक झूठी भेंटों का विवरण प्रकाशित किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं है। हो सकता है कि वैसा हुआ हो, परन्तु मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सभी व्यक्तियों को ही भेंट करने की अनुमति दे दी जाये तो क्या आपत्ति हो सकती है ?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि दलाई लामा एकान्त को अधिक पसन्द करते हैं; और यदि हां, तो क्या यह आध्यात्मिक कारणों से है या कि राजनैतिक कारणों से ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं है कि क्या वे एकान्त में रहने को अधिक पसन्द करते हैं क्या नहीं और उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** उन्होंने भेंट के अनुमति देने से इन्कार कर दिया है ।

†**श्री पुन्नूस :** भेंट के समय क्या सरकार अपनी ओर से कोई द्विभाषिया भेजती है या कि उनका अपना कोई द्विभाषिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वे दोनों में से किसी भी द्विभाषियों का उपयोग कर सकते हैं । उनके लिये हमने एक अत्यन्त प्रवीण द्विभाषिया नियुक्त किया हुआ है। वह स्वयं एक तिब्बती व्यक्ति हैं जो कि सरकारी सेवा में है । उसके अतिरिक्त दलाई लामा का अपना एक निजी द्विभाषिया भी है । वे उन दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या किसी भी भारतीय या विदेशी पत्रकार को दलाई लामा से मिलने से कभी भी रोका गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सरकार द्वारा ?

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** जी, हां ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं है । प्रारम्भ में लगभग १ वर्ष पहले जब दलाई लामा यहां आये थे, उस समय विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ पाबन्दी थी । परन्तु किसी पत्रकार के रोके जाने के सम्बन्ध में मुझे ज्ञात नहीं है ।

रंगों और रसायनों का निर्माण

***२४५. श्रीमती इला पाल चौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न सख्या १०२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम जर्मन साथों के एक संघ के सहयोग से मूल रसायनों और मध्यवर्ती पदार्थों[1] के निर्माण के लिये एक परियोजना की स्थापना में तब से अब तक और कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** मूल रसायनों और मध्यवर्ती पदार्थों के निर्माण के लिये एक परियोजना की स्थापना के लिये पश्चिमी जर्मनी के साथों के एक संघ के साथ करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर होने की आशा है ।

†**श्रीमती इलापाल चौधरी :** प्रस्थापित योजना के अधीन किस प्रकार का सहयोग प्राप्त किया जायेगा ? क्या उनके द्वारा केवल प्रविधिक व्यक्तियों की सेवाएं ही उपलब्ध की जायेंगी या धन भी लगाया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** पश्चिमी जर्मनी के परामर्शदाताओं के देय समूची राशि में लगभग १० से १५ प्रतिशत धन भी लगाया जायेगा ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या ग्रन्थि-उत्पादों (ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स) तथा अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिये स्थापित किये जाने वाले कारखाने के लिये आवश्यक सभी भूतत्वीय तथा प्राणिकीय सर्वेक्षण पूरे हो गये हैं और लोगों को ये सभी सामग्री प्राप्त हो जायेंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** माननीया सदस्या के मन में कुछ मिथ्या भ्रांति है । यह कोई ऐसा कारखाना नहीं है जिसके लिये किसी भूतत्वीय या प्राणिकीय सर्वेक्षण की कोई आवश्यकता हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Basic chemicals and intermediates.

यह तो केवल मात्र आर्गेनिक केमिकल इटरमीडियेट्स निर्माण के लिये है। ग्लैंडुलर प्राडक्ट्स के निर्माण के लिये एक रूसी परियोजना है । जहां तक इस कारखाने का सम्बन्ध है, सभी प्रविधिक तथा वित्तीय औपचारिकतायें पूरी हो गयी हैं । केवल लिखापढ़ी होनी रह गयी थी और भारत सरकार ने ईस वर्ष वह काम भी पूरा कर दिया है और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके उसे जर्मनी भेज दिया है । जल्दी ही करार पर हस्ताक्षर कर दिये जायेंगे । कारखाने के स्थान के सम्बन्ध में भी निर्णय कर दिया गया है । वह स्थान महाराष्ट्र राज्य के कुलाबा जिले में पानवेल के निकट है ।

†**श्री दामानी :** क्या किन्हीं पार्टियों ने सरकार से यह निवेदन किया था कि वे इस प्रकार की फैक्टरियां चलाने के लिये तैयार हैं । यदि हां, तो उनके क्या क्या नाम हैं और उनके विदेशी सहयोगी कौन कौन से हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जहां तक इस परियोजना का सम्बन्ध है, यह भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही एक सरकारी क्षेत्र की परियोजना है । गैर सरकारी क्षेत्र में आर्गेनिक इन्टर-मीडियेट्स (मध्यवर्ती पदार्थ) के निर्माण के सम्बन्ध में कई सुझाव आये थे और हर बार जब भी किसी रंग सामग्री, या प्लास्टिक या औषध निर्माण करने वाली फ़र्म ने अपने आप को मध्यवर्ती पदार्थों के निर्माण के लिये प्रस्तुत किया है, हम ने निसंकोच उन्हें लाइसेन्स दिये हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस फैक्टरी को भिलाई के निकट स्थापित करने पर बड़ा ज़ोर दिया था और यदि हां, तो उस स्थान को क्यों नहीं चुना गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** पहले तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने कभी भी भिलाई के निकट इस फैक्टरी को स्थापित करने के सम्बन्ध में सुझाव नहीं दिया था । हमारी यह नीति है कि देश के प्रत्येक भाग में उद्योगों को स्थापित किया जाये । इस फैक्टरी के लिये महाराष्ट्र का यह स्थान सर्वोत्तम है । इसीलिये हम ने इसके लिये यही स्थान चुना है ।

†**श्री तंगामणि :** इस परियोजना में सहयोग देने वाली पश्चिमी जर्मनी फर्म का क्या नाम है, और दस प्रतिशत साम्य पूंजी राशि वास्तव में कितनी बनती है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मेसर्स बार्यस (Bayers), होश्त (Hoechst) और यूहदे (UHDE) ये चार फर्म सहयोग दे रही हैं । प्रतिशतता १० से १२ तक बनेगी और राशि लगभग १½ करोड़ रुपये बनेगी ।

पूर्वी अफ्रीका को नकली रेशम का निर्यात

†*२४८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान पूर्वी अफ्रीका की नकली रेशम और रेयन की कुल आवश्यकताओं का ७५ प्रतिशत अंश पूरा करता है और भारत केवल ५ प्रतिशत, अर्थात् ५००,००० गज भेजता है जबकि पूर्वी अफ्रीका में उपर्युक्त प्रकार का वस्त्र कुल मिला कर १ करोड़ गज आता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या श्री गणेश नारायण पोद्दार ने, जो पूर्वी अफ्रीका होकर आये भारतीय सिल्क तथा रेयन वस्त्र शिष्टमण्डल के नेता थे, सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) पूर्वी अफ्रीका को नकली रेशम और रेयन का अधिकांश संभरण जापान द्वारा किया जाता है। भारत इन वस्तुओं का बहुत कम संभरण करता है।

(ख) रिपोर्ट रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् को भेज दी गयी है जोकि उसके विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ सिंह : ईस्ट अफ्रीका में दूसरे देशों से करीब एक करोड़ गज वस्त्र का इम्पोर्ट होता है और उसमें हिन्दुस्तान का शेयर केवल ५ लाख गज है। मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का एक्सपोर्ट अधिक करने के वास्ते हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री सतीश चन्द्र : पहली बात तो यह है कि ईस्ट अफ्रीका में बाहर के देशों से ६ करोड़ गज कपड़ा जाता है, एक करोड़ नहीं। हिन्दुस्तान ने अभी हाल में वहां कपड़ा भेजना शुरू किया है। अभी हम केवल पांच लाख गज भेज सके हैं। कोशिश की जा रही है कि और भेजें। जैसा कि माननीय सदस्य ने खुद जिक्र किया है एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल का एक डेलीगेशन वहां गया था मारकेट का अध्ययन करने। दिक्कत यह है कि वहां स्पन फाइवर की मांग है और हमारे पास फिलामेंट फाइवर है। जिस फाइवर की वहां ज्यादा मांग है वह हमारे पास कम है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि जापान और हिन्दुस्तान से जो सिल्क का कपड़ा ईस्ट अफ्रीका को भेजा जाता है, उसके दाम में क्या फर्क है?

श्री सतीश चन्द्र : यह सवाल तो सिल्क के बारे में नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : मेरा मतलब रेयन सिल्क से है।

श्री सतीश चन्द्र : जहां तक रेयन का सवाल है जापान में उसका काम बड़े पैमाने पर होता है, और वहां यह काम बहुत दिनों से हो रहा है और उनके यहां इसके बड़े बड़े कारखाने हैं, इसलिए उनकी कीमत कुछ कम है, लेकिन जहां तक फिलामेंट रेयन फाइवर का ताल्लुक है उसमें हम कम्पीट कर सकते हैं। और इसमें हमारा निर्यात बढ़ता जायेगा।

श्री रघुनाथ सिंह : हम यह जानना चाहते हैं कि जापान और हिन्दस्तान के कपड़े के मूल्यों में क्या फर्क है।

श्री सतीश चन्द्र : डेलीगेशन ने कोई ५०० सुफहे की रिपोर्ट दी है। मैं मूल्य के फर्क के बारे में तो नहीं कह सकता। लेकिन जाहिर है कि जब हमारा कपड़ा वहां जाने लगा है तो उसका मूल्य कम्पिटीटिव होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में]

पाकिस्तान में भारतीय सीमेंट के कारखाने

†

†*२५०. श्री सैं० अ० मेहबी :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री २२ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने किसी भारतीय के पाकिस्तान स्थित सीमेंट के कारखाने को खरीद लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने का नाम क्या है और पाकिस्तान सरकार ने उसकी कितनी कीमत अदा की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री हेम बरुआ** : एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि पाकिस्तान आसाम-बंगाल कम्पनी, कलकत्ता और एसोसियेटिड सीमेंट कम्पनीज आफ़ इंडिया की कुछ फैक्टरियां खरीदना चाहता है । उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**श्री सादत अली खां** : उन फैक्टरियों को अभी तक नहीं खरीदा गया है । वे इस सम्बन्ध में अभी तक विचार कर रहे हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ बातचीत भी की गयी थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऊपर से कोई करार या शर्तें भारत सरकार के पास भेजी गयी थीं ?

†**श्री सादत अली खां** : मामला अभी तक विचाराधीन है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच है कि पाकिस्तान स्थित सीमेन्ट फैक्टरियों के मालिकों को इस सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है कि वे अपनी लाभ राशि में से उपयुक्त राशि भारत नहीं भेज सकते । यदि हां, तो क्या सरकार से उस सम्बन्ध में निवेदन किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : उन्हें धन राशि भेजने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिये तो उन फैक्टरियों को बेच देने के बारे में बातचीत हो रही है ।

त्रिशूल के लिए युगोस्लाविया का अभियान

***२५१. श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस ग्रीष्म काल में एक युगोस्लावी पर्वतारोही दल को गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) के त्रिशूल पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दल के कौन कौन सदस्य थे ;

(ग) उनके साथ नियुक्त किये गये भारतीय सम्पर्क अधिकारी का नाम क्या है ;

(घ) इस पर्वतारोही दल को क्या सहायता दी गई; और

(ङ) इस दल को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कहां तक सफलता मिली ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) १. श्री ए० मखेता
२. श्री ए० कुनावे
३. श्री एम० कोसिक
४. श्री सी० दोबीजक
५. श्री जेड० जोरिन
६. डा० ए० रोबिक

(ग) प्रतिरक्षा मंत्रालय के कप्तान वी० बधावार ।

(घ) (१) इस्तेमाल में न लाए जाने योग्य सामान और उपकरण पर चुंगी-कर से छूट इस शर्त पर कि ये सामान और उपकरण पर्वतारोहण (एक्सपैडिशन) समाप्त होने पर फिर से निर्यात किए जाएंगे ।

(२) आकाशवाणी द्वारा शार्टवेव पर पर्वतारोहण के लिए रोजाना मौसम की सूचनाएं ।

(३) पर्वतारोहण की अवधि के लिए निजी हथियार और गोली वगैरह का आयात करने की इजाजत ।

(ङ) खबर है कि पर्वतारोही दल चोटी पर पहुंच गया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्योंकि युगोस्लाविया की ओर से हिमालय में आने वाला यह सब से पहला दल है, तो क्या इस दल की ओर से सरकार को कोई रिपोर्ट मिली है, और अगर मिली है तो उसका आशय क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : रिपोर्ट कैसी । शायद पहुंच गए हैं । लेकिन अभी तो उनको मौका भी नहीं होगा रिपोर्ट भेजने का ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट भेजी है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : रिपोर्ट क्या, खबर भेज सकते हैं, और जैसा कि अभी कहा गया, यह सुना गया है कि वह चोटी पर पहुंच गए हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन विदेशी पर्वतारोही दलों के साथ जो हमारे सम्पर्क अधिकारी यानी लेयाजां आफिसर नियुक्त किए जाते हैं इनका क्या कर्त्तव्य होता है । मुझे सूचना मिली है कि हमारे भारतीय सम्पर्क अधिकारी को विदेशी पर्वतारोही बेस कैम्प तक ही ले जाते हैं आगे नहीं ले जाते जब कि वह पहाड़ पर चढ़ने में समर्थ हैं । क्या गवर्नमेंट को इस बारे में कोई शिकायत मिली है, और क्या सरकार उस पर विचार कर रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं, हमको कोई शिकायत नहीं मिली है, हम नहीं जानते । आम तौर से कोई ऐसी टीम जिसमें सात, आठ, दस आदमी होते हैं, उनमें से एक दो आदमी ही चोटी तक पहुंचते हैं, बाकी रास्ते में रुकते जाते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में कोई ऐसी शिकायत आयी है कि हमारे सम्पर्क अधिकारी जब कि वे चोटी पर जाने के योग्य भी थे तब भी उनको यह तुहमत लगाकर शामिल नहीं किया गया कि वह भारतीय हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आयी है । बल्कि ऐसे मामले में तो जो टीम का लीडर होता है आखिरी फैसला उसी का होता है, जैसे कि जहाज के कप्तान का होता है या हवाई जहाज के पाइलट का होता है । बड़े से बड़े अफसर को पाइलट का हुक्म मानना पड़ता है ।

अन्तरिक्ष के शांति पूर्ण उपयोग सम्बन्धी समिति[१]

†*२५२. **श्री कालिका सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और संयुक्त अरब गणराज्य ने अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोग सम्बन्धी तदर्थ समिति, जो कि १३ दिसम्बर, १९५८ को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा २० देशों की ओर से प्रस्तुत किये गये संकल्प की स्वीकृति के फलस्वरूप नियुक्त की गयी थी, की मई और जून, १९५९ में न्यूयार्क में होने वाली बैठकों में भाग न लेने का निर्णय क्यों किया था ;

(ख) क्या १२ दिसम्बर, १९५९ को स्थापित अन्तरिक्ष समिति ने, जिसका भारत भी सदस्य हैं, कार्यारंभ कर दिया है, यदि हां, तो अब तक क्या क्या कार्य कर लिया गया है ;

(ग) 'अन्तरिक्ष' (आउटर स्पेस) की परिभाषा क्या है ; और

(घ) क्या इस समस्या के प्रति शान्तिपूर्ण रुख अपनाये जाने के प्रयोजन से पूर्वी और पश्चिमी देशों में समन्वय लाने के लिये सरकार ने अपनी नीति निर्धारित कर ली है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के संकल्प १३४८ (१३) के अनुसार स्थापित अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोग संबंधी तदर्थ समिति की बैठकों में, जो मई और जून, १९५९ में हुई थीं, भाग नहीं लिया । भारत का यह मत था कि समिति का काम तभी सफल हो सकता है जब अमरीका और रूस दोनों ही, जो इस क्षेत्र

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] Committee on Peaceful uses of outer space.

में सब से अधिक उन्नति कर चुके हैं, इस में भाग लें तथा अपना सहयोग दें। उस समय समिति का जिस आधार पर गठन किया गया था, उसके अनुसार ऐसा हो नहीं सका। संयुक्त अरब गणराज्य ने बैठकों में क्यों नहीं भाग लिया, इसके कारण बताना भारत सरकार का काम नहीं है।

(ख) १२ दिसम्बर, १९५९ को स्थापित की गई अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोग संबंधी समिति की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है।

(ग) अन्तरिक्ष की अभी तक कोई स्वीकृत परिभाषा नहीं बनी है।

(घ) जैसा ऊपर बताया गया है, समिति की बैठक अब तक नहीं हुई है; अतः भारत सरकार के विशिष्ट विचार नहीं मांगे गये हैं। तथापि, सरकार इस बात की बराबर कोशिश करती रहेगी कि अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोग के बारे में अधिक से अधिक सहयोग हो।

†**श्री कालिका सिंह :** क्या भारत इस से सहमत है कि अन्य देश भारत के अन्तरिक्ष का उपयोग करें, विशेषतः जब कि पड़ौसी देश, जो सैनिक गुटों के सदस्य हैं, अपने जहाज़ों के लिये उसके अड्डे का उपयोग करते हैं?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जैसा कि उत्तर में बताया गया है, अन्तरिक्ष की कोई परिभाषा नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अन्तरिक्ष की कोई भी परिभाषा हो, क्या आप उन्हें इसके लिये अनुमति देंगे?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** बिना अनुमति के हम किसी को ऐसा नहीं करने देते। सर्वदा अनुमति ली जाती है। माननीय सदस्य ने अड्डों का उल्लेख किया है। हम इसका बहुत महत्व समझते हैं और कुछ बहुत ही विशेष परिस्थितियों को छोड़कर हम भारत के ऊपर से किसी सशस्त्र विमान को नहीं गुजरने देते हैं।

†**श्री कालिका सिंह :** जिस अन्तरिक्ष समिति की बैठक दिसम्बर, १९५९ में हुई थी, क्या उसका एक विषय यह भी होगा कि अन्तरिक्ष में सैनिक शस्त्रों के ले जाने पर रोक लगाई जाये?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य भ्रम में पड़ रहे हैं। अन्तरिक्ष बहुत ही ऊपर का भाग है। पृथ्वी से लगभग १०० मील की ऊंचाई पर शस्त्रादि नहीं ले जाये जाते हैं। यह एक दम भिन्न समस्या है। सैनिक शस्त्रों के ले जाने की समस्या जब पैदा होती है जब कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते समय पृथ्वी से जहाज अधिक दूरी पर न हो। अन्तरिक्ष में पहुंचने पर पूर्णतः विभिन्न प्रकार की समस्यायें पैदा हो जाती है।

†**श्री कालिका सिंह :** क्या अन्तरिक्ष की कोई स्थूल परिभाषा निश्चित की गई है? कितनी ऊंचाई के बाद अन्तरिक्ष प्रारम्भ होता है? कुछ देशों में ऐसी चर्चा चल रही होगी कि यह १५ मील अथवा १० मील के बाद प्रारम्भ होता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** कितनी ऊंचाई के बाद अन्तरिक्ष प्रारम्भ होता है, क्या इस संबंध में कोई स्वीकृत धारणा है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** नहीं, श्रीमान्।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हेम बरूआ** : यह देखते हुये कि अन्तरिक्ष की परिभाषा नहीं की गई है, क्या अन्तरिक्ष वह स्थान है जहां सर आइजन न्यूटन का गुरुत्व आकर्षण शक्ति सिद्धान्त तथा आइन्सटीन का सापेक्ष सिद्धान्त लागू नहीं होता ?

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या भारत सरकार को अन्तरिक्ष की खोज करने के संबंध में मित्र देशों से कोई उपयोगी आंकड़े अथवा जानकारी प्राप्त हो रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : भारत सरकार अन्तरिक्ष के बारे में कोई अनुसंधान नहीं कर रही है।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या आपको अमरीका तथा रूस जैसे मित्र देशों से अन्तरिक्ष के बारे में उनके द्वारा किये अनुसन्धान के बारे में कोई उपयोगी आंकड़े प्राप्त हुये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जो आंकड़े जनता को उपलब्ध हैं वे वैज्ञानिक पत्रों में प्रकाशित किये जाते हैं। यदि उनका प्रकाशन नहीं होता है तब उनकी सूचना अन्य किसी देश को नहीं दी जाती। यदि यह रहस्य की बात है, तब वह नहीं दी जाती है और जब वह प्रकाशित कर दी जाती है तब वह रहस्य की बात नहीं रहती।

भारत सरकार का प्रचार

†*२५३. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दार्जिलिंग में पूर्वी खण्ड के क्षेत्रीय प्रचार सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने भारत सरकार के दुहरे प्रचार कार्य का उल्लेख किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस वक्तव्य पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). मैंने दार्जिलिंग में ३० मई को हुये एक क्षेत्रीय प्रचार सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। उस सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में अधिक तालमेल स्थापित करने तथा दुहरे काम को रोकने का सुझाव दिया था।

बाद को जो चर्चा हुई, उसमें मैंने बताया कि हम इस सुझाव से पूर्णत: सहमत हैं और जिन उद्देश्यों से यह सम्मेलन बुलाया गया है उसका एक मुख्य काम दुहरे काम को रोकना है। यह भी बताया गया कि राज्यों में योजना के प्रचार के लिये केन्द्रीय सरकार जो कुछ भी करे वह सामान्यत: राज्य सरकारों से सलाह लेकर करना चाहिए।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वज़ीर साहब को इस बात का इल्म है कि प्लान पबलिसिटी के बारे में जो काम हो रहा है उस में सिवाय डुप्लीकेशन के और कुछ नहीं है और हम एक भारी रकम इस तरह ज़ाया कर रहे हैं ?, अगर यह दुरुस्त है तो हुकूमत इस डुप्लीकेशन को रोकने के लिये क्या इक़दाम कर रही है ?

डा० केसकर : जो सवाल आप ने पेश किया है मैं उस से इत्तिफाक राय नहीं हूं। प्लान पबलिसिटी तरह तरह के ज़रियों से हो सकती है और हो रही है। हो भी सकता है कि कहां कहीं उस में डुप्लीकेशन भी हो रहा हो लेकिन जो प्लान पबलिसिटी सेंटर से होती है या स्टेट से होती है उस में फर्क होता है। स्टेट्स अपने अपने प्लान्स के बारे में पबलिसिटी करती हैं जबकि सेंटर एक आल इंडिया पिक्चर देने की कोशिश करता है और इन दोनों के बीच में कोई लाइन खींचना कभी कभी

---

†मूल अंग्रेजी में

मुश्किल हो जाता है और इसलिये हो सकता है कि कहीं-कहीं डुप्लीकेशन हो। उसी डुप्लीकेशन को दूर करने के लिये स्टेट्स गवर्नमेंट्स और सैंटर के बीच में कभी-कभी हम कान्फ्रेंसेज़ कराते हैं ताकि ऐसा डुप्लीकेशन कम हो जाय।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वज़ीर साहब को इस बात का इल्म है कि जो पबलिसिटी हम फिल्मों के जरिये करते हैं उस में डुप्लीकेशन है क्योंकि जहां फिल्में फिल्म्स डिवीजन तैयार करता है उसी फिल्म को सेंट्रल यूनिट भी दिखाती है और रियासती यूनिट भी दिखाती है और इस तरह हमारा काफी पैसा खर्च होता है तो क्या फिल्म्स की पबलिसिटी के लिये एक यूनिट कायम नहीं कर सकते हैं ?

डा० केसकर : यह पूरे तौर पर सही नहीं है। ऐसी कई स्टेट्स हैं जो अपनी फिल्म्स बनाती हैं। इस के अलावा फिल्म दिखलाने का काम सेंटर या स्टेट्स की जो यूनिट करती हैं वह कोई बेतरतीबी से नहीं करती हैं। उन के प्रोग्राम्स एक दूसरे से मिल कर ऐसे तय किये जाते हैं कि जहां स्टेट की यूनिट दिखलाती है वहां सेंटर की यूनिट नहीं दिखलाती है। स्टेट फिल्म दिखलाते हुए भी अपने प्लान पर जोर देती है और सेंटर की कोई यूनिट जो कि बहुत कम हैं वह वह एक आल इंडिया पिक्चर दिखलाने की कोशिश ज्यादा करती हैं।

डा० सुशीला नायर : मैं जानना चाहती हूं कि कुछ जो ऐसे विभाग हैं जिन का कि काम एक तरह से बिलकुल मिला हुआ है जैसे मिसाल की तौर पर हम जब सेविंग्स के लिये पैसा मांगने जाते हैं या श्रमदान की अपील करते हैं तो उस की पबलिसिटी और प्लान की पबलिसिटी अगर एक साथ जोड़ कर इंटेगरेट कर के की जाय तो क्या इस से ज्यादा अच्छा नतीजा नहीं आ सकता है ? इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का इरादा है ?

डा० केसकर : हाल में मेरे पास इस सम्बन्ध में माननीय सदस्या की तरफ से जो सुझाव आया है मैं उस का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि इन दोनों की पबलिसिटी साथ ही हो तो बहुत अच्छा है।

†**श्री वेंकटा सुब्बया** : काम की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या सरकार राज्य सरकार के सूचना विभाग जैसी विभिन्न कार्य प्रणालियों के जरिये योजना प्रचार की योजनाओं को लागू करना चाहती है ?

†**डा० केसकर** : हम राज्य सरकारों को प्रचार सामग्री दे कर प्रचार करने के लिये अधिक से अधिक सहायता देते हैं। किन्तु अनुभव यह रहा है कि जहां तक योजना को अखिल भारतीय रूप देने का सम्बन्ध है, राज्य उसे पूरी तरह तथा ठीक तरह नहीं कर सका और उस हद तक हम राज्य की सहायता करते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम जो प्रचार कार्यक्रम चलाते हैं उसे राज्य सरकार के प्रचार निदेशक से पहले चर्चा कर के तय कर लेते हैं और उस कार्यक्रम को हम इस तरह से चलाते हैं कि केन्द्र तथा राज्य के दोनों एक एक ही स्थान पर कार्य न करें अपितु विभिन्न समयों पर अलग-अलग काम करें।

श्री ब्रजराज सिंह : अभी मिनिस्टर महोदय ने बतलाया कि राज्य सरकारों से सलाह मशविरा कर के यह तय किया जाता है। जब ऐसी व्यवस्था है तब फिर योजना प्रचार के सम्बन्ध में यह केन्द्र और राज्यों के बीच डुप्लीकेशन क्यों होता है ? क्या पहले से ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है कि कार्यक्षेत्र बांटे जायें राज्य सरकारों के और केन्द्र सरकार के और कहीं पर भी इस डुप्लीकेशन के कारण पैसे का दुरुपयोग न हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० केसकर : अभी मैं ने माननीय सदस्य को बतलाया कि दोनों की पबलिसिटी का उद्देश्य एक नहीं है । राज्य सरकार की पबलिसिटी का उद्देश्य सीमित है, संकुचित होता है स्टेट तक और हमारी पबलिसिटी अखिल भारतीय दृष्टिकोण से होती है । हो सकता है कि कहीं कहीं दोनों एक में मिल जायें लेकिन वह तो फिर अनिवार्य हो जाता है । हम कोशिश तो करते हैं कि ऐसा न हो और हम सोचते हैं कि सभी स्टेट सरकार से करायें लेकिन यह अखिल भारतीय दृष्टिकोण हो नहीं सकेगा अगर हम कुछ न कुछ स्टेट सरकार की इस दृष्टि से मदद न करें ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** क्या राज्य सरकारों को गाड़ियों द्वारा प्रचार करने की अपनी योजनाओं के बारे में पहले से बता दिया जाता है ?

†**डा० केसकर :** राज्य सरकारों से चर्चा करने के बाद गाड़ियों की योजना इतनी सूक्ष्म दृष्टि से बनाई जाती है कि बातचीत के बाद यह भी तय हो जाता है कि कौन सी गाड़ी कहां मिलेगी । राज्य सरकारें उन स्थानों के बारे में भी सुझाव दे देती हैं जोकि उस के विचार में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं । हम उन राज्यों में एकक नहीं रखते जहां उन को आवश्यक नहीं समझा जाता । जो राज्य उन्हें आवश्यक समझते हैं, हम वहीं उन्हें रखते हैं । वस्तुतः कई राज्यों ने इस पर आग्रह किया है कि हम प्रचार कार्य के लिये उन्हें एकक दें क्योंकि उस काम को करने के लिये वे अपने एकक उपयुक्त नहीं समझते ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर गया है कि कभी-कभी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विरोधी प्रचार होता है ?

†**डा० केसकर :** जहां तक मुझे मालूम है, ऐसा नहीं है । यदि ऐसी बात मेरी सूचना में लाई जाये, तो मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि ऐसा न हो ।

†**श्री त्यागी :** जब कि औद्योगिक एककों को मिला कर कई ऐसे सरकारी विभाग हैं जहां से एक या एक से अधिक पत्रिकायें निकलती हैं, क्या ऐसा कोई नियम है जिस से वे अपनी स्वतंत्र पत्रिका निकालने से पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मंजूरी ले लेते हों ?

†**डा० केसकर :** यह एक पृथक प्रश्न है । किन्तु मैं यह बताता हूं कि ऐसा कोई नियम नहीं है ।

श्रम-नीति निर्धारण

†*२५४. **श्री हेम बरुआ :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये श्रम-नीति निर्धारित करने में श्रमिकों का सहयोग भी लेना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछली बार की तरह कोई श्रम-तालिका बनाई है ; और

(ग) इस तालिका में विभिन्न श्रम हितों को शामिल करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). स्थायी श्रमिक समिति ने, जिस में विभिन्न उद्योगों के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व है, श्रम सम्बन्धी विषयों के कुछ विशेषज्ञों की सहायता से तृतीय योजना के दौरान श्रम-नीतियों तथा कार्यक्रमों पर चर्चा के लिये एक तालिका बनाई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या इस तालिका में, जिसे तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में एक श्रम-नीति निर्धारित करने का काम सौंपा गया है, अत्यावश्यक सेवाओं तथा गैर सरकारी और औद्योगिक क्षेत्र के कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहती है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : श्रमिकों के चारों केन्द्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इस में हैं । इस के अतिरिक्त श्रम विशेषज्ञ तथा कुछ अन्य व्यक्ति भी हैं । मेरे विचार में स्थायी श्रमिक समिति में, जो श्रम-तालिका के रूप में बदली जा चुकी है, सभी उद्योगों के श्रमिकों के प्रतिनिधि हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह देखते हुए कि सरकारी कर्मचारियों का और विभिन्न निगमों में काम करने वाले कर्मचारियों का योजनाओं की कार्यान्विति में काफी महत्वपूर्ण भाग रहता है, क्या उन के साथ श्रम-नीति पर चर्चा करने के लिये उन के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाने का कोई विचार है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : नहीं, श्रीमान् अभी नहीं ।

†**श्री पलनियाण्डी**: तृतीय पंचवर्षीय योजना की श्रम-नीति के बारे में विचार करने से पूर्व क्या सरकार इस का अनुमान लगाने के लिये एक कार्य प्रणाली निकालेगी कि श्रमिकों के सम्बन्ध में दो पंचवर्षीय योजनायें कहां तक लागू की गई हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : दोनों योजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है और किया जायेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय सभा सचिव ने बताया कि "अभी नहीं" । क्या मैं यह समझ लूं कि निकट भविष्य में, जबकि स्थिति सामान्य हो जायेगी, सम्मेलन के बुलाये जाने की संभावना है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : अभी इस के बारे में कोई अनुमान लगाना आवश्यक नहीं है । हम उस सम्बन्ध में कई चीजें करने की सोच रहे हैं । उपयुक्त समय पर अग्रेतर कार्यवाही के बारे में भी विचार किया जा सकता है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या तालिका बन चुकी है और यदि हां तो तालिका के सदस्यों के नाम क्या हैं? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि द्वितीय योजना के बारे में सदस्यों को जो ज्ञापन भेजा गया था, वैसे ही एक ज्ञापन का प्रारूप बना लिया गया है और वह सदस्यों के पास भेज दिया गया है ।

†**श्री नन्दा** : हां, श्रीमान् । विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के पास, जो स्थायी श्रमिक समिति प्रतिनिधि हैं, तथा अन्य लोगों के पास, जो इस स्थायी श्रमिक समिति में, जिस का एक प्रकार की तालिका के रूप में विस्तार किया जा रहा है, शामिल होने के लिये बुलाये गये हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये श्रम संबंधी योजना के सम्बन्ध में विचारणीय विभिन्न विषयों से सम्बंधित सभी सामग्री है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : ऐसे कई लाख कर्मचारी हैं जिनका प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा मान्य चार कार्मिक संघों द्वारा नहीं होता । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन कर्मचारियों का, जिनका इन चार कार्मिक संघों में कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, कोई भी प्रतिनिधि तालिका में लिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : इस प्रकार के त्रिपक्षीय निकायों में सम्मिलित होने के लिये केन्द्रीय संगठन बनाने के हेतु सदस्यों की न्यूनतम संख्या नियत कर दी गई है।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस थर्ड फाइव यीअर प्लान में खेतिहर मजदूरों का कोई स्थान है।

†**श्री नन्दा** : इस त्रिपक्षीय निकाय में वे भी आते हैं। किन्तु खेतिहर मजदूरों की समस्या पर अच्छी तरह विचार करने के लिये अन्य व्यवस्था है।

†**श्री त्यागी** : क्या तालिका के इन सदस्यों से श्रमिकों की सुविधाओं तथा मजूरी आदि के बारे में ही सलाह ली जाती है अथवा उन से उन प्रस्तावों के बारे में भी सलाह ली जाती है जिनसे श्रमिकों की औसत उत्पादन क्षमता बढ़ जाये ?

†**श्री नन्दा** : मेरा विचार है कि बाद वाली बात के बारे में ही उन से अधिक सलाह ली जाती है। तीसरे पहर को यदि समय मिला तो मैं माननीय सदस्य को बताऊंगा कि इस सम्बन्ध में कितना काम हुआ है।

तीर्थ यात्रियों की कैलाश और मानसरोवर यात्रा

†

†*२७१. **श्री रघुनाथ सिंह** :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री खुशवक्त राय :
श्री प्र० गं० देव :
श्री आसर :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम बरुआ :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :
श्री आचार :
श्रीमती मिनिमाता :
श्री पहाड़िया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ल्हासा में चीनी अधिकारियों ने भारतीय तीर्थयात्रियों को कैलाश और मानसरोवर जाने के लिये सुविधायें देने से इंकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही १९५४ के करार का उल्लंघन नहीं करती ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). चीनी सरकार ने ल्हासा स्थित हमारे महा वाणिज्य दूतावास के जरिये यह बताया है कि सुरक्षा की दृष्टि से वे यह सलाह देते हैं कि कुछ समय के लिये लोग तिब्बत के अरी जिले में तीर्थयात्रा के लिये न जायें। हालांकि यह ठीक है कि चीन के साथ हमारे समझौते की शर्तों के अनुसार तीर्थयात्रियों को खुले आम जाने दिया जाता है कि चीनी सरकार की सलाह को ध्यान में रखते हुए इस कठिन यात्रा के दौरान संभवतः यात्रियों की सुरक्षा के बारे में विश्वास दिलाना सम्भव नहीं होगा। इन परिस्थियों में हम यह आवश्यक समझते हैं कि तीर्थयात्रियों को इस वर्ष कैलाश और मानसरोवर जाने के लिये प्रोत्साहित न किया जाये। इतना और बताया जाता है कि इन अस्थायी कठिनाइयों के दूर होते ही तथा स्थिति सुधरते ही वे सभी सुविधायें दे दी जायेंगी, जिनकी गारंटी समझौते में दी गई है।

श्री रघुनाथ सिंह : इस साल वहां जाने वाले यात्रियों की तादाद क्या थी ?

श्री सादत अली खां : २६ की टुकड़ी वहां गई थी।

†**श्री हेम बरुआ** : यह देखते हुये कि कुछ तीर्थयात्री चीनी सरकार द्वारा यह निर्णय किये जाने के पूर्व मानसरोवर तथा कैलाश पहंच गये थे, उन तीर्थयात्रियों का क्या होगा जो वहां हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कुछ लोग वहां पहुंचे ही नहीं हैं अपितु कुछ वहां पहुंच कर लौट भी आये हैं। अतः मेरा ख्याल है कि यदि कोई दुर्घटना नहीं हुई तो वे भी लौट आयेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा निवेदन यह है कि चीनी सरकार ने हमें बताया है कि इन दशाओं के रहते हुये वहाँ तीर्थ-यात्रियों की सुरक्षा के लिये सुविधायें प्रदान नहीं की जा सकतीं और इसके बाद से वहां और कोई तीर्थयात्रा न जायें। किन्तु कुछ तीर्थयात्री वहां पहले से हैं। उनका क्या होगा क्योंकि वहां की स्थिति ठीक नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कुछ वहां पहुंच कर वापस आ गये हैं और दूसरे भी सम्भवतः वापस आ जायेंगे यदि जैसा कि मैंने कहा, कोई दुर्घना नहीं होती।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई कठिनाई होगी, तो वह निश्चत रूप से माननीय मंत्री के ध्यान में लाई जायेगी।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : यह देखते हुये कि चीनी अधिकारी १९५४ के करार के विरुद्ध काम कर रहे हैं, क्या भारत सरकार अब यह दावा करेगी कि कैलाश और मानसरोवर भारत के अंग हैं विशेषतः यह देखते हुये कि भारत में ऐसी कुछ लिखित सामग्री उपलब्ध है जिससे यह सिद्ध होता है कि मान-सरोवर अथवा कैलाश भारत के ही अंग थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि एक सरकार आन्तरिक झगड़े के कारण थोड़े समय के लिये उन्हें सुविधायें न दे सके और ऐसा कहे तो उससे समझौता भंग होता है ऐसा हम नहीं समझते।

†**श्री नाथ पाई** : डा० लोहिया ने खुले आम यह कहा बताते हैं कि उनके पास ऐसी सामग्री है जिनसे बिना किसी विवाद के मानसरोवर के ऊपर भारत का दावा सिद्ध हो जाता है। क्या उन दस्ता-वेजों को प्राप्त करने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ताकि हम अपना दावा कर सकें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। बाहर बोलने के बजाय डा० लोहिया उन पत्रों को प्रधान मंत्री के पास क्यों नहीं भेज देते ?

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण भारत में सरकारी मुद्रणालय

+

†*२५५. श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण भारत में, अर्थात् कोयम्बटूर और कोरट्टी में, नये मुद्रणालय स्थापित करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन मद्रणालयों के लिये नक्शे और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) हां, श्रीमान्।

(ख) प्रस्तावित मुद्रणालयों के नक्शे तथा प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं ?

†**श्री रा० च० माझी** : इन मुद्रणालयों के लिये अनुमानतः कितनी धनराशि निकाली गई है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : कोयम्बटूर के मुद्रणालय पर निर्माण कार्य तथा मशीनरी का मिला कर कुल १,३३,४३,००० रुपये और कोरट्टी के मुद्रणालय पर कुल ७५,४०,००० रुपये व्यय किये जायेंगे।

†**श्री पलनियाण्डी** : यद्यपि मद्रास सरकार ने मुद्रणालय के लिये भूमि प्राप्त करने तथा पानी का प्रबन्ध करने के लिये २ लाख से अधिक व्यय किये हैं, तब भी इन मद्रणालयों की स्थापना में देरी क्यों हो रही है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हमने पिछले अधिवेशन में सभा को बताया था कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कठिनाई हुई और जब तक मशीनरी नहीं आ जाती, निर्माण कार्य प्रारम्भ करना बेकार है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या दक्षिण में कोई और मुद्रणालय बनाने का कोई अन्य प्रस्ताव है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : नहीं, श्रीमान्। इस समय केवल यह दो मुद्रणालय ही विचाराधीन हैं।

†**श्री सूपकार** : ये मुद्रणालय किस काम के लिये स्थापित किये जा रहे हैं ? क्या इनकी स्थापना किसी विशेष कार्य के लिये की जा रही है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : कोयम्बटूर के मुद्रणालय में पुस्तकें छापी जायेंगी और कोरट्टी के प्रेस में फार्म छापे जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों लिखित उत्तर

भारत-पाकिस्तान सीमा

†*२४६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री पांगरकर :

क्या **प्रधान मंत्री** २५ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान और आसाम की सीमा से सम्बन्धित भारत-पाकिस्तान सीमा समझौते के "ग्राण्ड-रूल्स" की क्रियान्विति की दिशा में और कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा से से सम्बन्धित 'ग्राण्ड रूल्स" की क्रियान्विति की दिशा में फरवरी, १९६० से हुई प्रगति का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७१]** प्रगति सन्तोषजनक हुई है ।

चैरापूंजी कोयला खान

†*२४७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १२ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के पंचाट के उपबन्ध चैरापूंजी कोयला खान क्षेत्र में लागू कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) मालिकों ने यह मत प्रकट किया है कि जब तक कोयले का मूल्य नहीं बढ़ता पंचाट को लागू करना सम्भव नहीं है ।

कलकत्ते के गोदी श्रमिकों के लिये मकान

†*२४९. **श्री पांगरकर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड ने गोदी श्रमिकों के लिये कुछ मकान बनवाये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) मुख्यतः उपयुक्त वित्तीय साधनों के अभाव के कारण नहीं बनाये जा सके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय छात्र के लिये स्वीडन की छात्रवृत्ति

*२५६. **श्री सरजू पांडेय :** क्या **प्रधान मंत्री** १६ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रधान मन्त्री द्वारा दी जाने वाली वार्षिक छात्रवृत्ति देने के बारे में स्वीडन के प्रधान मन्त्री का प्रस्ताव, जो सिद्धान्त रूप से मान लिया गया है, अन्तिम रूप से तैयार हो चुका है; और

(ख) किस छात्र को किस विषय के अध्ययन के लिये यह छात्र वृत्ति दी गई है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) और (ख). हां, स्वीडन के प्रधान मन्त्री ने लगभग एक वर्ष के अरसे के लिये दो छात्रवृत्तियां देने की पेशकश की थी। चने गये उम्मीदवारों के नाम तथा अध्ययन के विषय ये हैं:—

(१) **सोशल पैडिएट्रिक्स**—डाक्टर (मिस) अन्नपूर्णा चक्रवर्ती, मेडीकल आफ़ीसर इचार्ज, शिशु सम्बन्धी रोग, मैडीकल कालेज हस्पताल, नागपुर।

(२) **सहकारिता कार्य**—श्री बी० वी० नायक, असिस्टेंट रजिस्ट्रार आफ़ कोआपरेटिव सोसायटीज़ टमकूर, मैसूर।

सिन्दरी का उर्वरक कारखाना

†*२५७. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० च० बरुआ :
श्री अजित सिंह सरहदी ।
श्री राम गरीब :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री न० म० देव :
कुमारी मो० वेदकुमारी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी के उर्वरक कारखाने के उत्पादन में १९५९–६० में काफी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो १९५८–५९ की तुलना में १९५९–६० के उत्पादन के आंकड़े क्या थे; और

(ग) उत्पादन में इस कमी का क्या कारण है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) १९५८–५९ में ३,३०,१२२ टन और १९५९–६० में २,८५,२४८ टन।

(ग) इसका मुख्य कारण यह था कि ठीक प्रकार का कोयला नहीं मिल सका तथा मशीनरी में जो टूट फूट हुई उसके बदले में दूसरे पुर्जे नहीं पड़ सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय कलाकारों को पाकिस्तान का वीसा देने से इन्कार

†*२५८. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान की सरकार ने भारत के उप-उच्चायुक्त को कवि टैगोर और कवि नज़रुल इस्लाम के जयन्ती समारोहों के सिलसिले में कलकत्ते की पश्चिम बंगाल संगीत नाटक अकादमी के कलाकारों के एक दल को आमंत्रित करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था; और

(ख) अनुमति देने से इंकार के लिये पाकिस्तान ने क्या कारण बताये थे ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादतअली खां)** : (क) हाँ, श्रीमान्।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान की सरकार ने वहां स्थित हमारे उप-उच्चायुक्त को बताया कि वे 'कई कठिनाइयों' के कारण दल के लिये प्रबन्ध नहीं कर सके थे।

रबड़ बागान उद्योग

†*२५९. **श्री जोन चन्द्रन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बागान उद्योग सम्बन्धी प्रशुल्क-आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है।

सरकारी विज्ञापन

†*२६१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच अखबारों को सरकारी विज्ञापन देने की पद्धति के बारे में "इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज़ पेपर्स सोसायटी" और "दि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ एसोसियेशन आफ इण्डिया" से प्राप्त ज्ञापन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). प्रश्न में उल्लिखित दोनों संगठनों से विचार विमर्श हुआ है और एक समझौता हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वीडन में नारियल जटा की वस्तुओं के लिये बाजारों का सर्वेक्षण

†*२६२. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वीडन स्थित भारतीय दूतावास को नारियल जटा से बनी वस्तुओं के सम्बन्ध में बाजार का सर्वेक्षण करने की हिदायत दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). डेन्मार्क और नार्वे में नारियल जटा से बनी वस्तुओं के लिये बाजार का सर्वेक्षण करने के लिये स्वीडन में हमारे राजदूतावास द्वारा प्रबन्ध किये गये थे। इन दोनों देशों की बाजार सर्वेक्षण रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं तथा उनकी जांच हो गई है और उनकी प्रतियां जटा-नारियल उद्योग में दिलचस्पी रखने वाले वाणिज्य मण्डलों तथा व्यापार संघों को भेज दी गई हैं।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स फैक्टरी लि० भोपाल

†*२६३. श्री दीं० चं० शर्मा :
श्री सूपकार :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री आचार :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स फैक्टरी लिमिटेड, भोपाल में निर्माण के चरणों की गति बढ़ाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७२]**

बेरूत में भारतीय व्यापार केन्द्र

*२६४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरूत में एक भारतीय व्यापार केन्द्र खोलने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) जमे हुए व्यापारियों की सहायता से इस केन्द्र को चलाने का विचार है। जब तक कोई अच्छी भारतीय व्यापारी फर्म उचित शर्तों पर यह भार लेने को तैयार नहीं होगी, उस समय तक इसे विभागीय रूप में चलाया जायगा और इस पर बेरूत स्थित भारतीय लीगेशन का नियन्त्रण रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिजली के मीटरों का निर्माण

†*३६५. **श्री सै० अ० मेहदी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की 'हिताची' कम्पनी ने दिल्ली में बिजली के मीटर बनाने का कारखाना स्थापित करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुल निर्गमित पूंजी में भारतीय अंश कितने प्रतिशत है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). जापान के मेसर्स हिताची लिमिटेड के सहयोग से प्रतिवर्ष ६०,००० सिंगल फेज वाले हाउस सर्विस मीटर तथा ६,००० पालीफेज वाले मीटर बनाने के लिये गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में "दास हिताची लिमिटेड" के नाम में तथा उसके ढंग का एक नया कारखाना स्थापित करने के लिये मेसर्स दास मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत एक लाइसेंस दिया गया है।

(ग) जापानी फर्म इस प्रस्तावित कम्पनी की कुल निर्गमित पूंजी में २५ प्रतिशत पूंजी तक लगायेगी।

ठेकेदारों द्वारा रखे गये श्रमिक

†*२६६. **श्री हेम बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ठेकेदारों द्वारा रखे जाने वाले श्रमिकों की काम की शर्तों को नियमित रूप देने के लिये कोई कानूनी उपबन्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो ठेकेदारों द्वारा रखे जाने वाले श्रमिकों की काम की शर्तों का नियमन करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक पृथक् अभिसमय है और सरकार उस अभिसमय की संतुष्टि कर चुकी है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी नहीं। ठेकेदारों द्वारा जो श्रमिक लगाये जाते हैं, उनमें से अधिकांश सम्बन्धित कानूनों के अन्तर्गत लगाये जाते हैं ?

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सम्भवतः माननीय सदस्य पब्लिक कांट्रेक्ट्स में श्रमिकों सम्बन्धी खण्डों से सम्बन्धित अभिसमय संख्या ९४ का उल्लेख कर रहे हैं। भारत ने इस अभिसमय का समर्थन नहीं किया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को अधिक भुगतान

†*२६७. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७ से १९५९ की अवधि में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के ठेकेदारों को २१ लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या अधिक भुगतान ७८६ मामलों में किया गया है ;

(ग) क्या गृह मंत्रालय के सतर्कता विभाग (विजिलेंस डिवीजन) ने इन बातों को नोट किया है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उप मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) मुख्य प्रविधिक परीक्षण संगठन[1] ने अस्थायी रूप से यह अनुमान लगाया था कि १९५७ से १९५९ की अवधि में ठेकेदारों को २०,७६,५१४ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया था जोकि वसूल किया जाना है ।

(ख) मुख्य प्रविधिक परीक्षक ने अतिरिक्त भुगतान के ७८६ मामले बताये हैं ।

(ग) निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के निगरानी विभाग ने, जहां आवश्यक समझा, गलती करने वाले पदाधिकारियों तथा ठेकेदारों दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की है । जिन मामलों में कार्यवाही की जाती है अथवा आरम्भ की जाती है उस का क्या परिणाम हुआ है उस की सूचना समय-समय पर गृह मंत्रालय के निगरानी संगठन को भेजी जाती है ।

(घ) ठेकेदारों से अतिरिक्त भुगतान वसूल करने तथा उन की त्रुटियां दूर करने के अतिरिक्त कुछ ठेकेदारों को चेतावनी दी गई है, कुछ ठेकेदारों का कुछ समय के लिये नाम देना बन्द कर दिया है और कुछ के नाम ब्लैक लिस्ट में रख दिये गये हैं । इसी प्रकार संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध भी प्रशासनात्मक कार्यवाही की गई है ।

बिजली का भारी सामान बनाने वाले कारखाने

†*२६८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री वारियर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० च० शर्मा :
श्री स० र० अरुमुगम :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजली का भारी सामान बनाने वाले इन दोनों कारखानों की स्थापना में तब से और आगे कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : रूस और चेकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञों से इन दोनों परियोजनाओं के उत्पादन कार्यक्रम के बारे में चर्चा करने तथा इन का स्थापना के लिये उपयुक्त स्थानों के बारे में सिफारिश करने के लिये प्रविधिक विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है । रूस तथा चेकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञ शीघ्र ही परियोजनाओं के प्रारम्भिक अध्ययन की रिपोर्टें प्रस्तुत करने वाले हैं । प्रविधिक समिति इन पर विचार करेगी तथा क्या-क्या चीजें बनाई जायें, उत्पादन कितना हो, एक कहां स्थापित किये जायें, आदि के बारे में वह अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Chief Technical Examiners Organisation.

ब्रिटेन को तम्बाकू का निर्यात

†*२६९. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोडेशिया की प्रतिस्पर्द्धा के कारण ब्रिटेन को भारतीय तम्बाकू के निर्यात में १९५९ में भारी कमी आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो निर्यात में कितनी कमी आई है ; और

(ग) पुरानी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) १९५८ में ब्रिटेन को ४१० लाख पौंड के भारतीय तम्बाकू के निर्यात के मुकाबले १९५९ में ३६० लाख पौंड भारतीय तम्बाकू का निर्यात किया गया ।

(ख) ८० लाख पौंड ।

(ग) भारतीय तम्बाकू का मूल्य कम करने तथा उस की किस्म सुधारने के लिये, ताकि वह अन्य देशों की तम्बाकू के मुकाबले सस्ती और अच्छी रहे प्रयोगात्मक फार्मों तथा अनुसंधान केन्द्रों के ज़रिये कार्यवाही की जा रही है ।

भारत-पाकिस्तान वीसा नियम

†*२७०. श्री दी० च० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री बहादुर सिंह :
श्री आसर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बै० च० मलिक :

क्या **प्रधान मंत्री** २५ फ़रवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान सरकार के साथ वीसा सम्बन्धी नियमों में ढिलाई करने का जो प्रश्न उठाया गया था उस में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : तब से कोई प्रगति नहीं हुई है । पाकिस्तान सरकार ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वह इस प्रश्न पर कब चर्चा करने को तैयार है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सफेद कागज का उत्पादन

†४३७. श्री न० म० देव :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ में भारत में कुल कितना सफेद कागज बनाया गया और मुख्य किस्मों का क्या ब्यौरा है ;

(ख) वर्ष १९५९ में कितना सफेद कागज आयात किया गया ;

(ग) दोनों की तुलनात्मक लागत क्या है ; और

(घ) दोनों का तुलनात्मक विक्रय-मूल्य क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) केवल सफेद कागज के उत्पादन के लिये पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते । तथापि, देश में सफेद कागज की जिन प्रमुख किस्मों का उत्पादन हुआ, वे ये हैं : लेखन-कार्य के लिये कागज, मुद्रण के लिये कागज, आर्ट कागज, नकली आर्ट और टीशू कागज ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिस में वर्तमान व्यापारिक आकड़ों के वर्गीकरण में उपलब्ध वर्ष १९५९ में सफेद कागज के आयात का ब्यौरा दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७३]** ।

(ग) और (घ). आयातित सफेद कागज की खर्च, बीमा, वस्तु-भाड़ा लागत और विक्रय-मूल्य विभिन्न किस्मों में जिस देश से आयात किया गया है, उस के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। देशीय और आयातित कागज के मूल्यों पर वैधानिक रूप से कोई नियंत्रण नहीं है । तथापि, प्रशुल्क आयोग ने सिफ़ारिश की है कि देशी सफेद मुद्रण कागज का उचित विक्रय मूल्य ६८ नये पैसे प्रति पौंड है ।

महाराष्ट्र में विस्थापित व्यक्तियों के लिए औद्योगिक यूनिट

†४३८. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विस्थापित व्यक्तियों के लिये वर्ष १९५९-६० में कितने छोटे औद्योगिक यूनिट स्थापित किये गये ; और

(ख) उस का क्या ब्यौरा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) छः ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७४ ।]**

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार में मध्य आय-वर्ग आवास योजना

†४३९. **श्री श० च० गोडसोरा** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६० में बिहार सरकार को मध्य आय-वर्ग आवास योजना को क्रियान्वित करने के लिये कुल कितनी धनराशि दी गयी है ;

(ख) योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) बिहार में इस योजना के अधीन क्या प्रगति की गई है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) २० लाख रुपये ।

(ख) राज्य सरकार ने बिहार गजट में योजना को प्रकाशित किया और जनता को बताने के लिये एक प्रेस-नोट भी जारी किया । राज्य सरकार द्वारा जिला और सब-डिवीज़नल पदाधिकारियों को इस को व्यापक प्रचार देने के आदेश दिये गये । इस के अतिरिक्त समाचार पत्रों में भी विज्ञापन निकाला गया जिस में योजना के अधीन ऋण के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये । योजना का प्रत्युत्तर उत्साहजनक होने से इस को लोकप्रिय बनाने के लिये विशेष कायवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० मे राज्य सरकार द्वारा निकाली गयी ४२ लाख रुपये की कुल धनराशि में से उन्होंने योजना के अधीन वर्ष १९५९-६० में १६५ मकान बनाने के लिये २० लाख रुपये के ऋण मंजूर किये और दिये । चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन महीनों में राज्य सरकार द्वारा १,२०,००० रुपये के और ऋण मंजूर किये गये हैं ।

फाउन्टैन पैनों का निर्यात

†४४०. **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६० की अवधि में देश में कुल कितने फाउन्टेन पैनों का उत्पादन हुआ ;

(ख) उसी अवधि में कुल कितने फाउन्टेन पैनों का निर्यात किया गया और जिन देशों को निर्यात किया गया, उन के नाम क्या हैं ;

(ग) उसी अवधि में कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ;

(घ) उसी अवधि मे यदि फाउन्टेन पैनों का कोई आयात किया गया तो कितने पेनों का आयात किया गया ;

(ङ) उस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ; और

(च) जिन देशों से आयात किया गया, उन के क्या नाम हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) बड़े पैमाने के क्षेत्र में ११०–१२० लाख पैन और छोटे पैमाने के क्षेत्र में ८०–१०० लाख पैन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७५]**

(घ) २,७४३ पेन ।

(ङ) ५,००० रुपये ।

(च) मुख्यत: ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, स्विटज़रलैंड, जापान और अमरीका ।

भारत–भूटान व्यापार

†४४१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूटान की दक्षिणी सीमा के साथ साथ भारत और भूटान के बीच निर्बाध रूप से व्यापार में कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय चुंगी चौकियों पर भूटानी व्यापारियों को कठिनाइयां होती हैं ;

(ग) क्या भूटान सरकार ने भूटानी व्यापारियों की इस कठिनाई के बारे में भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (घ). इस समय कोई कठिनाई नहीं है । पश्चिमी बंगाल सरकार ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ के अधीन पश्चिमी बंगाल से खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिये थे । परिणामस्वरूप, भूटान के व्यापारियों को कुछ कठिनाई हुई और उस ओर हमारा ध्यान दिलाया गया । भूटान को खाद्यान्न के निर्यात पर लगे प्रतिबन्धों को अब हटा दिया गया है ।

अस्कू[1] का निर्माण

†४४२. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अस्कू (Ascu) (लकड़ी के परिरक्षण के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ) के निर्माण में आत्मनिर्भर है ;

(ख) कौन से सार्थ 'अस्कू' बनाते हैं और उन की उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ग) क्या हम इस उत्पाद का अन्य देशों को निर्यात करते हैं ;

(घ) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं ; और

(ङ) उस से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) मेसर्स अस्कू वुड प्राडक्ट्स, २६, चौरंगी रोड, कलकत्ता—१३ ।
उत्पादन क्षमता : प्रति वर्ष २५० टन

(ग) जी, हां ।

(घ) बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड आदि

(ङ) वर्ष १९५९ में ४८,३८० रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Ascu.

क्रीओसोट[1] का निर्माण

†४४३. **श्री प्र० के० देब** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इमारती लकड़ी के काम आने वाले क्रीओसोट के निर्माण में आत्म-निर्भर है ; और

(ख) कौन कौन सी फ़र्में क्रीओसोट बनाती हैं और उन की उत्पादन क्षमता क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) इमारती लकड़ी के काम आने वाले क्रीओसोट आयल के निर्माण में इस समय निम्न-लिखित फ़र्में लगी हुई हैं :

१. मेसर्ज़ बंगाल केमिकल एंड फ़ार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता ।

२. मेसर्ज़ शालीमार तार प्राडक्ट्स (१९३५) लिमिटेड, कलकत्ता ।

३. मेसर्ज़ भावरा कोक कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ।

४. मेसर्ज़ बम्बई गैस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ।

५. मेसर्ज़ बरारी कोक कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ।

क्रीओसोट आयल कोलतार से बनाया जाता है और इस मद के लिये क्षमता के आंकड़े पृथक रूप से उपलब्ध नहीं हैं । पिछले तीन वर्षों में इमारती लकड़ी के काम आने वाले क्रीओसोट आयल का वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार रहा :

वर्ष	उत्पादन (गैलन)
१९५७	७०५,९०८
१९५८	४७६,४८७
१९५९	५३४,९८९

इमारती लकड़ी का आयात

†४४४. **श्री प्र० के० दे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशों से इमारती लकड़ी का आयात होता है ;

(ख) यदि हा, तो यह आयात कौन से देशों से और किस मूल्य पर होता है ;

(ग) किस किस्म की इमारती लकड़ी का आयात होता है और उन का इस्तेमाल किस काम में किया जाता है ; और

(घ) क्या देहरादून की वन अनुसंधान संस्था ने आयात की गई इमारती लकड़ी के स्थान पर इस्तेमाल की जाने के लिये किसी और किस्म की लकड़ी का पता लगाया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७६]**

(ग) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Creosote.

(घ) वन अनुसंधान संस्था ने टीक, कार्नल वुड ब्लाक (cornal wood block), अमरीकन और अफ्रीकी केदार (cedar), हिकोरी (Hickory), बीच (Beech) और मेपिल (maple) और लिगनम वाइटे (Lignum Vitae) के स्थान पर इस्तेमाल की जाने के लिये और दूसरी लकड़ी का पता लगाया है। अन्दमान पदन्क का टीक के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। सब प्रकार की भारतीय इमारती लकड़ी चलाने में मुख्य कठिनाई यह है कि कोई लकड़ी बाजार में नहीं मिलती। विभिन्न लकड़ी के काम में लगे उद्योग इमारती लकड़ी को लट्ठों की शक्ल में नहीं चाहते। जहां तक बर्मा टीक का सम्बन्ध है यह मारती लकड़ी इसलिये आयात की जाती है कि भारतीय टीक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और इस के स्थान पर अन्य भारतीय लकड़ी इस्तेमाल करने के लिये जिन सुविधाओं की आवश्यकता है, वे कारखानों में अभी उपलब्ध नहीं हैं।

उर्वरक संयंत्रों सम्बन्धी प्रलेखीय चित्र

†४४५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में विभिन्न उर्वरक संयंत्रों के बारे में प्रलेखीय चल-चित्र बनाने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख) फिल्म्स डिवीजन ने उर्वरक संयंत्रों सम्बन्धी वर्ष १९४९ और १९५४ में क्रमश: दो प्रलेखीय चलचित्र बनाये हैं जिन के नाम "सिन्दरी की कहानी" (Story of Sindri) और "श्वेत खाद" (white manure) हैं। फ़िल्म्स डिवीजन किसी विषय के बारे में सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित चलचित्र तैयार करता है। चालू वर्ष में उर्वरक संयंत्रों सम्बन्धी कोई नयी फ़िल्म बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

बढ़ता हुआ मूल्य स्तर

†४४६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **योजना** मंत्री १७ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ते हुए मूल्य-स्तर और निर्वाह-व्यय में वृद्धि होने की समस्या का अध्ययन करने के लिये जो कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था, उस ने अब तक कितनी प्रगति की है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : १७ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४ के उत्तर में उल्लिखित मूल्यों सम्बन्धी कार्यकारी दल ने इस समस्या के बारे में कुछ कागजात तैयार किये हैं। इस समस्या पर अब योजना आयोग आगे विचार कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीलंका से भारतीयों का आप्रव्रजन[1]

†४४७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, १९६० के बाद से कितने भारतीय श्रीलंका से भारत आये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : फरवरी, १९६० के मध्य से मई, १९६० के अन्त तक २२५५ भारतीय राष्ट्रजन श्रीलंका से आये । इन में से १०२३ को श्रीलंका सरकार ने वहां से चले जाने का नोटिस दिया था और १२३२ स्वयं आये । जनवरी, १९६० से फरवरी, १९६० के मध्य तक ९७३ भारतीयों ने श्रीलंका छोड़ा—४५९ को नोटिस दिये गये थे और ५१४ स्वयं आये । जनवरी और फरवरी के लिये पृथक रूप से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

बड़ोदा में आगफा पेपर इन्डस्ट्री

†४४८. **श्री न० म० देव :**
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा में आगफ़ा पेपर इन्डस्ट्री स्थापित कर दी गई है ;

(ख) क्या इस में कैमरों का निर्माण भी होगा ; और

(ग) सम्बन्धित समवाय में कागज और कैमरों का उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) सरकार ने पश्चिमी जर्मनी की फ़र्म, मेसर्ज़ आगफ़ा के सहयोग से प्रति वर्ष १२ लाख वर्ग मीटर फोटोग्राफ़ी का कागज तैयार करने के लिये मेसर्ज़ न्यू इंडिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, बड़ौदा की एक योजना मंजूर की है । यह आशा की जाती है कि उत्पादन अगले १८ महीनों में आरम्भ हो जायेगा । यह सार्थ मेसर्ज़ आगफ़ा, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से इस वर्ष के आरम्भ से बौक्स कैमरा भी बना रहा है ।

सेवा नगर दिल्ली में गंदगी के बहाव में रुकावट

४४९. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सेवा नगर (नई दिल्ली) में हर दूसरे या तीसरे दिन गंदगी का बहाव रुक जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (ग) इस समय विद्यमान खुली नालियां, जिन में रसोईघरों का गन्दा पानी जाता है, कभी कभी अवरुद्ध हो (रुक) जाती हैं । इस बस्ती के लिये भूमिगत नालियां बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है और इस काम को निष्पन्न करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Immigration,

जम्मू तथा काश्मीर में रेशम का उत्पादन

†४५०. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में रेशम के उत्पादन के तरीकों में पिछले ६० वर्षों से कोई सुधार नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में रेशम के उत्पादन के तरीकों में सुधार करने के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड कोई कार्यवाही करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो की जाने वाली कार्यवाही का क्या ब्योरा है ;

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) जम्मू तथा काश्मीर में रेशम के उत्पादन के तरीकों में सुधार के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने विभिन्न कार्यवाही की है । इनमें निम्नलिखित शामिल है :—

(क) इसकी उन्नति के लिये राज्य सरकार को शहतूत की अधिक उत्पादन करने वाली जापानी किस्म का संभरण ।

(ख) राज्य सरकार को आधुनिक तरीके की कई सिरों वाली चर्खी और स्वचालित पकाने की मशीनों के क सेट का संभरण ।

(ग) राज्य सरकार के तीन पदाधिकारियों का विदेशों में प्रशिक्षण ।

(घ) राज्य सरकार को चार जापानी रेशम-कीट पालन विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध कराना ।

(ङ) जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा मनोनीत सात विद्यार्थियों का अखिल भारतीय रेशम-कीट पालन प्रशिक्षण संस्था, मैसूर में प्रशिक्षण ।

(च) वर्ष १९५९ में और गुणीकरण के लिये राज्य सरकार को ७६३ पी २ 'लेडिंग्स' का दिया जाना ।

(छ) राज्य में रेशम उद्योग के सुधार और विकास के लिये योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार को वित्तीय सहायता ।

क्योंकि इस प्रदेश में रेशम-कीट पालन के विकास के लियें बहुत संभावना है, बोर्ड तृतीय पंच-वर्षीय योजना में निम्नलिखित प्रयत्न करेगा :

(१) शहतूत के वृक्षों को समय समय उपर से काटने और उनमें खाद देने की देखभाल के लिये एक उपयुक्त जेंसी का संगठन ।

(२) वर्तमान नर्सरियों (पोधशालाओं) के कार्य में सुधार और यथावश्यक नयी नर्सरियों की स्थापना ।

(३) शहतूत के वृक्ष लगाने के बारे में किसानों को प्रोत्साहन ।

(४) औद्योगिक रूप से पालने के लिये रेशम के कीड़ों की उपयुक्त किस्में निश्चित करना ।

(५) प्रेब्राइन (बीमारी) को रोकने के लिये रेशम के कीड़े पालने वालों के घरों को स्वच्छ रखना ।

(६) पी २ किस्म के कीड़े पालने के लिये मूल बीज फ़ार्मों का संगठन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(७) राज्य में औद्योगिक बीज के उत्पादन का विकेन्द्रीयकरण ।

(८) आधुनिक प्रकार के अण्डा सेना एवं चौकी कीट पालन केन्द्रों की स्थापना ।

(९) कच्चे रेशम को चर्खी पर लपेटने के कार्य का आधुनिकी करण ।

रूस के लिये भारतीय कपड़ा

†४५१. श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस द्वारा भारतीय कपड़ा खरीदने के प्रश्न के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : रूस गत तीन वर्ष से भारत से सूती कपड़े के अतिरिक्त श्रेष्ठ प्रकार का कपड़ा खरीद रहा है । अब वह १९६० से सूती कपड़े भी खरीदने के प्रश्न पर विचार कर रहा है । रूस को निर्यात के सम्बन्ध में ब्योरे वाणिज्यिक सूचना तथा **सांख्यकी** के महानिदेशक द्वारा प्रकाशित होने वाली "मन्थली स्टेटिस्टिक्स आफ दी फारेन ट्रेड आफ इण्डिया" (भारत के वैदेशिक व्यापार के मासिक आंकड़े) नामक मासिक प्रकाशन में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं ।

टैलीविज़न सैटों का निर्माण

†४५२. श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलिविज़न सेटों के निर्माण के सुझाव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). आकाश वाणी द्वारा हाल ही में आरम्भ की गयी टेलीविज़न सेवा अभी परीक्षण की स्थिति में है और बहुत निकट भविष्य में इसके और अधिक विस्तार की कोई संभावना नहीं है । आकाशवाणी द्वारा उस समय जो टेलीविज़न कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है, वह मुख्य रूप से शिक्षा सम्बन्धी है और उसमें सामान्य मनोरंजन का कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाता है । अतः इन परिस्थितियों में देश में टेलीविज़न सेट तैयार करना उपयुक्त नहीं दृष्टिगत होता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हिमाचल प्रदेश में लकड़ी के गूदे का उद्योग

†४५३ **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में लकड़ी का गूदा उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में विदेशी विशेषज्ञों से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). इस मामले की जांच की गयी है। हिमाचल प्रदेश में एक लाभप्रद कारखाना स्थापित करने के लिये वहां पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

कलकत्ता के गोदी श्रमिक

†४५४ **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा कलकत्ता के गोदी श्रमिकों के सम्बन्ध में स्वीकृत अधिकांश सिफ़ारिशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कार्यान्वित करने के बारे में क्या क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आदिद अली)**: (क) और (ख). ५९ सिफ़ारिशों में से ३० कार्यान्वित की जा चुकी हैं। और १९ को कार्यान्वित करने के बारे में निर्णय किया जा चुका है। शेष सिफ़ारिशों का सम्बन्ध मालिकों से है। उनका ध्यान इनकी ओर आकृष्ट किया गया है।

मद्रास में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का मुख्यालय

†४५५ **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का मुख्यालय मद्रास में स्थापित करने सम्बन्धी सुझाव की इस समय क्या स्थिति है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मुख्यालय के स्थान को बदलने का इस समय कोई विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रमिक शिक्षा योजना

†४५६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमिक शिक्षा योजना के लिये दी गयी राशि में से अधिकांश राशि को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसका उपयोग करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). योजना के ब्योरे तैयार करने में देर लग जाने तथा प्रारम्भ में कई अन्य कठिनाइयों के कारण पूरी राशि का इस्तेमाल नहीं किया जा सका है ?

(ग) योजना की कार्यान्वित और धन के उपयोग के काम को गति देने के लिये सभी संभव यत्न किये जा रहे हैं।

जूतों का निर्यात

४५७. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने इस वर्ष अब तक कितने मूल्य के जूतों का निर्यात किया; और

(ख) यह गत वर्ष की तुलना में अधिक है या कम ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) चालू वितीय वर्ष में जून १९६० के अन्त तक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने १५.४२ लाख रू० मूल्य के जूतों का निर्यात किया है।

(ख) पिछले वितीय वर्ष १९५९-६० में ४३.६९ लाख रु० मूल्य के जूतों का निर्यात किया गया था। चालू वर्ष का निर्यात पिछले वर्ष के निर्यात से बढ़ जाने की आशा है।

ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही

४५८. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री मुख्य शिल्पिक परीक्षक के संगठन के बारे में निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की वर्ष १९५९-६० की रिपोर्ट के पृष्ठ २१ (पैरा २.३०) के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन ठेकेदारों ने अपने निर्माण कार्य ठीक तौर से पूरे नहीं किये, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : जिन ठेकेदारों ने ठीक-तौर से कार्य नहीं किया, उनके विरुद्ध या तो चेतावनी देने अथवा निश्चित समय तक कार्य न देने अथवा उनके नाम काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में दर्ज किये जाने की कार्यवाही की गई।

इनमें ऐसे ठेके शामिल नहीं हैं जहां निम्नस्तर का कार्य दिखाई पड़ा और उसके फलस्वरूप अधिक दिये गये भुगतान की रकम वापस ली गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

अशोक होटल और हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में सतर्कता पदाधिकारी

४५९. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अशोक होटल और हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में सतर्कता पदाधिकारी कब से नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) उन्होंने अब तक भ्रष्टाचार के कितने मामले पकड़े हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) १-२-१९५८ से अशोक होटल में एक सतर्कता पदाधिकारी कार्य कर रहा है। १-८-१९५६ से हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री में जनरल मैनेजर स्वयं सतर्कता पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है।

(ख) १९५६ से ३१ जुलाई, १९६० तक अशोक होटल में २६ व्यक्तियों तथा हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री में १० व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

मोम्बासा में भारतीय व्यापार आयुक्त को होटल की सुविधायें देने से इन्कार

४६०. **श्री म० ला० द्विवेदी:** क्या **प्रधान मंत्री** २८ अप्रैल १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८४१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मोम्बासा में, भारतीय व्यापार आयुक्त और उनके मित्रों को मालिन्दी समुद्र तट पर होटल की सुविधायें देने से इन्कार कर देने के संबंध में नैरोबी स्थित भारतीय आयुक्त ने जो कार्यवाही की, उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): पिछली मई में कीनिया सरकार ने भारतीय कमिश्नर को सूचित किया था कि जिस समय मोम्बासा स्थित भारतीय व्यापार कमिश्नर मालिन्दी गए थे, उस समय वहां एक होटल की मरम्मत की जा रही थी और अन्य होटलों में स्थानों की बुकिंग इतनी पहले हो गई थी कि साधारणतया किसी के लिए कुछ घंटे आराम पाने के लिए भी कोई कमरा लेना संभव नहीं था। वहां कोई रंगभेद-भाव नहीं है और एशियाई लोग उन होटलों में ठहरते रहे हैं।

जहां तक किसी होटल में तैरने का ताल (स्विमिंग पूल) इस्तेमाल करने का संबंध है, होटल अधिकारियों का कहना है कि चूंकि सुविधाएं सीमित हैं, इसलिए ताल का उपयोग केवल वहां के निवासी ही कर सकते हैं।

कीनिया के अधिकारियों ने कमिश्नर को आश्वासन दिया है कि इस तरह की अवांछनीय घटना फिर न होगी।

फरीदाबाद के विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली

४६१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री:** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरीदाबाद के जो विस्थापित व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह का अब तक कोई प्रबन्ध नहीं कर सके हैं उनसे या विधवाओं या अपंग व्यक्तियों से ऋण की वसूली के सम्बन्ध में क्या नीति है; और

(ख) क्या सरकार ने मकानों के उचित मूल्य के बारे में भी कोई निर्णय किये हैं?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) फरीदाबाद में शरणार्थियों से ऋण की वसूली के लिए वही नीति है जो कि अन्य स्थानों में अपनाई गई है।

(ख) कुछ समय पूर्व ही मकानों का मूल्य निश्चित किया गया था। उसको दुबारा आंकने के लिये कोई विशेष कारण नहीं मालूम होता।

बिना बिका हुआ हथकरघे का कपड़ा

†४६२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के सहकारी क्षेत्र में बिना बिकी हुआ हथकरघे के कपड़े का वर्तमान स्टाक कितना है; और

(ख) सहकारी क्षेत्र में बिना बिके हुए कपड़े के स्टाक के रह जाने के क्या कारण हैं;

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) ४०१ लाख गज।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि स्टाक कोई खास ज्यादा नहीं है।

उड़ीसा में हथकरघा बुनकर सहकारी संस्थायें

†४६३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ३१ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में हथकरघा बुनकर सहकारी संस्थाओं को ३१ मार्च, १९५९ तक अदा की जाने वाली छूट की बकाया राशि को पूरा करने के लिये धन मंजूर करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख). मामला अभी तक विचाराधीन है, क्योंकि राज्य सरकार से छूट की राशियों के सम्बन्ध में विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

धातु की कलात्मक वस्तुओं का निर्यात

†४६४. **श्री नवल प्रभाकर:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि धातु की कलात्मक वस्तुओं का निर्यात बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, हां।

(ख) धातु की कलात्मक वस्तुओं का निर्यात जहां १९५७ में १ करोड़ रु० था वहां १९५८ में वह बढ़कर १.०३ करोड़ रु० हुआ और १९५९ में और भी बढ़कर १.४६ करोड़ रु० हो गया। १९६० की पहली तिमाही में २७.८ लाख रु० की ऐसी वस्तुएं विदेशों को भेजी गई हैं, जब कि १९५९ की इसी अवधि में ये २३.१ लाख रु० की भेजी गई थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास

†४६५. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये ऋण के लिये दिल्ली के नगरीय क्षेत्रों के लोगों से कितने आवेदन पत्र आये हैं ; और

(ख) उक्त अवधि में कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९५९-६० में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये ऋणों के लिये दिल्ली के नगरीय क्षेत्र से ३७५ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) १२३ व्यक्तियों के लिये ऋण मंजूर कर दिये गये हैं ।

कल्याणी सहकारी खिलौना समिति

४६६. **श्री पद्म देव :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १७ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जापानी विशेषज्ञों की सहायता से यंत्रचालित खिलौनों के उत्पादन के लिए एक कारखाना खोलने के बारे में कल्याणी सहकारी खिलौना समिति ने और क्या प्रगति की है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : कल्याणी सहकारी खिलौना समिति जापानी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकी । इसका कारण यह था कि इन विशेषज्ञों के वेतन तथा यात्रा, निवास और भोजन के भत्तों पर जो खर्च आता था उसे पूरा करने लायक साधन जुटाने में समिति असमर्थ रही ।

शिमला रेडियो स्टेशन से प्रसारण

४६७. **श्री पद्म देव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला रेडियो स्टेशन से प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम कब से चालू किया गया है ; और

(ख) ग्रामीण जनता तथा अन्य लोगों से कितने प्रश्न (अलग-अलग) प्राप्त हुये जो १९५९ में प्रसारित किये गये और वे किस-किस भाषा में प्रसारित किये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) आकाशवाणी के शिमला केन्द्र से प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम ६ जनवरी, १९५९ से चालू किया गया है ।

(ख) १९५९ में प्राप्त हुये प्रश्नों की कुल संख्या ३०० थी जिन में से २५० ग्रामीण श्रोताओं से प्राप्त हुये थे । इस कार्यक्रम में जो भाषा प्रयोग में लाई गई वह सरल हिन्दी है ।

हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योगों का प्रशिक्षण

४६८. **श्री पद्म देव :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंगी (चम्बा, हिमाचल प्रदेश) से कितने व्यक्ति बढ़ईगिरी, मधुमक्खी पालन, बागबानी, लुहार का काम, चमड़ा कमाने और बुनाई के काम का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और किन-किन स्थानों पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : हिमाचल प्रदेश प्रशासन से अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के चम्बा ज़िले में ११ प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र हैं । ये नीचे लिखे स्थानों पर स्थित हैं:—

१.	बुनाई केन्द्र, चम्बा, मेहला और किल्लर (पांगी) . .	३
२.	दर्जीगीरी केन्द्र, चम्बा, चावड़ी और बाथी . . .	३
३.	चमड़ा कमाने और जूते बनाने के केन्द्र, चम्बा . . .	२
४.	बढ़ईगीरी का केन्द्र, बानीखेत . . .	१
५.	पुरानी कढ़ाई कला का पुनरुत्थान, चम्बा . . .	१
६.	लुहारी केन्द्र, करीरा	१

किल्लर (पांगी) का बुनाई केन्द्र कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत खोला गया है और इसमें ५ व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे हैं । पांगी क्षेत्र से किल्लर के बुनाई केन्द्र में अब तक ८ और चम्बा के बुनाई केन्द्र में ३ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । इस समय बढ़ईगीरी, दर्जीगीरी, मधुमक्खी-पालन, बागबानी, लोहारी और चमड़ा कमाने का प्रशिक्षण कोई भी व्यक्ति नहीं ले रहा है ।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

†४६९. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन, किसी कम्पनी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के लिये दी गयी राशि का शेष भाग, उस कर्मचारी की भविष्य निधि के खात के बंद हो जाने पर उस कम्पनी को वापिस नहीं किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस राशि का किस प्रकार उपयोग किया जाता है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह प्रस्ताव है कि इस राशि से एक विशेष संचित निधि बनायी जाये जिससे उन मजदूरों की सहायता की जाये जिनकी भविष्य निधि उनके मालिकों द्वारा जमा नहीं करवायी गयी है ।

उत्तर प्रदेश में वक़्फ़ सम्पत्ति

†४७०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को कितनी वक़्फ़ सम्पत्ति अभी तक छोड़ी जा चुकी है ; और

(ख) उनकी उचित व्यवस्था करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) ६० ।

(ख) सुन्नी / शैया बोर्ड, जिसके लिये ये वक़्फ़ सम्पत्तियां छोड़ी गई है, उनकी देखभाल के लिये जिम्मेदार हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रबड़ बोर्ड द्वारा उपकर की वसूली

†४७१. श्री पुन्नूस : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५८–५९ तथा १९५९–६० के वर्षों में रबड़ बोर्ड द्वारा कितना उपकर वसूल किया जाना था;

(ख) क्या उसमें कोई राशि बकाया रहती है और यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या बोर्ड ने कर वसूल करने के काम को गति देने के लिये कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). १९५८–५९ और १९५९–६० में प्राक्कलित उपकर और बकाया राशियों के आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	प्राक्कलित उपकर रुपये	बकाया रुपये
१९५८–५९	३३,३५,३१६	१६,१६,९९१
१९५९–६०	३३,४४,२८९	२५,५२,२६५

(ग) जी, हां।

(घ) सुझाव अभी विचाराधीन है।

सहकारी काफ़ी हाउस

†४७२. श्री अ० क० गोपालन
श्री कुन्हन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने का कृपा करगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न नगरों में इंडिया काफी हाउस के छंटनी में निकाले गये कर्मचारियों ने सहकारी काफी हाउस बना लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय ऐसे कितने सहकारी काफी हाउस हैं और वे किस किस स्थान पर है;

(ग) काफी बोर्ड द्वारा इन सहकारी संस्थाओं को क्या क्या सुविधायें दी गयी हैं;

(घ) क्या यह सच है कि काफी बोर्ड ने काफ़ी पावडर की थोक बिक्री का काम सौंपने के लिये सहकारी संस्थाओं की अपेक्षा गैर-सहकारी व्यक्तियों को अधिमान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो कितने मामलों में सहकारी संस्थाओं के दावों को उपेक्षित किया गया है?

†वाणिज्य मंत्री (श्री काननूगो): (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जहा तक जानकारी उपलब्ध हुई है, इस समय निम्नलिखित स्थानों पर २० सहकारी संस्थायें चल रही हैं:—

दिल्ली	३
शिमला	१
इलाहाबाद	१
लखनऊ	१
जबलपुर	१
कलकत्ता	१
नागपुर	१
पूना	१
बंगलोर	२
पांडिचेरि	१
त्रिचूर	१
अल्लपी	१
कोचीन	१
त्रिवेन्द्रम	१
कालीकट	१
कन्नूर	१
शोरानूर	१
	२०

(ग) इन काफी हाउसों में काफी का पावडर रियायती दामों पर संभरित किया जाता है और बोर्ड की काफी बेचने के लिये कमीशन के आधार एजेन्सी भी दी जाती है। वह कमीशन काफी के पावडर पर ६½ प्रतिशत और कच्ची काफी पर ५० किलोग्राम पर १०.३४ नये पैसों के हिसाब से मिलता है। कर्मचारी सहकारी संस्थायें जहां भी अपनी काफी के पावडर को पीसना या बेचना चाहें, वहीं के लिये बोर्ड उन्हें अपेक्षित मात्रा में कच्ची काफ़ी रियायती दामों पर दे देता है। यह पावडर वहां के लिये निर्धारित पूल न्यूनतम कीमत पर दिया जाता है।

(घ) और (ङ) काफी बोर्ड के कोई थोक एजेन्ट नहीं हैं। केवल एक स्थान, अर्थात् दिल्ली के लिये ही सोल एजेन्सी एक प्राइवेट फर्म को दी गयी थी। यह काम केवल एक प्रयोगात्मक आधार पर किया गया थो; और उस फर्म ने यह वचन दिया था कि वह १८ महीने के अन्दर अन्दर काफी पावडर की बिक्री दुगनी कर देगी। यह सोल एजेन्सी बहुत कम समय तक कायम रही। इस अवधि में जिन शर्तों के आधार पर सहकारी संस्थायें काफ़ी बोर्ड से पावडर प्राप्त करती रही हैं; उन शर्तों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन न होने देने की कोशिश की गयी थी।

सुरिनाम (डच गायना) से प्रतिनिधिमण्डल

†४७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जून, १९६० के प्रथम सप्ताह में सुरिनाम (डच गायना) की सरकार का एक प्रतिनिधिमण्डल भारत आया था;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यहां पर क्या क्या बात हुई थी ; और

(ग) क्या क्या निर्णय किये गये हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल ने योजना आयोग तथा कुछ अन्य मंत्रालयों से भारत प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की अवधियों में कृषि औद्योगिक उत्पादन, निर्यात व्यापार संवर्धन आदि के क्षेत्र में हुई प्रगति तथा तृतीय पंच वर्षीय योजना के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में अनौपचारिक रूप से बात चीत की थी ।

(ग) किसी विशेष बात पर बातचीत नहीं की गयी है, इसलिये किसी निर्णय का तो कोई प्रश्न उतपन्न ही नहीं होता ।

भूमि सुधार

†४७४. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हेम राज :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है : और

(ख) यदि वह सुधार निश्चित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हुआ है, तो गति बढ़ाने के लिये क्या क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० ० मिश्र) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७८]

चीन द्वारा खरीदे गये टाट के बोरे तथा गांठें

†४७५. श्री सें० म० मेहदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २५ फरवरी १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च से जुलाई, १९६० तक चीन द्वारा कितनी मात्रा में और कितनी कीमत के टाट के बोरे और टाट की गांठें खरीदी हैं ; और

(ख) खुले बाजार में से कितनी मात्रा में और कितनी कीमत पर खरीदी गयी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). चीन द्वारा की गयी खरीद के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है, मार्च से जून, १९६० तक चीन को भेजने के लिये जितनी टाट के बोरों और गांठों के लिये अनुमति दी गयी थी, उनके सम्बन्ध में आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	मात्रा	कीमत
बोरे .	१३,३६७ टन	२,०९,५०,७१९ रु०
गांठें	५,४८३ टन	८५,०५,७०५ रु०

जुलाई के सम्बन्ध में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

अखबारी कागज के कारखाने

†४७६. श्री सै० अ० मेहदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ९ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज के कारखानों की स्थापना सम्बन्धी दोनों योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस किस पार्टी को इसके लिये अनुमति दी गयी है और प्रत्येक कारखान के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की जरूरत है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). निम्नलिखित दो योजनाओं को सिद्धान्त रूप में मंजूर कर दिया गया है :—

फर्म का नाम	स्थान	क्षमता	प्राक्कलित आवश्यक विदेशी मुद्रा
१. मेसर्स रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दालमियानगर ।	कटक (बम्बई)	३०,००० टन प्रतिवर्ष	२.७५ करोड़ रु०
२. मेसर्स बिड़ला ग्वालियर प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता ।	पनवाल/पान (बम्बई)	३०,००० टन प्रतिवर्ष	३.०० करोड़ रु०

तीमारपुर (दिल्ली) में सरकारी क्वार्टर

†४७७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीमारपुर (दिल्ली) में दो कमरों के लगभग ४०० क्वार्टरों के बारे में निर्माण के केवल १० वर्षों की अवधि के बाद ही यह घोषित कर दिया गया है कि वे रहने योग्य नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) से (ग). तीमारपुर में जेड टाइप के ३४४ फ्लैट हैं जोकि १९४८-५० में बनाये गये थे। छतों से पानी के चूने के परिणाम-स्वरूप सीमेंट कन्क्रीट के बने हुए छतों के स्लैब में लगी हुई इस्पात की छड़ों पर जंग लग गया था, जिससे पहली मंजिल के १७२ क्वार्टरों की छत खराब हो गई। मंत्रालय का मुख्य प्राविधिक निरीक्षक मामले की जांच कर रहा है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने उन स्थानों पर छतें बदल देने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है, जहां छत बहुत खराब हो गई है। शेष स्थानों पर आवश्यक मरम्मत करायी जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में खादी का उत्पादन

†४७८. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में आन्ध्र प्रदेश में कितनी खादी का उत्पादन किया गया था;

(ख) १९५९ के अन्त में आन्ध्र प्रदेश में कुल कितने बुनकर और सूत कातने वाले थे; और

(ग) उक्त अवधि में तैयार किये गये खादी पर कितनी प्राक्कलित लागत आयी थी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ८२.०२ लाख वर्ग गज।

(ख) (१) बुनकर २०,०६०

(२) कातने वाले १,६५,०२०।

(ग) १५६.८८ लाख रुपये।

शिमला में सरकारी प्रेस

†४७९. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला में सरकारी प्रेस की इमारत के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) वह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और मुद्रण का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) प्रेस की इमारत के लिये तैयार किये गये मूल नकशों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) नयी इमारत की पूर्ति और वहां पर मुद्रण के कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चित कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र में यूरेनियम

†४८०. श्री गोरे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य के रत्नगिरि तट पर रेत में यूरेनियम पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना मात्रा उपलब्ध है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उसे कैसे उपयोग में लाया जायेगा?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कोयला खान मजदूरों की अनुपस्थिति

†४८१. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या श्रम और रोजगार मंत्री २५ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान मजदूरों की अनुपस्थिति के नमूने के सर्वेक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). यह रिपोर्ट मजूरी सम्बन्धी संचालन दल को पेश की जायेगी जिसकी बैठक अगले महीने होने वाली है। इसके पश्चात् इसे प्रकाशित किया जायेगा।

उड़ीसा में भूमि सुधारों के लिये सहायता

†४८२. { श्री संगण्णा :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या योजना मंत्री १७ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में भूमि सुधारों को लागू करने के हेतु प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था करने के लिये कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है?

†योजना उपमंत्री (श्री श्याम नन्दन मिश्र) : (क) और (ख). उड़ीसा राज्य सरकार ने भूमि सुधार लागू करने की योजना के लिये, जिस पर १ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है, केन्द्रीय सरकार से ७५ लाख रुपये की सहायता मांगी है। योजना का ब्योरा अभी तक नहीं मिला। उड़ीसा सरकार को योजना का ब्योरा भेजने के लिये कहा गया है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

दिल्ली में बाजार

†४८३. श्री दलजीत सिंह : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरोजिनी मार्केट, न्यू सेंट्रल मार्केट और प्लेजर गार्डन मार्केट, नई दिल्ली के अलाटियों द्वारा 'लाइसेंस डीड' पर हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) १ मई, १९६० से १ अगस्त, १९६० तक किराये की कितनी बकाया रकमें वसूल की गयीं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : प्लेजर गार्डन मार्केट के अलाटियों से 'लाइसेंस डीड' की शर्तों को नरम करने के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर 'लाइसेंस डीड' पर हस्ताक्षर कराने का काम अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। जब मामले का अन्तिम रूप से निपटारा हो जायेगा तो इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जायेगी।

(ख)

मार्केट का नाम	किराये की बकाया रकम जो १ मई, १९६० से १ अगस्त, १९६० तक वसूल की गयी
प्लेजर गार्डन मार्केट	३९,६६७.६२ रु०
सरोजिनी मार्केट	२६,६७९.८२ रु०
न्यू सैन्ट्रल मार्केट	१२,८४६.५१ रु०
जोड़	७९,१९३.९५ रु०

पंजाब में कुटीर उद्योग

†४८४. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को कुटीर उद्योगगों के विकास के लिये १९५९-६० और १९६०-६१ में अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गयी; और

(ख) इस अवधि में किन-किन उद्योगों का विकास किया गया ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) पंजाब को कुटीर उद्योगों के विकास के लिये १९५९-६० में १ करोड़ ७५ लाख ३१ हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिये पंजाब को १९६०-६१ में अब तक ११.९० लाख रुपये दिये हैं। अन्य कुटीर उद्योगों के विकास के लिये १९६०-६१ में दी जाने वाली धनराशि का अधिकतम सीमा योजना आयोग द्वारा १३.५८ लाख रुपये निर्धारित की गयी है।

(ख) १. खादी (अम्बर खादी सहित)

२. ग्रामोद्योग

३. रेशम के कीड़े पालना

४. दस्तकारी

५. हथकरघा

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में अम्बर चरखे

†४८५. श्री दलबीर सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९६०-६१ में अब तक कितने अम्बर चरखे बांटे गये हैं;

(ख) कितने चरखों से काम लिया जा रहा है; और

(ग) उनसे सूत का कुल कितना उत्पादन हुआ है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) पंजाब में १९६०-६१ (मई, १९६० तक) में ५४ अम्बर चरखे बांटे गये हैं।

(ख) १५,२५८ ।

(ग) अम्बर चरखा कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के समय अर्थात् १९५६-५७ से लेकर मई, १९६० तक अम्बर चरखों पर ७.६९ लाख पौंड सूत काता गया है ।

पंजाब में खादी का उत्पादन

†४८६. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में १ जनवरी, १९६० से लेकर ३० जून, १९६० तक की अवधि में खादी का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) पंजाब राज्य में कितने खादी-बुनकर हैं; और

(ग) इस अवधि में उन्हें कितनी रकम अदा की गयी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) १ जनवरी से ३० जून, १९६० तक की अवधि में खादी के उत्पादन के सम्बन्ध में अभी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई । खादी और ग्रामोद्योग को प्राप्त अब तक की रिपोर्टों के अनुसार जाब में उक्त अवधि में ४१,६२,७४६ वर्ग गज खादी का उत्पादन हुआ ।

(ख) १८,१०० ।

(ग) १६,३८,१७१ रु० ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

४८७. श्री रामसिंह भाई वर्मा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन जगहों में विस्कोजरेयन उद्योग में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की गई है और कब से;

(ख) इस उद्योग के किन-किन केंद्रों में राज्य बीमा योजना लागू की गई है और कहां-कहां पर बीमाशुदा मजदूरों के लिये अस्पताल में इलाज करने की व्यवस्था नहीं है; और

(ग) ऐसे स्थानों के रोगियों को, जहां अस्पताल में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, किन केन्द्रों में भेजा जाता है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क)

बृहत्तर बम्बई में ३ अक्तूबर, १९५४ से

---

†भूल अंग्रेजी में

आलवई (केरल) में १६ सितम्बर, १९५६ से

नागदा (मध्य प्रदेश) में २७ सितम्बर, १९५९ से ।

(ख) और (ग). अस्पताल में इलाज कराने के लिए रोगी आलवई से अर्नाकुलम और नागदा से रतलाम जाते हैं ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा भारतीय डाक टिकटों की बिक्री

†४८८. **श्री अ० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा अर्जन करने के उद्देश्य से विदेशों में भारतीय डाक टिकटों को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से बेचने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). मामला विचाराधीन है ।

गोदी कर्मचारियों को सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का प्रशिक्षण

†४८९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० मांझी :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोदी-कर्मचारियों को सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का शिक्षण देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रशिक्षण का प्रबन्ध कब किया जायेगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) और (ख). पत्तन प्राधिकारियों और गोदी श्रम बोर्ड का, जिन्होंने इस प्रश्न पर विचार किया था, यह मत था कि विशेष प्रशिक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं ।

केरल में उद्योगों की स्थापना

†४९०. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केरल में सरकारी उद्योग क्षेत्र में बिजली के उपकरणों के निर्माण का एक कारखाना और कागज बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). केरल सरकार ने राज्य में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत बिजली के भारी उपकरणों के निर्माण का संयंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया है और उस पर विचार किया जा रहा है। किन्तु राज्य सरकार से सरकारी क्षेत्र में कागज के कारखाने की स्थापना करने का कोई सुझाव नहीं मिला।

निर्यात व्यापार में वृद्धि

†४९१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के निर्यात में १९६० की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस गति को बनाये रखने के लिये क्या पग उठाये गये है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) १९६० की पहली तिमाही में निर्यात व्यापार में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में २१ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

(ख) निर्यात व्यापार की वृद्धि पर यद्यपि विश्व-व्यापार में सुधार होने का भी प्रभाव पड़ा है किन्तु भारत सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिये किये गये उपायों का भी इस वृद्धि में काफी हाथ है। सरकार का विचार इन उपायों को चालू रखने का है।

सोवियत रूस से व्यापार तिनिधिमंडल

†४९२. { श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस के विदेशी व्यापार विशेषज्ञों के एक दल ने वहां के व्यापार उपमंत्री श्री स्मेलिकोव के नेतृत्व में मई, १९६० में भारत का दौरा किया;

(ख) क्या मंत्रालय ने प्रतिनिधिमंडल से कोई बातचीत की; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) और (ख). जी हां।

(ग) बातचीत का स्वरूप अन्वेषणात्मक था जिसका उद्देश्य दोनों देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत और रूस के बीच वस्तुओं के विनिमय की संभाव्यता की जांच करना था।

जाब में भारत सेवक समाज

†४९३. **श्री बलजीत सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के लिये भारत सेवक समाज को १९५९-६० और १९६०-६१ में कितना अनुदान दिया गया;

(ख) इस अवधि में किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पंजाब में भारत सेवक समाज की कितनी शाखाएं हैं ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) योजना आयोग द्वारा १९५९-६० और १९६०-६१ में भारत सेवक समाज को केवल पंजाब के लिये विशिष्ट रूप से निर्धारित कोई अनुदान नहीं दिया गया। योजना आयोग केन्द्रीय भारत सेवक समाज को लोक कार्य क्षेत्र कार्यक्रम के लिये अनुदान देता है। इस में से जाब में शुरू की गयी कार्यवाहियों के लिये अनुमानतः निम्नलिखित धनराशि व्यय की जायेगी :—

१९५९-६०	१३,३१८ रु० (प्राक्कलन)
१९६०-६१	४,२०० रु० (प्राक्कलन)

(ख) योजना आयोग ने कांगड़ा जिला (हुल्लर), अमृतसर जिला (अलाहदीनपुर) और रोहतक जिला (झज्झर) में १९५९-६० से चालू तीन लोक कार्य क्षेत्रों के लिये अनुदान दिया था।

(ग) आयोग को इस सम्बन्ध में पक्की जानकारी नहीं है।

दिल्ली में मोटर गाड़ियों का सम्भरण

†४९४. श्री राम गरीब : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कारों, स्कूटरों, मोटर साइकलों और आटो-साइकलों के सम्भरण की मौजूदा स्थिति कैसी है;

(ख) इनमें से किसी एक चीज़ को लेने के लिये सामान्यतः कितना समय लगता है; और

(ग) इन गाड़ियों के बेचने वाले दुकानदारों की 'वेटिंग' सचियों पर कितने आदमी हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) कारों, स्कूटरों, मोटर-साइकलों और आटो-साइकलों के संभरण की स्थिति यद्यपि इतनी अच्छी नहीं फिर भी देश भर में स्थिति में सुधार हो रहा है जिसमें दिल्ली भी शामिल है, से वर्ष उत्पादन में काफी वृद्धि ई है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है :—

गाड़ी	उत्पादन	
	पूरा वर्ष १९५९	आधा वर्ष जनवरी—जून १९६०
कारें	११,९९३	९,२१८
स्कूटर और आटो-साइकल .	३,९४०	५,८३८
मोटर-साइकल . . .	३,२३९	१,९३३

देश में उत्पादन में और वृद्धि होने के साथ साथ स्थिति में और सुधार होने की आशा है।

(ख) प्राप्ति की अवधि गाड़ी की किस्म पर निर्भर करती है। स्कूटरों आटो-साइकलों सम्बन्धी लम्बी 'वेटिंग' लिस्टों में भी, जिसका कारण १९५९ में कम उत्पादन होना था, १९६० के अन्त तक सुधार होने की आशा है क्योंकि दूसरे कारखाने में उत्पादन शुरू हो गया है और तीसरा कारखाना खोलने के लिये ला सेंस दे दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

मोटर-साइकलों की 'वेटिंग सूचियों' में भी सुधार होने की सम्भावना है क्योंकि उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है और मोटर-साइकलों के निर्माण के लिये एक अन्य कारखाने को लाइसेंस दिया गया है ?

(ग) इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है।

जाली पारपत्र

†४९५. { श्री हेम बरुआ :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान के लिये जाली पारपत्र देने पर जून, १९६० में दो व्यक्ति रायपुर में गिरफ्तार किये गये थे;

(ख) यदि हां, क्या सरकार को जाली पारपत्र बनाने के जाल का पता लगाने में सफलता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चीन जाने वाले भारतीय यात्री

४९६. श्रीमती मित्रमाता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में कितने भारतीयों को चीन जाने के लिये पारपत्र दिये गये; और

(ख) उनमें से कितनों को चीन सरकार ने वीसा (दृष्टांक) दिये ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) चीन के लिये जारी और पृष्ठांकित (एन्डोर्स्ड) किये गये पासपोर्टों की संख्या कुल मिला कर २४५ है।

(ख) यह सूचना नई दिल्ली स्थित चीनी राजदूतावास से ही सुलभ हो सकती है। इस सूचना के लिये उनसे प्रार्थना करना उचित नहीं मालूम होता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पलाई सेन्ट्रल बैंक का बन्द होना

†सभापक्ष महोदय : मुझे श्री पुन्नूस से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पलाई सेंट्रल बैंक के कथित बन्द हो जाने से छोटे छोटे हजारों निक्षेपकों यानी रुपया जमा करने वालों को गम्भीर आर्थिक तथा वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तथा दक्षिण के विशेषत: केरल के अन्य छोटे छोटे बैंकों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

मैं इसे एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय माने लेता हूं; माननीय मंत्री कल इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पुन्नूस (अम्बलपुजा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बैंक दक्षिण का एक प्रसिद्ध बैंक था और जब इसकी यह हालत हुई तो अन्य छोटे बैंकों का संरक्षण करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जिन बैंकों का संरक्षण किया जा सकता है उनका संरक्षण करने के बारे में सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

†श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : लक्ष्मी बैंक का दिवाला निकला लेकिन सरकार ने रुपया जमा करने वालों के हितों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की ।

†अध्यक्ष महोदय : इसका पलाई बैंक से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†श्री प्रभात कर (हुगली) : यह बताया गया है कि भारत के रिजर्व बैंक के आवेदन पर ही इस बैंक का दिवाला निकाला गया है । बैंक ने अपिनी कठिनाइयां दूर करने के लिये रिजर्व बैंक से कुछ सहायता मांगी थीं । परन्तु रिजर्व बैंक ने इसकी सहायता करने के बजाये, उच्च न्यायालय में इसका दिवाला निकालने के बारे में आवेदन कर दिया । हम वित्त मंत्री से यह जानना चाहते हैं कि रिजर्व बैंक ने इस बैंक को सहायता देने के बजाये, इसका दिवाला निकालने में क्यों सहयोग दिया ।

†श्री मोरारजी देसाई : यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं सभी बातें बताने को तैयार हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री इसी समय सभी प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हैं ?

†श्री मोरारजी देसाई : जी हां ।

†अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा । अब माननीय वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे ।

†श्री पुन्नूस : मैंने यह प्रश्न यहां इसलिये उठाया है कि लोगों में कुछ विश्वास पैदा हो । लेकिन वित्त मंत्री कहते हैं कि जिन बैंकों का संरक्षण किया जा सकता है, किया जायेगा । इससे तो स्थिति नहीं सुधरेगी ।

†श्री मोरारजी देसाई : मैं बता चुका हूं कि जिन बैंकों को संरक्षण देना आवश्यक होगा उन सभी बैंकों को संरक्षण अवश्य दिया जायेगा । यदि आप इस बैंक का इतिहास देखें तो आपको पता लगेगा कि यदि रिजर्व बैंक ने इसकी सहायता के लिये कुछ धन दिया होता तो वह भी बट्टे खाते ही जाता । मैं समझता हूं कि हमें जनता के धन का इस प्रकर दुरुपयोग नहीं करना चाहिये । मैंने सिर्फ इतना ही कहा था; मैंने कोई संकट पैदा करने के लिये ऐसा नहीं कहा था ।

श्रीमान् १९५१ में ही पता लग गया था कि इस बैंक में अग्रिम धन देने का काम सन्तोषजनक रूप में नहीं किया जा रहा है । इसी कारण रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में उनको कुछ हिदायतें दी थीं । इसके बाद १९५६ तथा १९५८ में बैंक का निरीक्षण करने पर यही पता लगा कि हालत अभी पूर्ववत् ही है, बल्कि कुछ बिगड़ी ही है । उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाने के लिये पुनः हिदायतें दीं ।

हमसे अब यह भी पूछा जा सकता है कि इस बैंक के विरुद्ध तुरन्त कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई । यदि १९५१ में कोई कार्यवाही कर ली गई होती तो सम्भवतया अधिक उचित होता । परन्तु केरल में स्थिति कुछ भिन्न प्रकार की है । १९५७ में केरल बैंकर्स संस्था ने रिजर्व बैंक को लिखा था कि केरल में बैंकों को लगातार लाइसेंस देने से जो इंकार किया जा रहा है उससे राज्य के बैंकिंग व्यवसाय पर बुरा असर पड़ रहा है और राज्य के बैंकों के बारे में लोगों में घबराहट और डर होने लगा है । इस

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

लिये केन्द्रीय बोर्ड की अनुमति से उस समय यह निर्णय किया गया कि इस बैंक को १९५८ में लाइसेंस देने से इंकार करने में जल्दी न की जाये। अन्यथा यह कार्यवाही हम उस समय ही कर सकते थे।

इसके बाद १९६० के आरम्भ में एक निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पता लगा कि इस बैंक की स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। बैंक के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही करने के बजाय और बहुत से ऐसे अग्रिम धन दिये गये, जिनका वसूल होना बहुत कठिन था। फिर बैंक से कार्यवाही करने के लिये कहा गया। बैंक ने कुछ कार्यवाही करना आरम्भ किया और इसीलिये रिजर्व बैंक धैर्य धारण किये रहा। इस बैंक ने इसके बाद राज्य बैंक के एक पदाधिकारी को चीफ एग्जीक्युटिव आफीसर नियुक्त किया जिसने रिजर्व बैंक को बताया कि इस बैंक की हालत सुधारने के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है; इसलिये इसके परिसमापन के बारे में जितनी जल्दी कार्यवाही की जाय उतना ही अच्छा होगा। जून में बैंक ने अपने लेखे प्रकाशित किये जिनमें १९५९ में १४.४७ लाख रुपये का घाटा दिखाया गया था; इस पर रुपया जमा करने वालों ने अपना रुपया वापस निकालना आरम्भ कर दिया और अब तक १५० लाख रुपया निकाला जा चुका है और लोग रुपया बराबर निकाले जा रहे हैं। यदि कार्यवाही में देर की जाती तो पास के लोग अपना रुपया वापस निकाल लेते जबकि दूर के रहने वालो को हानि होती।

इसीलिये रिजर्व बैंक ने बहुत विचार करके यह निर्णय किया कि इसका दिवाला निकाला जाये और इसके लिये न्यायालय में आवेदन किया और इसी कारण बैंक बन्द कर दिया गया।

इस बैंक की दिल्ली तथा नई दिल्ली में कुछ ब्रांचें हैं जिनमें लगभग दो करोड़ रुपया जमा है। इन ब्रांचों में से इन दिनों बहुत रुपया निकाला गया था और बैंक के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया था जिससे लोगों में विश्वास उत्पन्न हो। ऐसा मालूम होता है कि बैंक से जमा राशि में से १.५० करोड़ रुपया वापस निकाल लिया गया है और इस समय ८.५० करोड़ रुपया है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :— सावधि निक्षेप (फिक्स्ड डिपाजिट)—४ करोड़ रुपये; चालू खाता (करन्ट अकाउन्ट)—२.२५ करोड़ रुपये और बचत निक्षेप (सेविंग्स डिपाजिट)—२.२५ करोड़ रुपये। इसके अलावा बैंक की विभिन्न शाखाओं में केवल ५० लाख रुपया ही नकद राशि के रूप में है। क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर इसने पहले ही बहुत धन ले लिया है इसलिये अब यह इन सब प्रतिभूतियों पर केवल १ करोड़ रुपया और ले सकता है। इस प्रकार जबकि बैंक के दायित्व ८.५० करोड़ के हैं, उसकी परिसम्पत्, जिसमें नकद रुपया और सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर रुपया हासिल करने की शक्ति शामिल है, केवल १.५० करोड़ रुपये ही है।

बैंक की ऐसी हालत होने पर ही बैंक के नये जनरल मैनेजर बम्बई आये और उन्होंने रिजर्व बैंक को स्थिति समझाई। उनकी यह राय थी कि बैंक की हालत फिर से सुधारने का समय बीत चुका है; यह भी अनुभव किया गया कि भारत के रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा १८ के अन्तर्गत इसको रिजर्व बैंक द्वारा सहायता दिया जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि बैंक की हालत सुधरने के कोई आसार दिखाई नहीं देते। बैंक द्वारा दिये गये ३८ प्रतिशत अग्रिम धनों की तो वसूली करना सम्भव है ही नहीं और इसके अतिरिक्त २० प्रतिशत की वसूली भी सन्देहात्मक है। इसलिये धारा १८ के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा सहायता देना अनुचित ही होगा।

शनिवार को दक्षिण क्षेत्रों के स्थानीय बोर्ड की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई, जिसमें बोर्ड को सारी स्थिति समझाई गई। सर्वसम्मति से बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि हाल की बातों को देखते हुए बैंक की हालत में कोई सुधार नहीं हो सकता; इसलिये बैंक के अनिवार्यतः परिसमापन के सम्बन्ध

में कार्यवाही की जानी चाहिये । चूंकि रिजर्व बैंक ने भी यही उचित समझा इसलिये यह कार्यवाही की गई ।

श्रीमान्, इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ किया गया इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सकता था । परन्तु इसका ध्यान रखने के लिये कि इस बैंक के दिवाले का और बैंकों पर असर न पड़े, रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर को केरल भेजा गया है जिससे अन्य बैंकों की सहायता की जा सके । मैंने इसीलिये पहले बताया था कि जिनका संरक्षण किया जा सकता है किया जायेगा । लेकिन अगर कोई इसी तरह का बैंक होगा तो उसका संरक्षण करना बेकार सा होगा ।

†श्री प्रभात कार : श्रीमान् मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । १९५१ में जब यह पता लग गया था कि बैंक अग्रिम धन देने का काम ठीक तरह नहीं चला रहा है और १९५६–५७ में हालत और भी खराब पाई गई तो इसका दिवाला निकालने के बारे में १९६० तक क्यों प्रतीक्षा की गई ? रिजर्व बैंक ने कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं की ? सिवाय लेखों की जांच करने और रिपोर्ट दे देने के, रिजर्व बैंक ने इस बैंक के लिये और क्या किया ?

†श्री पुन्नूस : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बैंक को अनुसूचित बैंक कब बनाया गया था ?

†श्री मोरारजी देसाई : यह बैंक १९२७ में बनाया गया था और इसको १९३७ में अनुसूचित बैंक बना दिया गया था ।

जैसा कि मैं बता चुका हूं १९५१ में विशिष्ट हिदायतें जारी करके रिजर्व बैंक ने कार्यवाही कर दी थी । १९५८ में भी ऐसा हुआ था । केवल एक यही रास्ता था कि लाइसेंस देने से इंकार कर दिया जाये । यदि उस समय ऐसा कर दिया गया होता तो उसी समय संकट आ जाता । परन्तु उस समय ऐसा नहीं किया गया । १९६० में फिर हालत बहुत खराब हो गई । उस समय भी यह पता लगा था कि बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा रिजर्व आदि जिनका पुस्तक मूल्य ६२.८४ लाख था, पूर्णत: समाप्त हो चुकी है । उसने बैंकिंग समवाय अधिनियम की धाराओं का पालन नहीं किया था । इस लिये जब निरीक्षण कराया गया तो पता लगा कि जो कमियां पहले बताई गई थीं वह अभी भी हैं । तब हमें यह कार्यवाही करनी पड़ी । हमने पहले इस कारण इतनी कठोर कार्यवाही नहीं की थी क्योंकि केरल में बैंकों कि संख्या अधिक है और वह एक दूसरे पर बहुत आश्रित हैं । ऐसी कार्यवाही से वहां के सभी बैंक बन्द हो जाते ।

†श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : सरकार मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरैक्टर तथा मैनेजर के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

†श्री मोरारजी देसाई : यदि उन पर मुकदमा चलाने के कारण हुये तो अवश्य मुकदमा चलाया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सामुदायिक विकास तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : मैं सामुदायिक विकास तथा उस से सम्बद्ध कुछ क्षेत्रों के बारे में सातवें मूल्यांकन प्रतिवेदन (खण्ड १ तथा २) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—२२५४/६०]

उद्यान निदेशालय में कुछ पदों की भर्ती का विनियमन करने वाले नियम

†निर्माण आवास और संभरण मंत्री (श्री क० चं० रेड्डी) : मैं दिनांक १४ मई, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५४२ की एक प्रति जिसमें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान निदेशालय के श्रेणी १ तथा २ के पदों की भर्ती का विनियमन करने वाले नियम दिये गये हैं, जो संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक के अन्तर्गत बनाये गये थे, सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—२२५५/६०]

खादी मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन

†वाणिज्य तथा उद्योग उप-मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : मैं, श्री मनुभाई शाह की ओर से, खादी मुल्यांकन समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—२२५६/६०]

कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के निष्कर्ष

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं श्री आबिद अली की ओर से कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के २८ अप्रैल, १९६० को नई दिल्ली में हुए सातवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—२२५७/६०]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही

†गृह-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती आल्वा) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १९५७–५८ के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की जाने वाली कार्यवाही के विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—२२५८/६०]

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियमों में संशोधन

†विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १८३६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—२२५९/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे), १९६०-६१ के बारे में विवरण

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम): मैं वर्ष *१९६९-६१ के लिये आय व्यय का (रेलवे) के सम्बन्ध में अनदान की अनपूरक मांग का एक विवरण उपस्थापित करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

छपुई खास कोयला खान, रानीगंज में विस्फोट

†श्री अरविन्द घोषाल (उलुबेरिया): नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

१ अगस्त, १९६० को रानीगंज पश्चिम बंगाल की छपुई खास कोयला खान में विस्फोट

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के संसदीय सचिव (श्री ल०ना० मिश्र): जैसा माननीय सदस्यों को पता है, छपुई खास कोयला खान की श्रीपुर सीम में १ अगस्त, १९६० को सवेरे सवा सात बजे एक विस्फोट हुआ था। खान के मालिक मैसर्स भारत कौलियरीज़ लिमिटेड है तथा यह खान पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में है।

खानों के उप-मुख्य निरीक्षक ने इस दुर्घटना की जांच की है। मुख्य निरीक्षक तथा अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक भी दुर्घटनास्थल पर गये। ऐसा मालूम होता है कि दुर्घटना वाले दिन लगभग ६-३० बजे सुबह लगभग ६५ व्यक्ति श्रीपुर 'सीम' के 'पिट' संख्या ५ में उतरे थे। लगभग ७.१५ बजे "फायर डैम्प" में आग लग जाने से विस्फोट हुआ था और सम्भवतया मजदूरों द्वारा ले जाये जाने वाले खुले लैम्पों की लौ से आग लगी थी। पांच व्यक्ति विस्फोट के परिणामस्वरूप जल गये। इनमें से एक व्यक्ति उसी समय मर गया। शेष चार को अस्पताल में भरती करा दिया गया। बाद में इनमें से दो व्यक्ति और मर गए। एक को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है तथा दूसरा ठीक हो रहा है। खान को गैस वाली खान घोषित नहीं किया गया था क्योंकि पहले कभी इस खान में गैस नहीं मिली थी। परन्तु मजदूर ऐसी 'डाइक' के निकट पहुंच गए थे जहां से मालूम होता है, गैस निकल रही थी और इकट्ठा हो रही थी। इसकी ब्यौरे वार जांच की जा रही है। तीनों मृतकों के परिवारों के लिये खान प्रबन्धकों ने सहायता के रूप में अलग अलग ५०० रुपये दिये हैं तथा एक घायल मजदूर को २०० रुपये दिये हैं। यह उस रुपये के अतिरिक्त है जो मजदूरों के परिवारों को कामगार प्रतिकर अधिनियम के अधीन मिलेगा।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट): क्या यह सच है कि क्रियान्विति समिति की सिफारिश होने पर भी कि ठेकेदारी प्रथा खानों में नहीं लागू की जानी चाहिये, यह खान ठेके पर ही चल रही थी। घटना से पहले गर्म पानी खान से बाहर निकल रहा था परन्तु फिर भी ठेकेदार ने मजदूरों को काम पर लगाये रखा और फिर यह गैस दुर्घटना हुई; क्या यह भी सच है?

†श्री ल० ना० मिश्र: हम निरीक्षक के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतिवेदन मिलने पर हमें सारी बातें मालूम हो जायेंगी और तब हम देखेंगे कि क्या मामला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह भी सच है कि कोयला खान मजदूर सभा द्वारा टेलीफोन किये जाने पर भी निदेशालय से चार घण्टे बाद लोग घटनास्थल पर पहुंचे ?

†श्री ल० ना० मिश्र : मैं नहीं जानता।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या कोई जांच न्यायालय स्थापित किया जा रहा है; यह सब मामला बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : जांच तो हो रही है। जब भी कभी दुर्घटना होती है तो उसके लिये जांच न्यायालय नहीं बिठाया जाता।

अत्यावश्यक सेवायें निर्वहन अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प और केन्द्रीय सरकार के कुछ कमचारियों की हाल की हड़ताल के बारे में प्रस्ताव—जारी

†सभापति महोदय : अब सभा श्री नौशिर भरूचा द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प पर चर्चा करेगी कि

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा ८ जुलाई, १९६० को प्रख्यापित अत्यावश्यक सेवायें निर्वहन अध्यादेश, १९६० (१९६० का अध्यादेश संख्या १) का अनुमोदन करती है।"

इसके साथ ही सभा माननीय गृह-कार्य मंत्री द्वारा रखे गये प्रस्ताव तथा उसके संशोधनों पर भी आगे विचार करेगी।

†श्री खुदाबख्श (मुर्शिदाबाद) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। अत्यावश्यक सेवायें निर्वहन अध्यादेश, १९६० को अवैध घोषित कराने के लिये मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों में मामले दायर किये गये हैं। यह प्रश्न जनता के मूलभूत अधिकारों का है। सरकार नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। अब चूंकि यह मामला दो उच्च न्यायालयों में दायर हो चुका है और न्यायाधीन है, इसलिये इस पर किसी भी विधान मण्डल में वाद-विवाद नहीं हो सकता। दो उच्च न्यायालयों में अपीलें की गई हैं कि यह अध्यादेश संविधान की शक्ति से परे है। उनमें कहा गया है इस अध्यादेश का मतलब होता है बलात् श्रम या बेगार जिसे की संविधान में मनाही है।

†श्री नौशिर भरूचा (पूर्व खान देश) : मेरा निवेदन यह है कि न्यायाधीन विषय पूरा अध्यादेश नहीं है। माननीय सदस्य के अनुसार न्यायाधीन विषय केवल यह है कि बलात् श्रम इसका अर्थ होता है या नहीं। हो इसके अतिरिक्त अन्य विषयों पर यहां चर्चा की जा सकती है। और दूसरी चीज यह है कि वैसे भी और बलात् श्रम के बारे में भी इसके राजनीतिक पहलू पर तो चर्चा की जा सकती है, वैधानिक पहलू छोड़ा जा सकता है।

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : मैं श्री नौशीर भरूचा की बात से पूरी तरह सहमत तो नहीं, लेकिन संकल्प गृहीत हो चुका है और हम इस पर एक दिन चर्चा कर ही चुके हैं, अब इस अवस्था पर यह औचित्य प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है ?

†श्री खुदाबख्श : यदि औचित्य प्रश्न माना जाय तो कार्यवाही स्थगित की जा सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कल उठाया जा सकता था। और फिर, न्यायाधीन विषय बलात श्रम होने न होने का है, उसका उल्लेख चर्चा में नहीं किया जाना चाहिये। माननीय प्रधान मंत्री!

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): कल इसकी बहस के दौरान में कई बातों का जिक्र किया गया था जैसे सरकार की मजदूर नीति, कीमतें, वगैरह। मैं तो समझता हूं कि सभी बातें इससे ताल्लुक रखती हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसका ताल्लुक दुनिया भर की बातों से है और उन सभी को इसकी बहस में समेटा जा सकता है। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं यहां; लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम इस विषय से सीधा ताल्लुक रखने वाले कुछ खास मसलों पर ही बहस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वे खास मसले हैं : आम हड़ताल पर विचार करना, यानी अगर एक मोटे तौर पर कहा जाये तो यह विचार करना कि आम हड़ताल ठीक थी या नहीं, दूसरे यह कि सरकार ने उसके बारे में जो कार्यवाही की, अध्यादेश जारी किया, वह भी ठीक था या नहीं-इस पर विचार करना।

माननीय सदस्यगण आम हड़ताल के सवाल पर विचार करते हुए बड़ी-बड़ी दूर की कौड़ियां ले आये थे। वे मजदूर नीति पर बोलते हुए सरकार की ग़लतियों को छः महीने या एक साल ही नहीं बल्कि आठ-दस साल पहले की सरकार की ग़लतियों को गिनाने लगे थे। दलील यह थी कि वे सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक से दूसरी पैदा हुई है। ग़लतियों की वजह से ऐसे हालात बन गये कि कर्मचारी सोचने लगे कि कुछ करना जरूरी है और तभी हड़ताल के नेताओं ने हड़ताल की बात सोची और तभी संयुक्त संघर्ष समिति बनाई गई। हां, वक्त की धारा तो आगे चलती ही जाती है और एक से दूसरी चीज़ पैदा होती जाती है। किसी चीज़ को बिल्कुल ही अलग करके नहीं देखा जा सकता। यह सही है कि उन बातों ने इसे एक शक्ल दी है, शक्ल देने में उनका हाथ रहा है। लेकिन हमें इन सब बातों पर विचार नहीं करना है, इस सब मामले में अंग्रेज शासन के जमाने की कई बातों का, पिछले सौ साल की कई बातों का भी हाथ रहा है, क्योंकि अंग्रेज शासन ने ही हमारे आर्थिक ढांचे को ऐसी शक्ल दी थी, ऐसे सांचे में ढाला था। लेकिन उन सब बातों पर हमें चर्चा नहीं करनी है आज।

हमें देखना यह है कि आज क्या परिस्थिति है, या आज से कुछ महीने पहले हड़ताल का नारा जब दिया गया था तब क्या परिस्थिति थी; इन परिस्थितियों में हड़ताल ठीक थी या नहीं। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं देखना है। इसलिये सबसे पहला सवाल यह है कि जिन परिस्थितियों में हड़ताल का नारा दिया गया था, जब हड़ताल हुई थी, उस वक्त वह होनी चाहिये थी या नहीं। और दूसरा सवाल यह है कि हड़ताल होने पर सरकार का अध्यादेश जारी करना उचित था या नहीं। ये दोनों सवाल बड़े सादा से हैं, हालांकि उनके साथ कई पेचीदा बातें भी जुड़ी हुई हैं।

श्री अशोक मेहता ने बड़े जोर से कहा है कि यह राजनीतिक हड़ताल नहीं थी। उन्हों ने खेद प्रकट किया कि मैं ने उस के लिये 'सिविल रिबैलियन' का शब्द इस्तेमाल किया था जो सब हुआ उस का कोई हवाला दिये बगैर, मैं इस सिलसिले में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हर आम हड़ताल राजनीतिक हड़ताल होती है। राजनीतिक हड़ताल बने बगैर, बड़े गहरे राजनीतिक प्रभाव डाले बगैर, आर्थिक असर आदि की बात छोड़ दीजिये, कोई हड़ताल आम हड़ताल नहीं बन सकती। हड़ताल की अगुआई करने वाले चाहे उस के राजनीतिक प्रभाव को न समझें, या न सोचें, पर हर आम हड़ताल अपने राजनीतिक असरात साथ लाती है। हड़ताल के नेता अपने सीधेपन के कारण

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उसे न समझ पायें, यह दूसरी बात है। मैं अपने पूरे जोर के साथ कहता हूं कि जिस तरह की आम हड़ताल का नारा दिया गया था, उस के बड़े-बड़े गहरे राजनीतिक प्रभाव होते हैं और इस मायने में वह राजनीतिक हो जाती है। बात साफ है। अगर ऐसी हड़ताल कामयाब हो जाये तो उस के बड़े गहरे राजनीतिक नतीजे निकलते हैं, और अगर नाकामयाब हो जाये तो कुछ दूसरे तरह के राजनीतिक नतीजे निकलते हैं, उन का असर बड़ी दूर-दूर तक पड़ता है और आर्थिक रूप से देश को और हड़ताल के उकसावे में आने वाले बेचारे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचता है।

मैं चाहता हूं कि सभा इस मोटे से सिद्धान्त पर, उसूल पर विचार करे, हड़ताल में जो भी कुछ हुआ उस को अलग रख कर। मैं तो समझता हूं कि सभी को मानना पड़ेगा कि आम हड़ताल का जबर्दस्त राजनीतिक असर पड़ता है, और उस असर से काफी उलट-पुलट, गड़बड़ी होती है। हड़ताल कराने वालों का मशा ऐसी उलट-पुलट और गड़बड़ी पैदा कराने का है या नहीं, यह तो लोगों की दिमाग़ों की बात है और मुश्किल यह है कि मैं कैसे समझ सकता हूं कि दूसरों के दिमाग़ में क्या है।

श्री अशोक मेहता ने कर्मचारियों और आम मजदूरों का सोचने-समझने के मामले में परिपक्व होने की ज़रूरत का जिक्र किया। ठीक है। लेकिन मुझे ज्यादा फिक्र तो उन लोगों की है जिन्हों ने हड़ताल की अगुआई की थी। उन के सोचने-समझने में भी कुछ परिपक्वता आनी चाहिये। उन्हें कुछ ज्यादा संजीदगी से, इन सवालों को, इन के नतीजों को समझना चाहिये; यह नहीं कि गधे तक की सवारी करने लायक न होते हुए, शेर की सवारी करने की कोशिश करने लगें (अन्तर्बाधायें)। मुझे तो हैरानी होती है, ताज्जुब होता है इस बात पर यह सारी चीज़ इतने गैर जिम्मेदाराना ढंग से कैसे की गई। हड़ताल में जो भी कुछ हुआ, एक मोटे तौर पर हमारे सामने है। मैं अभी उन की बात नहीं करता। उन से अलग, मैं ने यह एक आम उसूल आप के सामने रखा है कि हर आम हड़ताल अपने आप में, उस के परिणामों की वजह से, एक विध्वंसक कार्यवाही होती है। ऐसी कार्यवाही के लिये कारण मौजूद हों या न हों; यह अलग बात है, लेकिन जब ऐसी कार्यवाही की जायेगी तो उस के जरूरी नतायज तो निकलेंगे।

अब जरा देखिये कि यह हड़ताल थी किस क़िस्म की। नारा दिया गया कि रेल का पहिया नहीं चलेगा। इस का मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि देश के तमाम हिस्सों में खाने का सामान पहुंचाने वाली रेलें नहीं चलें; बड़े-बड़े कारखानों को कोयला नहीं मिले; इस्पात के कारखाने ठप्प हो जायें, सारा उद्योग चौपट हो जाये। हम अपने युद्ध सामग्री कारखानों और अपने देश की सीमा पर अपने देश की प्रतिरक्षा की कुछ खास कोशिशें भी कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि कुछ लोग हमारी इन कोशिशों का मज़ाक उड़ाते हैं, कुछ माननीय सदस्य समझते हैं कि ये सब बेकार बातें हैं। इस सभा के कुछ सदस्य और इस सभा में एक पार्टी के कुछ सदस्य देश की प्रतिरक्षा और इस के खतरों के बारे में बिना किसी संजीदगी के बातें करते हैं और लेख लिखते हैं। जिस तरह ये लोग इतना ज्यादा और लगातार प्रचार करते हैं उस को देख कर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है—ऐसा प्रचार जो भारतीय कहलाने वाले किसी को भी शोभा नहीं देता।

पर यहां सवाल यह है कि क्या हड़ताल कराने वाले इन दूसरे महानुभावों ने, जिन की शायद यह-नीति या दृष्टिकोण नहीं था कि देश का सारा काम ठप्प हो जायें, हड़ताल के नतीजों के बारे में सोचा था, चाहे यह नतीजे युद्ध-सामग्री कारखानों के बारे में हों या देश की सीमा पर हों, जहां

हर चीज़, खाने-पीने की चीजें वगैरह पहुंचानी पड़ती हैं ? वहां हर छोटी से छोटी चीज़ तक भेजनी पड़ती है । क्या उन लोगों ने सोचा था कि हड़ताल के क्या नतीजे यहां निकल सकते हैं ? हड़ताल होने से पहले, मैं ने जनता के नाम जो सन्देश दिया था, उस में मैं ने इस बात पर जोर दिया था । मेरा अनुरोध है कि सभा इस आम उसूल के अलावा, इस बात पर भी गौर करे कि हड़ताल के परिणाम देश की खाद्य-स्थिति, औद्योगिक स्थिति और प्रतिरक्षा की स्थिति के लिये कितने भयंकर हो सकते थे ।

श्री अशोक मेहता ने कहा कि हड़ताल के इतने भयंकर परिणाम इसलिये नहीं निकल सकते थे कि सिर्फ २५ प्रतिशत कर्मचारी हड़ताल पर थे । मैं नहीं जानता कि हड़ताल कराने वालों ने पहले से सोच लिया था कि सिर्फ २५ प्रतिशत ही हड़ताल करेंगे ; न ज्यादा , न कम !

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : केवल २५ प्रतिशत कर्मचारियों ने हड़ताल का नोटिस दिया था । सरकार ने खुद यह माना है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं मानता हूं । लेकिन क्या हड़तालियों के नेता भी यही चाहते थे कि सिर्फ २५ प्रतिशत कर्मचारी हड़ताल करें ?

†**श्री अशोक मेहता** : जाहिर है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: : जी नहीं । बिलकुल साफ़ चीज़ है हमारे सामने कि हड़तालियों के नेताओं के लाख चाहने पर भी ७५ प्रतिशत कर्मचारी उस में शामिल नहीं हुए । मुझे बड़ा ताज्जुब है, हैरत है कि हड़ताल करने वाले इतने गैर-जिम्मेदार कैसे हो गये । मैं यहां आर्थिक पहलू की बात नहीं कर रहा हूं । सरकारी कर्मचारियों को तकलीफ़ें हो सकती हैं---हमें उन को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये—यह बात अलग है और यह भी अलग बात है कि हड़ताल करने के लिये वजह मौजूद थी या नहीं । इन के सब के बाद भी, हड़ताल करना बुनियादी तौर से ग़लत और बुरा था ।

लेकिन ताज्जुब तो इस बात का है कि हड़ताल को नाकामयाब होते देख कर भी कुछ लोगों ने बिना किसी हिचक या झिझक के हड़ताल की तारीफ की और कहा कि हम ने बड़ा अच्छा काम किया, हड़ताल कराई ! उन को अपने किये पर कोई पछतावा ही नहीं । न वे समझदारी से इस पर चर्चा ही करना चाहते हैं । वे कम से कम अपनी ग़लतियों का प्रायश्चित तो कर सकते थे । लेकिन ऐसा नहीं किया गया और यही बात खतरे की है ।

जोश या तेज़ी में आकर ग़लतियां तो सभी करते हैं---सरकार भी और विरोधी दल के लोग भी ; कोई ऐसा नहीं जो ग़लतियां न करता हो,—शायद स्वर्ग के देवदूत या संत, अगर कहीं हैं, तो ग़लतियां न करते हों । आदमी की खूबी यह नहीं कि वह ग़लती ही न करे, बल्कि यह है कि अगर ग़लती की हो तो उसे ग़लती मान ले और फिर ठीक करने की कोशिश करे । लेकिन हड़ताल के नेताओं की ओर से ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती । उन्हें कोई अफ़सोस नहीं दिखता, हालांकि ग़लती इतनी बड़ी है कि आंख में उंगली डाल कर अपने आप को दिखा रही है ।

और बातों को जाने दीजिये, उन को कम से कम यह बुनियादी बात तो समझनी चाहिये कि देश की समूची जनता इस हड़ताल के खिलाफ थी । समूची जनता इस के खिलाफ खड़ी हो गई थी और इसी से इसे दबा दिया गया था । लेकिन इन लोगों को तब भी जरा सी अक्ल नहीं आई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सब से पहली बात तो मैं आप के सामने यह रखता हूं कि आम हड़ताल जरूरी तौर पर राजनीतिक हड़ताल होती है। उसे नाम जो भी दिया जाये, वह होती राजनीतिक ही है, इसलिये कि उस के बड़े गहरे परिणाम निकलते हैं। और दूसरी चीज यह कि इस पिछली हड़ताल का संगठन जिस ढंग से किया गया था, उस का साफ मंशा था हमें नुकसान पहुंचान , देश की अर्थव्यवस्था, खाद्य स्थिति, औद्योगिक तथा प्रतिरक्षा-स्थिति को धक्का पहुंचाना। नुकसान किस हद तक पहुंचाना चाहते थे, यह दूसरी बात है। वह इस बात पर निर्भर थी कि हड़ताल कितनी फैल पाती है और कितनी सफल होती है। हड़ताल की असफलता जितनी अधिक होती है, उस का असर भी उतना ही कम पड़ता है, । सही है, लेकिन हड़ताल कराने वाले लोग तो उसे ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाना चाहते हैं। नाकामयाबी तो उन की कोशिशों के बावजूद होती है।

इसीलिये मैं इसे एक इन्तहाई गैर-जिम्मेदाराना काम कह रहा हूं। इस से हड़तालियों को कोई लाभ हो ही नहीं सकता था। इस के नाकामयाब रहने पर हड़तालियों में निराशा आनी ही थी, और सभी जानते थे कि यह हड़ताल कामयाब नहीं हो सकती। उन को रुपये-पैसे का भी नुकसान होता है। मैं उन की बात नहीं कर रहा हूं जिन्हों ने ग़लत ढंग से काम किये और जिन्हें शायद सजा मिले, उन्हें तो ज्यादा नुकसान होगा ही—लेकिन मैं आम कर्मचारियों की बात कर रहा हूं, जो बिना जाने-बूझे इस में किसी तरह फंस गये थे। उन को भी कुछ नुकसान उठाना पड़ता है।

अब थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि अगर हड़ताल किसी एक हद तक कामयाब हो जाती तब फिर ? जाहिर है कि उस से कुछ राजनीतिक परिणाम निकलते। तब अगर ससद् बनी रहती, तो यहां सरकारी बैन्चों पर कोई और बैठा होता, और हमें कहीं और बैठना पड़ता। और हड़ताल की कामयाबी के दौरान में देश को बहुत भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती।

मुझे तो यकीन नहीं कि ऐसी हड़ताल, कामयाब होने के बाद भी हमारे यहां संसद का काम चलता, और चलता भी तो किस रूप में, मैं नहीं जानता। इसलिये कि यह तरीका संसद् के ढंग से परिवर्तन करने का है ही नहीं। आम हड़ताल का रास्ता, संसदीय और लोकतंत्रात्मक सरकार का एकदम उल्टा है।

इसीलिये मैं कह रहा हूं कि यह एक इन्तहाई गैर जिम्मेदाराना तरीका था काम करने का। मैं अपने पूरे जोर के साथ इसे फिर दोहराता हूं कि यह कुछ ऐसे अधकचरे और गैर-जिम्मेदाराना लोगों का काम था जो शेर की सवारी सीखे बिना किसी तरह उस की पीठ पर बैठ गये। फिर वे नहीं समझ सके कि अब क्या करें और उस की पीठ से उतर ही नहीं पाये। बड़ा मुश्किल काम होता है ; ऐसी सवारी करना उन अधकचरे लोगों के लिये हमेशा ही बहुत मुश्किल होता है जो जानवरों पर सवारी करना नहीं जानते। सही बात है।

मैं कह ही चुका हूं कि यह हड़ताल एक गलत चीज थी। इस के कारण जो भी रहे हों, लेकिन हड़ताल करना बुनियादी तौर पर ग़लत था। मैं इसी बात को सब से ज्यादा महत्व देता हूं। और फिर देखिये हड़ताल का कारण था क्या ? कारण बताया जाता है कि वेतन आयोग ने उन की कुछ मांगों के साथ इन्साफ नहीं किया था। अब ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि इस मामले में दो रायें हों। वेतन आयोग किसी राजनीतिक दल के लोगों का तो था नहीं। उस में राजनीति से बाहर के लोग, काफी प्रतिष्ठित लोग थे। उन में एक न्यायाधीश भी थे ; उन लोगों ने इस पर दो-तीन साल तक विचार किया था। मैं यह नहीं कहता कि इसलिये आयोग ने जो बात कही वह ठीक ही होनी चाहिये। फिर भी उन के ठीक होने की गुंजाइश तो ज्यादा हो जाती है। मैं उन की बात को

एकाएक ग़लत तो नहीं कह सकता, इसलिये कि मैं ने तो उस मामले पर दो साल तक गौर नहीं किया। इसलिये अगर आप आयोग की बात से पूरी तरह सहमत नहीं होते, तो भी उस की कुछ इज्जत तो कीजिये ।

हो सकता है आप आयोग की सिफारिशों से सहमत नहीं हैं ; और वेतन आयोग तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की राय तथा आप की अपनी राय में कुछ अन्तर हो । मैं तो कहता हूं कि हो सकता है कि उन की राय ग़लत हो और आप की ही ठीक हो; ऐसा हो सकता है । लेकिन क्या अपनी राय ठीक मान कर इस हद तक बढ़ना भी उचित है कि पूरे देश में गड़बड़ी मचा दी जाये, आम हड़ताल के जरिये, जिस के इतने गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं, और जो भविष्य में वेतन आयोग बनाने जैसे तरीकों को अपनाने की गुजाइश को ही खत्म कर दे क्योंकि इस के बाद फिर वेतन आयोग में शामिल होना कौन पसन्द करेगा ?

आप बताइये कि किस उसूल की बिना पर, किस समझदारी से आप इसको उचित ठहरायेंगे ? इसे उचित ठहराने के लिये लोग कह सकते हैं कि यही १९५५ में हुआ था, और यही १९५६ और १९५८ में भी हुआ था । मैं इस सब को मानने को तैयार हूं लेकिन इस के बावजूद मैं फिर यही कहता हूं कि आम हड़ताल की बात बुनियादी तौर पर ग़लत और गैर-जिम्मेदाराना थी ।

सरकार की मजदूर-नीति ठीक नहीं, आप जिस भी नीति के बारे में चाहें खूब दिल खोल कर बहस करें । लेकिन देश को तबाह करने वाली आम हड़ताल से ऐसी किसी बहस का क्या ताल्लुक ? और हड़ताल के लिये वक्त भी कौन सा चुना गया ! ठीक वही वक्त जब हम ने महीनों की कोशिश और मेहनत के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा देश के सामने रखा । हो सकता है कि जान बूझ कर यह वक्त न चुना गया हो ; हो सकता है कि यह एक इत्तिफ़ाक़ ही हो । लेकिन वक्त तो वही था न, जब हम देश की जनता का दिमाग रचनात्मक काम और मेहनत की तरफ लगाना चाहते थे । हमारे ऊपर बोझ पहले ही बहुत ज्यादा था । इस पर यह आम हड़ताल का फ़ैसला । मैं पूछता हूं क्या इसी तरह देश का भविष्य बनाया जायेगा ?

विरोधी दल के माननीय सदस्यों के लिये मेरे दिल में बड़ी इज्जत है, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि वे कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लेते हैं, या यह कि वे इन गम्भीर मामलों के बारे में कभी कुछ सोचते भी हैं । स्पीचें देना तो सब से आसान है, कोई भी दे सकता है । मैं भी बोल सकता हूं । श्री अशोक मेहता भी हमेशा की तरह धड़ल्ले से बोल सकते हैं । सही है । लेकिन यह एक अलग बात है । आखिर सभी स्पीचों के पीछे कुछ समस्यायें भी होती हैं, उन के पीछे देश की कुछ परिस्थितियां भी होती हैं, जिन के बारे में ये स्पीचें दी जाती हैं और जिन को उन स्पीचों से मिटाया नहीं जा सकता । मैं पूछता हूं कि क्या देश की ग़रीबी मिटाने के इस संघर्ष के दौरान में आम हड़ताल के रास्ते पर चल कर देश की कोई भी समस्या सुलझाई जा सकती है, हल की जा सकती है ? हम ने इस के लिये रास्ता अपनाया है कड़ी मेहनत का, पूंजी जमा करने का, बचत करने का, वग़ैरा, वग़ैरा । ऐसे सुझाव भी रखे जाते हैं जिन को आयोजन का काम खत्म किये बिना अमल में नहीं लाया जा सकता । इस में शक नहीं कि इस से श्री मसानी को बड़ी खुशी होगी । (अन्तर्बाधा) इसलिये कि तब पूंजीपतियों के पौबारह हो जायेंगे, कहीं कोई नियंत्रण नहीं रहेगा और निजी उद्योगपति हरे-भरे पेड़ों की तरह अपनी शाखायें फैला सकेंगे । हमारा दुर्भाग्य यह है कि वही निजी उपक्रमी, यहां तक कि वही निजी पूंजीपति, जो दूसरे देशों में थोड़ी-बहुत अक्ल से काम लेता है और पुरानी

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

तरह के पूंजीवाद में तब्दीली कर के जिस ने आधुनिक ढंग का पूंजीवाद बना लिया है, इंगलेण्ड और फ्रांस वगैरह में, वह भारत में अभी अपनी पुरानी लीक पर ही अड़ा हुआ है, उस में कोई आधुनिकता नहीं आई है ।

†श्री मो० रु० [illegible] (रांची—पश्चिम) : न ही आप के समाजवाद में आई है ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इसलिये मुझे बड़ा ताज्जुब होता है यहां देख कर कि हमारे यहां पूंजीवाद और निजी उपक्रम के नाम पर कैसी-कैसी बातें कही जाती हैं, योजनाओं के खिलाफ़ कैसा-कैसा प्रचार किया जाता है--ऐसा जिस से कुछ कम-अक्ल लोगों को छोड़ कर दुनिया भर में और कोई भी समझदार आदमी सहमत नहीं हो सकता ।

जब हम कोई बड़ा काम करते हैं, तो उसे बड़े पैमाने पर ही करना पड़ता है और उस के लिये अपना दृष्टिकोण भी बड़ा बनाना पड़ता है । मैं ने भारत की परिस्थिति, पंचवर्षीय योजनाओं और सीमान्त की परिस्थिति के बारे में आप को बताया है । मेरा मतलब यह नहीं कि देश की सीमा पर कोई लड़ाई होने जा रही है । लेकिन हमें यह तो महसूस करना चाहिये कि हमारे देश के सामने ये बड़ी गम्भीर समस्यायें हैं और हम इन का हल करने में अपनी एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं । उम्मीद है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी इसे महसूस करेंगे, बावजूद इस बात के कि उन की आंखों पर बड़े मोटे रंगीन चश्मे चढ़े हुए हैं जिन की वजह से उन्हें चीजें साफ़ नहीं दिखाई देतीं । यह समस्यायें बड़ी गम्भीर हैं, और इसीलिये इन की जिम्मेदारी भी इतनी ही बड़ी है हमारे कंधों पर । ऐसी परिस्थिति में हम आम हड़ताल जैसी चीजों को ले कर खिलवाड़ नहीं कर सकते ।

इस के अलावा, आप जरा आंख उठा कर दुनिया के हालात भी देखिये । सभी जानते हैं कि पिछले तीन-चार महीनों में परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है । "यू-टू" कांड और शिखर सम्मेलन के असफल होने के बाद से स्थिति बिगड़ती ही जा रही है । यह बड़ी खतरनाक बात है । कोई नहीं कह सकता कि ढंग कहां छिड़ जाये, किस मामले पर । अफ्रीका में भी छिड़ सकती है और यूरोप या एशिया में भी । सभा में लम्बी-चौड़ी स्पीचें देते वक्त और आम हड़ताल के नोटिस देने और उस के लिये 'संघर्ष-समिति' बनाने के वक्त, क्या लोगों ने इस बड़े खतरे को भी अपने सामने रखा है ?

भारत में यह 'संघर्ष समिति' वाली चीज भी बड़ी अजीब सी हो चली है । पता नहीं ऐसी समितियों की शुरूआत कहां से हुई थी । शायद विद्यार्थियों ने इसे शुरू किया था । और, विद्यार्थियों की मनोवृत्ति को एक हद तक माफ़ भी किया जा सकता है । लेकिन एक उमर के बाद कहीं ज्यादा संजीदा ढंग से काम किया जाता है । (अन्तर्बाधायें) इस हड़ताल के लिये भी एक संघर्ष समिति बनाई गई थी । हड़ताल तो एक खास अर्से के लिये होती है, लेकिन अजीब बात है कि संघर्ष समिति बनी ही है और उस की बैठकें होती रहती हैं ।

इसीलिये मैं कहता हूं कि हमें इन मामलों पर विचार करना पड़ेगा । हमारी परिस्थिति जैसी है, उस में कोई भी, किसी भी तरह की सरकार क्यों न होती, उसे आम हड़ताल की चुनौती का पूरा जवाब देना ही पड़ता और कोई चारा ही नहीं था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास जी ने मेरी उदार नीति आदि का जिक्र किया । अगर मैं उदार बन कर काम करता हूं--तो मुझे खुशी है । लेकिन ऐसी परिस्थिति में चुनौती का सामना करना बहुत जरूरी ही था । सामना न किया जाता तो दूसरा रास्ता यह था कि सरकार इस्तीफा दे कर अलग हो जाये और दूसरों को सामना करने दे । सामना तो करना ही था, जैसे भी हो । और जब सामना करना था, तो उस के लिये एक कानूनी तरीका भी अपनाना था, जो अध्यादेश के जरिये किया गया था । और एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज तो यह है कि लोग हर तरह की उलटपुलट करते हैं, हमलावराना हरकतें और यहां तक कि हिंसा के काम तक करते हैं और हमारे खिलाफ, और फिर हम से ही आ कर कहते हैं कि हम ने उन के साथ सख्ती की है, उन के लोगों को जेल में डाल दिया है, यह किया और वह किया है उन के साथ । साफ सी चीज है कि आप बबूल बोयेंगे तो बबूल ही काटेंगे, जंग के तरीके अपनायेंगे किसी के खिलाफ तो उस का नतीजा जंग ही होगा । यह उम्मीद करना तो फिजूल है कि एक तरफ से चोट पर चोट होती रहे, हर तरह का नुकसान पहुंचाया जाता रहे और दूसरी तरफ के लोग झुकते चले जायें । मैं मानता हूं कि बड़े-बड़े संत-महात्माओं ने इसी नीति का प्रचार किया है और आचार्य कृपालानी ने संतों की बातों को काफी पढ़ा-लिखा है इसलिये वह भी और अन्य लोग भी यही नीति अपनाने की बात कह सकते हैं । लेकिन दुनिया भर में कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी सरकार ऐसी नीति पर नहीं चलती । कोई भी सरकार ऐसा नहीं करती कि लोग उसे नेस्तनाबूद करने पर तुले हों, देश को तबाह करने पर तुले हों, सरकार पर चोटें कर रहे हों, और सरकार वह सब बर्दाश्त करती जाये । ऐसी हालत में यह बिलकुल लाजिमी हो जाता है कि सरकार देश के हितों की रक्षा के लिये हर मुमकिन कोशिश करे ।

मैं भली भांति जानता हूं कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आने और उस के बारे में सरकार के खास-खास फैसलों के ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी नाउम्मेदी हुई थी । उन्हें कुछ और ज्यादा मिलने की उम्मीद थी । ठीक है, अगर मैं उन की जगह होता, तो मैं भी कुछ ज्यादा पाने की उम्मीद करता । बात समझ में आती है और इस से मुझे कोई शिकायत नहीं क्योंकि हमारे देश में लोग जिस मुश्किल से गुजर-बसर कर रहे हैं उस में ऐसी उम्मीद करना बिलकुल स्वाभाविक है । वैसे शायद सरकारी कर्मचारी दूसरे तबकों के लोगों से कहीं अच्छे हैं । फिर भी, हम आम तौर से अलग अलग तबकों का मुकाबला नहीं करते । हम यह नहीं कहते कि हम दूसरों से अच्छी हालत में हैं और इसलिये ज्यादा खुश हैं । मैं मानता हूं कि ऐसे सभी मामलों पर अलग अलग विचार करना चाहिये । खैर तो सरकार के खास-खास फैसलों के ऐलान के कई महीने तक हड़ताल की कोई चर्चा सुनाई नहीं दी थी और अजीब बात तो यह है कि अगर कोई सवाल भी उठाया गया तो शनिवार की छुट्टियों का । इस पर आपत्ति की गई । जाहिर है कि यह कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है । हो सकता है कि इस पर ऐतराज किया जाये, लेकिन यह तो नहीं कि इसे ले कर हड़ताल कर दी जाये । शनिवार की छुट्टी हो या नहीं, इस के बारे में मैं कोई राय नहीं देना चाहता । लेकिन एक मोटे तौर पर मेरा ख्याल है कि हमारे देश में छुट्टियां जरूरत से ज्यादा होती हैं और काम बहुत कम । हम जब तक ज्यादा डट कर मेहनत करने के लिये तैयार नहीं होंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सकेंगे । हां, तो शनिवार की छुट्टी के सवाल को ले कर दो महीने के बाद एक प्रदर्शन किया गया । सिर्फ इसी सवाल को ले कर । और मेरा ख्याल है कि जब उन्हों ने देखा कि इस छोटे से सवाल पर इतने कर्मचारी इकट्ठे हो गये, तो फिर सोचा होगा कि बड़े सवालों के लिये तो कहीं ज्यादा लोग इकट्ठे किये जा सकते हैं, ज्यादा बड़े जलूस निकाले जा सकते हैं, ज्यादा बड़ी हड़तालें की जा सकती हैं । इसी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

तरह धीरे-धीरे महीनों बाद इस हड़ताल का विचार उन के दिमाग़ में आया। हड़ताल की प्रतिक्रिया एक दम नहीं हुई। महीनों बाद सोच विचार किया गया फिर इस की योजना बनाई गई थी।

अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमें असल में किस बात की सबसे ज्यादा फिक्र करनी चाहिये। हड़ताल अब बीत चुकी है और उसका जो पुरा नतीजा और अच्छा नतीजा निकलना था, निकल चुका है। अच्छा नतीजा यह कि लोगों ने इन समस्याओं के बारे में सोचा-समझा और आम जनता इसका मुकाबला करने के लिये खड़ी हुई। यह सब अच्छा ही था। नुकसान तो इससे हुआ ही, लेकिन मैं समझता हूं कि सब से अच्छी बात यह रही कि इसने हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर किया। यह बड़ी अहम चीज है। यह साफ हो गया कि हड़तालों और तालाबन्दियों के जरिये विवादों का निबटारा करने का रास्ता ठीक नहीं है, समझदारी का नहीं है। मजदूर आन्दोलन से मेरा भी काफी ताल्लुक रहा है। मैं यह दावा तो नहीं करता कि मैं उसका कोई बहुत बड़ा जानकार, या विशेषज्ञ हूं। हां, लेकिन इतना समझता हूं कि मजदूर लोग हड़ताल के हथियार को इतनी ज्यादा अहमियत इसलिये देते हैं कि इसी हथियार के बल पर वे पिछले सौ साल में अपनी हैसियत को डूबने से बचा सके हैं, अपने आप को कुचले जाने से बचा सके हैं—संगठन और कभी कभी हड़तालों के बल पर ही। मैं उसकी अहमियत घटाना नहीं चाहता। फिर भी, मेरा ख्याल है कि अब हड़तालों का हथियार पुराना पड़ चुका है। मैं आम औद्योगिक हड़तालों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह नहीं कहता कि हड़तालों पर रोक लगा देनी चाहिये, या उनकी बिलकुल मनाही कर देनी चाहिये। इसलिये कि पूंजीवादी प्रणाली और हड़तालें साथ चलती हैं। आखिर मालिकों के दबाव से बचने के लिये, उनका जवाब देने के लिये मजदूरों के पास कुछ तो होना चाहिये।

कम्युनिस्ट समाज में भी हड़तालें हो सकती हैं, होती हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं, क्योंकि उनको कुचल दिया जाता है। लेकिन सिद्धान्त की दृष्टि से समाजवादी समाज में हड़तालों के लिये कोई जगह नहीं। हां, अमल में कभी-कभी हो सकती हैं। लेकिन सिद्धान्त की दृष्टि से पूंजीवादी समाज की बुनियाद में ही हड़ताल शामिल है, हालांकि आधुनिक पूंजीवाद इसे हटाने की कोशिश कर रहा है। इस काम में पूंजीवादी समाज को अभी तक कोई ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई है। हां, इंगलैंड और अमरीका में कुछ मामलों में उसको कामयाबी मिली है। यह इसलिये कि अब लोग महसूस करने लगे हैं कि हड़तालों और तालेबन्दियों के जरिये झगड़े निबटाने का तरीका अब पुराना पड़ चुका है, समझदारी का नहीं रहा है। पिछले जमाने में लोग यह भी समझते थे कि दो देशों के बीच उठने वाले झगड़ों या सवालों का निबटारा जंग से किया जा सकता है। लोग इतना भारी नुकसान उठा कर भी अपनी आदत के मुताबिक लड़ते थे और देशों का नया संतुलन पैदा करते थे। लेकिन अब जंग की शक्ल इतनी बदल गई है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़ कर अब कोई भी एटम और हाइड्रोजन बमों की जंग में नहीं पड़ना चाहता। ज्यादातर लोग तो छोटी मोटी जंग भी नहीं चाहते, क्योंकि उससे बड़ी जंग शुरू हो सकती है। यानी अब परिस्थितियों ने आदमियों को मजबूर कर दिया है इस नतीजे पर पहुंचने के लिये कि देशों की अपनी और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को जंग के जरिये हल नहीं किया जा सकता। इसलिये कि आजकल की जंग में न किसी की जीत होगी और न किसी की हार। सिर्फ एक बात होगी कि सभी बेस्तनाबूद हो जायेंगे।

हमारे सोचने का तरीका तो ऐसा हो गया है, लेकिन फिर भी हम अपने पिछले कर्मों के जाल में फंस जाते हैं। राष्ट्र अपने पहले के कुकर्मों से एकदम छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिये एक तरफ तो हम दिमागी तौर पर, अपनी अक्ल से सोचते हैं कि जंग को हमेशा के लिये रोक दिया जाना चाहिये, लेकिन दूसरी तरफ हथियार भी जमा करते जा रहे हैं, और दूसरों के बारे में खुफिया तौर पर कार्यवाही भी करते रहते हैं। इस तरह हम जंग की कगार पर खड़े हैं; कभी भी जंग छिड़ सकती है। जो भी हो, आज लोग इतना तो महसूस करने लगे हैं कि यह बुरी चीज है।

और आज इस तरह की औद्योगिक जंग भी पुरानी पड़ चुकी है। लेकिन इस तरह की बात कहने या हड़तालों पर रोक लगाने का तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि उद्योगों में उठने वाले विवादों के निबटारे के लिये कोई माकूल इन्तजाम न किया जाये। इसलिये हड़तालों पर रोक लगाने की बातें करने वालों को इसे रचनात्मक नजरिये से देखना चाहिये। माकूल इन्तजाम करने की बात को ज्यादा से ज्यादा अहमियत दी जानी चाहियें। मैं गृह-कार्य मंत्री की यह बात मानता हूं कि अत्यावश्यक सेवाओं में हड़तालें नहीं होनी चाहियें, क्योंकि उनके असर बड़ी दूर-दूर तक पड़ते हैं। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल तो इससे भी गम्भीर चीज हो जाती है। सरकार अपने कर्मचारियों के जरिये ही जनता की देखभाल और हिफाजत करती है। अगर वही ढांचा टूट जाये, तो फिर सारे देश में गड़बड़ी मच जायेगी। इसलिये उनकी हड़तालें नहीं होनी चाहिये। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि कोई ऐसा इन्तजाम, ऐसा उपाय भी होना चाहिये जो सरकार और कर्मचारियों के बीच उठने वाले सवालों को हल कर सके या कठिनाइयों को दूर कर सके। यह भी बिलकुल लाजिमी चीज है। तरीकों में कुछ फर्क हो सकता है। सेक्रेटेरियट में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये एक कोई खास तरीका अपनाया जा सकता है। कभी-कभी उसे ट्रिब्यूनल तरीका भी कहते हैं। इंगलैण्ड में उसी पर अमल किया जाता है। हम भारत में अपनी परिस्थितियों के मुताबिक उसे ढाल कर अपना सकते हैं। तब उसके परिणामों के लिये भी हमें तैयार रहना चाहिये। और, दूसरे सरकारी कर्मचारियों के लिये दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है।

अब असल में दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतनी बदल चुकी है कि सभी पुरानी धारणायें, सोचने के सभी पुराने तरीके पिछड़ चुके हैं, अपने मतलब खो चुके हैं, चाहे वे पुरानी पूंजीवादी धारणायें हों, या पुरानी समाजवादी धारणायें। दोनों ही पिछड़ गई हैं। अब दुनिया की परिस्थितियां बदल गई हैं और अब हमें इन नई परिस्थितियों और नई दुनिया के मुताबिक, जिसमें इफरात है या इफरात की मुमकिनात है सोचना होगा और अपनी धारणायें बनानी होंगी। अमरीका, इंगलैण्ड और रूस में आज भी इफरात है। हमारे देश में वह पैदा की जा सकती है। इस इफरात तक अलग-अलग देश अपने अलग-अलग तरीकों से पहुंचे हैं। कोई पूंजीवादी तरीके से, तो कोई दूसरा समाजवादी या कम्युनिस्ट तरीके से वहां पहुंचा है। और, इस इफरात में बढ़ती ही होती जायेगी क्योंकि वे सभी देश आधुनिक विज्ञान और टैकनोलाजी, वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहां न तो किसी एक तरीका को अच्छा और न किसी दूसरे को बुरा बता रहा हूं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि उन देशों ने विज्ञान और टैकनोलाजी के बल पर अपने देश में हर चीज की इफरात कर ली है। हम अपने देश में भी ऐसी ही इफरात हासिल कर सकते हैं, और करेंगे। हम उनमें से किसी के तरीकों की एकदम नकल नहीं करेंगे। हम तो विज्ञान के तरीके अपनायेंगे, अपनी परिस्थिति के मुताबिक अपनायेंगे, जिसे कम्युनिज्म, समाजवाद और पूंजीवाद—तीनों ने समान रूप से अपनाया है। आधुनिक विज्ञान, टैकनोलाजी और आज के नये दिमाग

[श्री जवाहरलाल नहरू]

को देखते हुए, यह दलीलें बड़ी बेकार सी, बेमतलब लगती हैं। असल चीज है विज्ञान और टैकनोलॉजी। अगर हम उसकी ताकत अपने अन्दर पैदा कर लें तो हम आगे तरक्की करते जा सकते हैं। हां, उसके साथ ही कड़ी मेहनत भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं हो सकता। इन सब चीजों को देख कर अब कई देशों में लोग एक बिलकुल ही नये ढंग से सोचने लगे हैं। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही तरह के देशों की जनता में अब सामाजिक दायित्व की भावना बढ़ती जा रही है। सामाजिक दायित्व की भावना बढ़ कर अब पुराने पूंजीवादी तरीके को पीछे हटाती जा रही है। और समाजवाद की तो पूरी बुनियाद ही समाजी जिम्मेदारी की भावना पर है। इस भावना का रूप क्या हो--यह अपनी-अपनी परिस्थितियों पर निर्भर है। खैर मेरा कहना यह है कि अब इस नये दुनिया में हड़तालों का पहले तोड़कर बाद में कुछ नया बनाने का नजरिया उतना अच्छा नहीं रह गया है। वह तर्क की दृष्टि से भी गलत है और समझदारी की दृष्टि से भी; लोकतंत्रात्मक तो वह तरीका है ही नहीं।

श्री मसानी ने लोकतांत्रिकता का जिक्र एक खास मायने में किया था। मुझे तो हमेशा से इस बात पर हैरानी होती रही है कि निजी उद्योगपति समझते हैं कि सिर्फ पूंजीवादी ढांचे में ही लोकतांत्रिकता रह सकती है। अजीब सी बात है। पूंजीवादी ढांचे में जो उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, जो मनमानी होती रहती है, उसमें लोकतांत्रिकता को जगह ही नहीं। वह तो लोकतांत्रिकता की बिलकुल उल्टी होती है। सार रूप में वह लोकतांत्रिकता के विरुद्ध है। हां, वहां राजनीतिक लोकतांत्रिकता हो सकती है, और विज्ञान तथा टैकनोलॉजी, वगैरह की मदद से वहां राजनीतिक लोकतांत्रिकता को बनाये भी रखा जा सकता है, लेकिन वहां उद्योग में लोकतांत्रिकता एकदम नहीं रहती। लेकिन सामान्य प्रगति और वृद्धि का मतलब यह होता है कि राजनीतिक लोकतांत्रिकता के साथ-साथ आर्थिक लोकतांत्रिकता का भी विकास हो। सामान्य विकास तो वह है जिसकी मंजिल ऐसी होती है जहां न मालिक रहें और न कर्मचारी—दोनों एक उद्योग में बराबर के भागीदार हों और उसके लिये बराबरी से अपना-अपना काम पूरा करें। **(अन्तर्बाधायें)**

इसलिये इन मामलों पर बहस करते वक्त हमें पिछले झगड़ों की चर्चा में मुख्य बात को भुला नहीं देना चाहिये। जब भी कोई मौत होती है तो लाश की डाक्टरी जांच करानी पड़ती है। यह भी एक काफी बड़ी मौत हुई है। आम हड़ताल की लाश हमारे सामने है। उसकी डाक्टरी जांच तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन असली चीज देश का भविष्य है। मुख्य बात अब यह है कि आम उद्योग और सरकारी कर्मचारियों के लिये कौन सा तरीका, कौन सी प्रणाली अपनाई जाये, लेकिन अभी इस वक्त खास सवाल सरकारी कर्मचारियों का है।

सरकारी कर्मचारी भी दो तरह के हैं। एक तो वे जो सेक्रेटेरियट में काम करते हैं—दफ्तर के कर्मचारी, और दूसरे हैं औद्योगिक कर्मचारी। उनमें थोड़े से फ़र्क हैं। उनके साथ परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग ढंग का बर्ताव होना चाहिये। दूसरी तरह के सरकारी कर्मचारी बढ़ रहे हैं; देश में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हमें इनके लिये कोई उपाय निकालना पड़ेगा। वेतन आयोग बनाने का तरीका वैसे तो काफी उपयोगी है, लेकिन उसमें काफी देर लग जाती है। वेतन के अलावा और कई बातें हैं, तकलीफें हैं उनकी, जिन पर गौर किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। मैं तो समझता हूं कि सरकार को वेतनों की ओर नहीं बल्कि कर्मचारियों को जताई

जा सकने वाली सुविधाओं की ओर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिये। ये सुविधायें चाहे शिक्षा की हों, या स्वास्थ्य की, या मकान देने की। वेतन में थोड़ी बहुत बढ़ती के मुकाबले ये सुविधायें जुटाना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें शक नहीं। और, शायद सुविधायें जुटाना सरकार के लिये भी उतना मुश्किल नहीं होता। सलिये, इस समस्या के बारे में हमें यही नजरिया अपनाना चाहिये।

इस वाद-विवाद के बारे में, मैं यही अर्ज करना चाहूंगा कि इस मामले पर जो भी सोचेगा आखिर इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि आज की दुनिया में आम हड़तालें अनुचित हैं, बुरी हैं; और खास तौर पर यह पिछली आम हड़ताल तो नासमझदारी की उपज थी और उसके पीछे मंशा भी बुरा था। हड़ताल हुई और खत्म हो गई। हम कम से कम यह तो महसूस करें कि वह बुरी चीज़ थी; हमें चाहिये कि उसके लिये प्रायश्चित करें।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : श्रीमान्, मनुस्मृति के एक वृत्तान्त का स्मरण मुझे हो गया है। एक बार अंगिरस ने अन्य वृद्धों की राय नहीं मानी। वह युवक था। उस समय अंगिरस की अवहेलना नहीं की गयी। उसके बारे में स्मृतिकार ने लिखा है :

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पालितं शिरः

यो वै युवा अधीयानस्तं देवस्थविरं विदुः ।।

इसका अर्थ है कि सफेद बालों के आ जाने से ही व्यक्ति की बुद्धि परिपक्व नहीं हो जाती। हमारे देश की परम्परा रही है कि हम हर बात को उसके गुणावगुणों के आधार पर तौलते रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने हमें सदा यही शिक्षा दी कि भूखे मरने की अपेक्षा संघर्ष करना अधिक श्रेष्ठ है। हम उन्हीं की शिक्षा पर अमल करते रहे। परन्तु हमें खेद है कि कुछ सदस्यों ने इस विषय को लेकर विवादास्पद बातें कहीं।

अब हमें यह सोचना है कि कर्मचारियों की हड़ताल क्यों हुई ? मेरे मतानुसार इसका सीधा सा कारण यह था कि हमारे देश में झगड़ों को निपटाने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इस तरह झगड़े बढ़ जाते हैं और बात बिगड़ जाती है। हमारे प्रधान मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को जो परिपत्र भेजा था उसमें उन्होंने भी यही बात कही है कि सरकार समस्याओं का समाधान ठीक ढंग से न करके समय बिताती रहती है और इस विलम्ब से उत्तेजना बढ़ती रहती है और झगड़ा होता है जो किसी के लिए भी लाभदायक नहीं होता।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** (पुदुकोटै) : श्रीमान्, एक औचित्य का प्रश्न यह है कि जिस पत्र का उद्धरण माननीय सदस्य यहां दे रहे हैं वह गोपनीय है और उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नाथ पाई : दूसरी बात यह है कि हमारे देश के बड़े अफसर अभिमानी तथा दंभी हैं। वह बाबुओं को हीन समझते हैं। इस से भी झगड़ा बढ़ जाता है। इस विषय पर भी मैं प्रधान मंत्री के एक वक्तव्य का उद्धरण देता हूं। उन्होंने कहा था :

> "जो लोग आई० सी० एस० आदि सेवाओं में काम कर चुके हैं उनमें से कुछ को हम स्वतंत्रता के बाद भी रख लेंगे परन्तु हम ऐसी कोई पदावलि नहीं बनायेंगे जो अपने को जनता की शासक समझे। हम ऐसे युवकों को आगे लायेंगे जो जनता की सेवा करके कुछ कर दिखाने को लालायित हों।"

तीसरा कारण यह है कि प्रधान मंत्री के कुछ ऐसे साथी हैं जिन्हें समाजवाद का उद्देश्य नहीं जंचता। वे लोग केवल प्रधान मंत्री के आतंक से ही समाजवादी होने का ढिंढोरा पीटते हैं अन्यथा वे इस उद्देश्य के घोर विरोधी हैं। उन लोगों के कारण ही देश में इस प्रकार की अव्यवस्था होती है।

इंग्लैंड की आम हड़ताल के दिनों में वहां के प्रधान मंत्री चर्चिल का रवैया बड़ा सख्त रहा था। उसकी केबिनेट में कुछ ऐसे लोग थे जो हड़ताल के दौरान भी समझौता चाहते रहे परन्तु वे चर्चिल का विरोध न कर सके। इसी प्रकार की घटना भारत में भी घटी है पर यह देखना तो इतिहासकारों का काम है कि यहां चर्चिल का काम किस व्यक्ति ने किया।

मुझे यह जान कर बड़ा दुख हुआ कि हमारे प्रधान मंत्री भी यह कहते हैं कि हमने सरकार को कोई पूर्व सूचना या चेतावनी नहीं दी। हमने उन्हें पहले लिखा और उन्होंने हमें उसका उत्तर भी दिया। किन्तु आज हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। यह बड़ी अनुचित बात है। हमने प्रधान मंत्री को ही नहीं, बल्कि माननीय गृह मंत्री को भी पत्र लिखा। उन्होंने भी उत्तर भेजा। यह उत्तर चूंकि व्यक्तिगत था इसलिये इसे यहां पर पढ़ना उचित नहीं है। उसके बाद माननीय गृह मंत्री ने कहा कि हमें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना है। परन्तु मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे उनकी बात मान रहे हैं? वेतन आयोग ने लिखा है कि हड़तालों को कभी निषिद्ध नहीं करना चाहिए परन्तु अभी से हड़तालों पर पाबंदी लगायी जा रही है। इस मामले में पंचाट की पवित्रता को क्यों दूषित किया जा रहा है। यदि सरकार आयोगों की रिपोर्ट को इतना ही पावन मानती है तो फिर उसने विधि आयोग की सारी सिफारिशों को क्यों न मान लिया। यदि सरकार आयोगों की सिफारिशों को मानना अपना कर्तव्य समझती तो पहले वेतन आयोग की सिफारिशों को ही स्वीकार कर लेती। सरकारी कमचारियों ने बिना सोचे समझे हड़ताल नहीं की, तंग आकर हड़ताल की है।

हम लोग दिसम्बर से जून तक यही कहते रहे कि सरकार को इस तरह का आलस्य नहीं करना चाहिए। हमने प्रधान मंत्री से प्रार्थना भी की कि वे अपना असर डालकर कमचारियों की उचित शिकायतों को दूर कर दें। परन्तु हमारे प्रधान मंत्री ने कुछ न सुना। स्वतंत्रता से पहले कर्मचारियों की दशा देख हमारे प्रधान मंत्री की आखों में आसू आ जाते थे पर अब कमचारियों के आंसू भी उन्हें द्रवित न कर पाये।

सरकार ने कर्मचारियों की प्रार्थना को धमकी समझा और फिर हर चीज बिगड़ने लगी। अब यह कहा जाता है कि हमने शेर पर चढ़ने का प्रयास किया। हम तो शेर की सवारी करना नहीं जानते परन्तु आप लोग इसे शेर कहते ही क्यों हैं। यह गलत बात है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम चाहते थे कि सरकार महंगाई भत्ते का उपयुक्त हल करे। १९४७ के बाद से श्रमिकों तथा कर्मचारियों के वास्तविक वेतन में काफी कमी आ गयी है। देश की प्रति व्यक्ति आय में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई है पर यह किसी को भी ज्ञात नहीं कि यह आय किन लोगों के हाथों में जाती है। परन्तु सरकार ने हमारी कोई बात नहीं मानी। माननीय गृह मंत्री ने कह दिया कि हम एक की झोली भरने के लिए दूसरे का लंगोट नहीं फाड़ सकते पर ऐसी तो कोई बात नहीं। सरकारी कर्मचारी भी तो निर्धन हैं। उनकी मांगें न्यायोचित हैं। ईस्टर्न एकानोमिस्ट ने भी लिखा है कि यदि कर्मचारियों को १९४७ के बराबर वेतन देना हो तो उन्हें ८६ रु० ८ आने और अधिक मिलने चाहिएं। जिस व्यक्ति को अब ८० रुपये मिलते हैं उसे बेकार समझना चाहिए।

सरकार ने कठोरता अपनाली और महंगाई भत्ते की बात को मानने से साफ इन्कार कर दिया। इसी से समझौते की बातचीत टूट गयी। कर्मचारियों की यह मांग गलत न थी परन्तु सरकार की कठोरता ने सारा मामला चौपट कर दिया।

अब कहा जाता है कि हमें प्रायश्चित करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि सत्य पर चलकर शुद्ध आचरण करते हुए हम प्रायश्चित क्यों करें। हमने सरकार को कोई धमकी नहीं दी और न ही कुछ खराबी की। हमने तो यह आश्वासन भी दिया था कि देश भर बाह्य आपत्ति आ जाने की स्थिति में यहां का बच्चा बच्चा कट मरेगा। पर फिर भी हम पर आरोप लगाया गया कि हमारी कार्यवाही से शत्रु लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार के आरोप अत्यन्त दुखद हैं।

इंग्लैंड में भी हड़ताल हुई थी परन्तु वहां की सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। यहां पर राज्य की हर चीज कर्मचारियों को मिटाने के लिये खड़ी कर दी गयी। सत्य के लिए कुछ भी नहीं किया गया। उसकी क्रूर अवहेलना की गयी। यहां पर आकाशवाणी ने भी पक्षपात से काम लिया। परन्तु इंग्लैंड में बी० बी० सी० के आचरण पर राय देते हुए इतिहासकारों ने लिखा है कि बी० बी० सी० ने पूर्ण निष्पक्षता से काम लिया था। जहां कर्मचारियों की सही खबरों को उसने प्रसारित किया वहां सरकारी खबरों को सच्चे रूप में प्रसारित किया। वहां पर कीथ जैसे लोगों ने यह ऊंची परम्परा निभाई। न जाने आकाशवाणी कब इस स्तर तक पहुंच पायेगी।

माननीय गृह मंत्री ने बताया कि कुछ लोगों ने मूर्तियां बना कर जलाईं। यह निन्दनीय बात है और हम भी इसका विरोध करते हैं। परन्तु लोगों को आज तक यही सिखाया गया है कि विरोध प्रदर्शन के लिए वे ऐसे काम ही करें।

जहां तक हिंसात्मक कार्यवाहियों का सम्बन्ध है, यदि ऐसी बातें कहीं हुई हों तो उसके लिए हमें बड़ा खेद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने [illegible]ति को सामने रखते हुए कर्मचारियों को बहुत समझाया था। इसी कारण हमने यह प्रार्थना भी की थी कि असम, लद्दाख आदि सीमान्त प्रदेशों में हड़ताल न की जाय। यदि हम अपना उत्तरदायित्व न जानते तो ऐसा क्यों करते।

आज सरकार क्लर्कों पर 'विजय' पाकर इतरा रही है और ढिंढोरा पीट रही है कि उसने दृढ़ता से काम किया है। हम भी चाहते हैं कि सरकार दृढ़ रह कर शासन करे; परन्तु सालाजार, पाकिस्तान तथा चीनी चाऊ एन-लाई के सामने इनकी दृढ़ता कहां जाती है। चाऊ एन-लाई को तो इन्होंने यही आश्वासन दिया कि हम सिवाय बातचीत के और कुछ भी न करेंगे। परन्तु यही सरकार छोटे कर्मचारी को विद्रोही कहती है।

[श्री नाथ पायी]

हमारा झगड़ा देश से नहीं जवाहरलाल नेहरु से है। यदि देश पर आंच आयेगी तो हम उसकी रक्षा के लिए प्राण तक न्योछावर कर देंगे। हमारे प्रधान मंत्री अच्छे इतिहास वेता होकर भी यह कहते हैं कि रेलों के अस्थायी रूप से बन्द हो जाने से असैनिक प्रशासन अस्त-व्यस्त हो जायेगा। यह बड़ी असाधारण बात है। उनसे हमारा विरोध एक नियोजक के रूप में है। अभी कल ही श्री लाल बहादुर शास्त्री ने बताया है कि कपड़े के मूल्य में ४० प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। ऐसे हालात में कर्मचारियों की मांग राष्ट्र विरोधी नहीं थी। जो लोग राष्ट्रविरोधी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ तो शायद कुछ भी नहीं किया जा रहा। स्वतंत्रता से पहले प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था कि यदि उन्हें शासन करने का अवसर मिला तो वे इन चोर व्यापारियों को फांसी लगवा देंगे। पर अब कुछ भी नहीं कर पा रहे। जो लोग निर्धनों को लूट खसूट कर अपने घर भर रहे हैं उनके विरुद्ध कुछ भी काम नहीं हो पा रहा।

जब हम कर्मचारियों के लिये ५/७ रुपये की माग करते हैं तो गृह मंत्री यह कहते हैं कि हम निर्धनों से धन लेकर यह मांग कैसे पूरी करें; परन्तु इस देश में लोग अस्सी अस्सी हजार की कारें खरीदते हैं। क्या यही सामाजिक न्याय है?

हमारे दिल में यही बात थी कि जब समाज का एक संगठित वर्ग कुछ काम करेगा या न्याय की आवाज उठायेगा तो उस समय हमारे प्रधान मंत्री उस काम की सराहना करेंगे परन्तु हमारा यह विचार गलत सिद्ध हुआ। इसका हमें दुख है। अन्त में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमें बर्बाद हो गये कर्मचारियों के घरों की राख पर बैठकर अपनी विजय की दुंदुभि नहीं बजानी चाहिए। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए हम प्रायश्चित करें। हम लोकतंत्र के तत्व के पुजारी हैं और अन्याय के विरुद्ध अवाज उठाना अधर्म नहीं है।

†श्री खाडिलकर (अहमदनगर): मैंने हड़ताल रोकने की कोशिश की थी पर दुर्भाग्य से सफलता न मिली। अब हमें निष्पक्ष रूप से इस घटना पर विचार करना चाहिए।

यहां पर इंग्लैंड की सामान्य हड़ताल का उल्लेख हुआ है जो १९२६ में हुई थी। उस समय वहां की सरकार के हस्तक्षेप के बारे में राय देते हुए प्रोफैसर लास्की ने लिखा था कि इस युग में नगरों का जीवन, यातायात, डाक तथा संचार आदि विभागों के सहारे चल रहा है। यदि ये सेवाएं ठप्प हो जायें तो सामान्य जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है। इस लिए ऐसी स्थिति में सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। सरकार से यही आशा ऐसे अवसरों पर की जाती है।

प्रोफैसर लास्की की इस राय का समर्थन श्रीमती बीटराइस वेब ने भी किया है। इन अंग्रेज विचारकों की राय यही है कि ऐसी हड़तालों से किसी को लाभ नहीं होता इस करण इन को रोकना ही अच्छा रहता है।

मेरा यह आशय नहीं कि इस युग में हड़तालें होनी ही नहीं चाहिएं। झगड़े हो सकते हैं और हड़तालें भी हो सकती हैं परन्तु जहां सारे समाज का जीवन ही खतरे में उलता दिखाई दे वहां इन चीज़ों को रोकना चाहिए। इस कारण मैं ने तथा श्री फीरोज़ गांधी ने इस हड़ताल को रोकन का पूरा प्रयत्न किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

संकल्प और केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों
की हाल की हड़ताल के बारे में प्रस्ताव

श्रम संघ के एक अनुभवी नेता ने मुझे बताया है कि सब लोग उन्हें हड़ताल कराने वाले नेता समझते हैं परन्तु उन्होंने आज तक हड़ताल नहीं करवाई। उन्होंने हड़ताल की धमकी दी और अपना काम निकाला। उनका कथन है कि हड़ताल करने से कर्मचारियों को हानि ही रहती है।

हम लोगों ने आखीर दम तक समझौता कराने का प्रयास किया परन्तु हमारा दुर्भाग्य हमारी बात किसी ने न सुनी। सभी नेताओं का यही विचार था कि हड़ताल करके देख ही लेनी चाहिये। उधर सरकार इसे सम्मान का प्रश्न बना बैठी और तभी यह दुर्भाग्यपूर्ण घट गयी। परन्तु अब जब कि यह बात समाप्त हो चुकी है सरकार को अपने हृदय में वैमनस्य की कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। यदि सरकार कर्मचारियों के अहित की बात सोचेगी तो वफादार कर्मचारी भी दिल खो बैठेंगे।

सरकार को वेतन आयोग की सिफ़ारिशों में जो परिवर्तन करने थे उन्हें कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की सलाह से करना श्रेयकर था। सरकार की एक पार्श्विक नीति का विरोध भारतीय राष्ट्रीय श्रम संगठन के नेता श्री वासवदा ने भी किया है। सरकार ने कर्मचारियों की आर्थिक मांगों का उपयुक्त उत्तर न देकर सदा शक्ति से दमन कर देने की धमकी दी। इसी बात से आपसी मनमुटाव बढ़ता गया। किन्तु इतना होते हुए भी मैं तो यही कहूंगा कि यह दुर्घटना घटनी ही नहीं चाहिए थी। इसके परिणाम भयंकर होंगे।

कुछ लोगों ने "ईस्टर्न इकानोमिस्ट" का उल्लेख किया है। वह पत्र श्रमिकों के हितेच्छु नहीं हैं उसने जो कुछ लिखा है वह किसी प्रयोजन विशेष को सामने रख कर लिखा है। पर इस पर भी हमें वास्तविकता का विश्लेषण करना चाहिए।

आर्थिक स्थिति का सिंहावलोकन करने से हमें ज्ञात होगा कि भारतीय की राष्ट्रीय आय में ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई है पर यह धन श्रमिकों के पास नहीं पहुंचा। इसको हड़प लेने वाले लोगों की संख्या अधिक नहीं है। इस लिये ऐसी स्थिति कर्मचारियों के लिये अमंगलकारी है। योजना के लिये बलिदान करें छोटे लोग पर लाभान्वित हों कुछ बड़े यह अच्छा नहीं।

इस कारण मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यह सरकार की जीत नहीं है। इस सरकार को देश पर राज्य करते हुए १२ वर्ष हो चुके हैं पर अभी तक सरकारी कर्मचारी असंतुष्ट हैं।

कल श्री अशोक मेहता ने एक उदाहरण दिया था कि इस हड़ताल के दौरान उन लोगों को भी दंड दिया गया जो इसमें शामिल नहीं हुए। मैं भी एक ऐसे ही कांड को जानता हूं जिसमें अफसरों ने हड़ताल से कई सप्ताह पूर्व की कार्यवाही के अपराध पर कर्मचारी को दंड दिया है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। एक हरिजन कर्मचारी तथा उसकी पत्नी से भी एक विभाग के अफसर ने इसी प्रकार का बदला लिया है। यह कोई तरीका नहीं है। सरकार को उदारता का व्यवहार करना चाहिए और यही शोभनीय है। सरकार को अब सभी को क्षमा प्रदान करनी चाहिये ताकि कर्मचारियों के बच्चे तो भूखे न मरें।

भारतीय जन संसाधनों से पूर्ण लाभोपार्जन करने के लिये यह आवश्यक है कि औद्योगिक सम्बन्ध शान्त बने रहें। हमारे यहां झगड़ों की गुजायश नहीं है। सरकार को श्रम संघों के नेताओं के परामर्श से ऐसा वातावरण बनाने का भरसक यत्न करना चाहिए।

[श्री खाडिलकर]

जहां योजना से हम उत्पादन की समस्या का समाधान करते जा रहे हैं, वहां हमारे लिये यह भी आवश्यक है कि हम धन के समान वितरण के उपाय भी सोचें। आर्थिक विषमता हमारी प्रगति को ध्वस्त कर डालेगी। जब तक हम अपनी पूंजीवादी व्यवस्था को नियंत्रित नहीं करते तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इस घटना से सरकार को भी कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। डंडे के जोर से कर्मचारियों को दबा देने से वास्तविक समस्या का हल नहीं हो गया है। इस तरह की कार्यवाही न तो जनता के हित में है और न देश के।

†डा० मेलकोटे (रायचूर) : अध्यक्ष महोदय कल से हम इस विषय पर बहस सुन रहे हैं :

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

मैं समझता हूं कि समस्या को ठीक रूप में सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने हड़ताल को इतनी कुशलता से दबाया परन्तु साथ ही साथ इस संबंध में चिन्ता भी प्रकट करूंगा।

हमने श्री अशोक मेहता तथा श्री नाथ पाई के भाषणों को सुना परन्तु उनके भाषणों से संतुष्ट नहीं हो पाया हूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम भी चाहते थे कि निर्वाह व्यय के बढ़ जाने से, वेतन-क्रमों में परिवर्तन किए जाने चाहिए। हमने इसी संबंध में इस सभा में सरकारी कर्मचारियों की हालत की बार बार सिफारिश की है। परन्तु दुःख इसी बात का है कि इस प्रकार की उचित मांग होने पर भी यह हालत हुई। श्री नाथ पाई के शब्दों में यह सब ग़लतफहमी के कारण हुआ। मैं बताता हूं कि यह क्या ग़लतफहमी थी। ग़लतफ़हमी यह थी कि उन्हें कर्मचारियों का पूरा समर्थन प्राप्त होना चाहिए था। जनता का सहयोग प्राप्त करना था। और इसके साथ साथ श्रम कार्य में लगे हुए अन्य नेताओं से भी बात चीत करनी चाहिए थी।

सभी जानते हैं कि रेलवे के ८० प्रतिशत अथवा ९० प्रतिशत कर्मचारी आई० एन० टी० यू० सी० के सदस्य हैं और शेष १० प्रतिशत श्री गुरुस्वामी के फेडरेशन के सदस्य हैं फिर भी उनके कहने पर हड़ताल की गई। हमें प्रतिरक्षा संगठनों में भी जानबूझ कर एक और संघ बनाना पड़ा क्योंकि उनमें भी सरकारी कर्मचारियों को भड़काया जा रहा था। हमने संघ बनाकर उन्हे सीधा सच्चा रास्ता दिखाया। इससे पता लग जाता है कि हड़ताल कराने वाले नेताओं ने जो तरीका अपनाया वह ठीक नहीं था।

मैं यह बताना उचित समझता हूं कि आज आई० एन० टी० यू० सी० के सर्वाधिक सदस्य हैं। हम जो भी मांग करते हैं वह स्वीकार कर ली जाती है परन्तु हम भी स्वयं इसका ध्यान रखते हैं कि जो मांग करें वह उचित हो। हम भी चाहते हैं कि कम से कम वेतन १२५ रुपये हो जाये परन्तु इसका यह मतलब नहीं है हम कहें कि हम तुम्हें १२५ रुपया दिला देंगे।"

हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद यह कहा गया कि साम्यवादियों द्वारा धोखा दिए जाने के कारण हड़ताल सफल नहीं हुई। साम्यवादियों ने इसलिए धोखा दिया क्योंकि प्रजासोशलिस्टों ने केरल में साम्यवादियों को धोखा दिया था। इस प्रकार इन दोनों में भी विचार साम्य नहीं था तब सफलता कहां से होती।

---

†मूल अंग्रेजी में

साम्यवादियों का यही सिद्धान्त रहा है कि जब भी आसाम, लद्दाख आदि में विदेशी हमला हो तब सरकार का ध्यान बराबर देश की किसी समस्या में उलझा दें। उन्होंने अब भी ऐसा ही किया। तिब्बत में गड़बड़ होने के कारण उन्होंने हड़ताल में साथ दिया कि कहीं भारत अपना भू-भाग विदेशी से न छुड़ा लें। उनकी इसी प्रकार की गतिविधियां रहती हैं। वह निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोही हैं और उनका किसी कार्य में सफल हो जाना देश के लिए घातक होगा।

यह कहा जाता है कि जिन लोगों ने हड़ताल की उनको दंड नहीं दिया जाना चाहिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत यह राय है कि जिन लोगों ने कर्मचारियों को ग़लत रास्ते पर लगाया उनको कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।

†**महाराज कुमार विजय आनन्द** (विशाखापटनम) : मैं श्री नौशीर भरूचा के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और हड़ताल से पूर्व तथा पश्चात् सरकार द्वारा किए गए कार्यों का समर्थन करता हूं।

प्रतिपक्षी सदस्यों ने कहा कि हमारे प्रधान मंत्री बदला ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनका ऐसा कहना सरासर ग़लत है क्योंकि उन्होंने रेडियो पर सार्वजनिक भाषणों में बार बार हड़ताल न करने का अनुरोध किया। परन्तु फिर भी हड़ताल की गई जो कि उनके लिए एक चुनौती देने के समान था। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और अन्त में विजयी हुए।

स्वतंत्रता प्राप्ति को १३ वर्ष हो चुके हैं परन्तु खेद का विषय है कि हमने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक नहीं समझा है। पाकिस्तान और चीन का खतरा होने पर भी हमने हड़ताल की, जो कि देश के हित में एक घातक क़दम था। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने को सरकार को एक इससे भी अधिक कठोर विधान प्रस्तुत करना चाहिए।

मैं यही आशा करता हूं कि प्रतिपक्षी भविष्य में इस प्रकार की हड़तालें कराने का कोई प्रयत्न नहीं करेंगे।

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, आज जब इस हड़ताल पर चर्चा हो रही है और आर्डिनेंस जोकि जारी किया गया था, उसके सम्बन्ध में विचार हो रहा है, तो मुझे आज से १८ वर्ष पहले सन् १९४२ की याद आती है। सन् १९४२ में सारे राष्ट्र ने विदेशी सत्ता के खिलाफ "देश से निकल जाओ" का नारा बुलन्द किया था और सारा राष्ट्र विदेशी सत्ता के खिलाफ एक जुट हो कर लड़ने के लिये तैयार था तो भी सत्ता के मद में उस ब्रिटिश सत्ता ने तीन दिन के अन्दर अन्दर सारे आन्दोलन को पद्दलित कर दिया था और चौथे दिन कहीं कोई भी मुल्क के हिस्से में ऐसा आदमी देखने में नहीं मिलता था जो साफ तौर से यह कह सकता कि अब हमें ब्रिटिश सत्ता को यहां से हटाना है . . . . .

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री ब्रज राज सिंह : जो नहीं, नहीं कहते हैं हो सकता है कि वे उस वक्त इस चीज से अनभिज्ञ रहे हों, उस काल में न रहे हों। लेकिन यह इतिहास की बात है कि जब भी सत्ता के मद में किसी भी पापुलर आन्दोलन को दबाने के लिये हथियारों का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे पापुलर आन्दोलन को दबाना किसी नान-वायलेंट, अहिंसा पूर्ण आन्दोलन को दबाना कोई मुश्किल नहीं होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

यही बात इस हड़ताल के बारे में कही जा सकती है। यह हड़ताल पांच दिन के अन्दर अन्दर खत्म हो गई । बहुत कम कर्मचारियों का रिसपांस मिला इसको अगर तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं दिखाई देती। लेकिन मुझे आश्यर्य की बात लगती है तो यह कि जो हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री हैं जिन को कि राष्ट्र का और खास तौर से युवकों का हृदय देवता कहा जाता है वह रेडियो पर ब्राडकास्ट करते हैं और उस ब्राडकास्ट में न सिर्फ मुल्क की अन्दरूनी हालत का विवरण होता है बल्कि मुल्क पर जो खतरा है और जिस से मैं इन्कार भी नहीं करता हूं, उसका भी इशारा होता है, उसके बावजूद भी अगर १२ प्रतिशत या १५ प्रतिशत या २० प्रतिशत सरकारी कर्मचारी हड़ताल के लिये तैयार हो जाते हैं तो फिर यह जरूर एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिस पर सरकार को गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये। क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, इस पर हम को विचार करना होगा। यह कह देना कि यह एक गैर–जिम्मेदाराना कार्य था, बहुत आसान है । मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। यह अपनी अपनी राय की बात है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग यह राय भी रख सकते हैं कि इस वक्त हड़ताल का आश्रय लेना एक गैर–जिम्मेदाराना कार्य था। लेकिन प्रश्न तो यह है कि आपके रहते हुए क्यों आपके ही कर्मचारी हड़ताल के लिये तैयार हो जाते हैं । आप इस सम्भावना पर विचार करें कि जिन कर्मचारियों ने हड़ताल की, उनकी आमदनियां निश्चित रूप से उन से ऊंची हैं जोकि करोड़ों में हैं, जो किसान हैं, जो खेतीहर मज़दूर हैं, दूसरे गरीब लोग हैं और जो संगठित नहीं हैं। इससे हमें एक सबक लेना चाहिये। हमें देखना चाहिये कि जो लोग संगठित नहीं हैं और जो करोड़ों की तादाद में हैं, यदि वे संगठित हो जायें तो फिर आपकी सत्ता कहां रहेगी ?

प्रधान मंत्री महोदय ने कहा कि इस तरह की आम हड़ताल एक सिविल रिबैलियन है। इस में मैं उनके साथ सौ फीसदी सहमत हूं । इसमें कोई शक नहीं और न ही इससे कोई इन्कार कर सकता है कि इस तरह की हड़ताल सिविल रिबैलियन होगी। लेकिन देखना यह है कि सिवलि रिबैलियन करने की आपके कर्मचारियों को क्यों हिम्मत हुई ? आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं जिन से प्रेरित हो कर वे हड़ताल करने के लिये विवश हुए हैं ? आप कहते हैं कि ४२ प्रतिशत हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है २० प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो कर्मचारियों की तनख्वाह है वह सन् १९४७ के आधार पर नहीं रही है। उस तनख्वाह को आज की परिस्थितियों में १९४७ की हालत में लाने के लिये जब बार बार आपसे कहा जाता है तो उस पर विचार करने के लिये आप तैयार नहीं होते हैं । ऐसा करने के लिये आप क्यों तैयार नहीं होते हैं, क्यों आप ऐसी स्थिति आने देते हैं जिस में कि हड़ताल की नौबत आए ? अगर हड़ताल होने की नौबत आई तो साफ ज़ाहिर है कि आप के शासन में एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक सैट अप आ गया है, इस तरह की नौकरशाही प्रवृत्ति पैदा हो गई है कि वह किसी तरह की भली बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं सुनने के लिये तैयार नहीं हैं और जब तैयार नहीं हैं तब फिर मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा खतरा मुल्क में आ सकता है। यह मानते हुए भी कि इस तरह की आम हड़ताल एक सिविल रिबैलियन हो सकती है मैं यह मानने से इन्कार करता हूं कि उससे डैमोक्रेसी को कोई खतरा पैदा हो सकता है, वह प्रजातंत्र को खत्म कर सकती है । वह ऐसा नहीं कर सकती है। इस तरह से प्रजातंत्र को खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। जहां तक प्रजातंत्र के खात्मे का सवाल है हमें देखना पड़ेगा कि मुल्क की जनता प्रजातंत्र चाहती है या नहीं चाहती है। मुझे यह कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि हिन्दुस्तान की जनता प्रजातंत्र में विश्वास करती है और चाहे इस तरह की हड़ताल

हो या कोई और चीज़ हो, हिन्दुस्तान से प्रजातंत्र की जड़ों को नहीं उखाड़ा जा सकता। इसलिये इस तरह की हड़ताल से हमें कोई खतरा नहीं है। मैं तो समझता हूं कि इस तरह की हड़ताल का हमें स्वागत करना चाहिये। इस तरह की हड़ताल से सरकार तो खत्म हो सकती है, वर्तमान सरकार के खात्मे का तो इससे मौका मिल सकता है लेकिन आज के प्रधान मंत्री को या उनके मंत्रिमंडल को इससे क्यों मोह होना चाहिये कि जिन कुर्सियों पर वह बैठे हैं, उन पर वह हमेशा हमेशा के लिये बैठे रहें। मोह तो उन्हें इस बात से होना चाहिये कि जिस नीति पर वह चल रहे हैं वह सच्ची हो, सही हो, बुद्धिमत्ता-पूर्ण है। जिस नीति का वह अनुसरण कर रहे हैं उसने पिछले १३ साल में हिन्दुस्तान के जीवन को क्या दिखाया है, क्या वह नीति सही साबित हुई है, सच्ची साबित हुई है, क्या उससे असन्तोष नहीं बढ़ा है ? यह बात दूसरी है कि वह असन्तोष संगठित नहीं है, वह अभी प्रदर्शन नहीं पा रहा है, उस असन्तोष को अभी मौका नहीं मिल रहा है कि अच्छी तरह से संगठित हो कर वह आज की सरकार के खिलाफ उठ खड़ा हो। लेकिन यह एक चेतावनी है जोकि सरकार को लेनी चाहिये। चेतावनी इस रूप में नहीं कि स्ट्राइक हमेशा के लिये बैन कर दी जाए, स्ट्राइक करना हमेशा के लिए गैर-कानूनी करार दे दिया जाए और कह दिया जाए कि आगे वह नहीं हो सकेगी। इससे काम चलने वाला नहीं हैं। जितनी थोड़ी सी भी शक्ति मुझ में है उससे मैं अपना विरोध प्रकट करना चाहूंगा अगर सरकार की तरफ से कोई भी इस तरह का कानून बनना है जिस से यह कोशिश की जाती है कि हड़ताल को गैर-कानूनी करार दे दिया जाए। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि उनका भी इसमें कोई हित नहीं होगा।

मैं इस बात से सहमत हूं कि बराबर इस तरह की हड़ताल नहीं होनी चाहिये, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? इसके लिय जिम्मेदार कर्मचारी नहीं है, इसके लिये जिम्मेदार वे लोग नहीं हैं जिन को कि हमारे प्रधान मंत्री अनुत्तरदायित्वपूर्ण कहते हैं, इर्रिस्पांसिबल कहते हैं। आखिर ऐसे इर्रिस्पांसिवल लोगों को कैसे मौका मिला नेतृत्व करने का, इस पर बिचार करने की जरूरत है। आज कहा जाता है कि आई०एन०टी०यू०सी० की इतनी मैम्बरशिप है कि तीन सैंट्रल ट्रेड यूनियन आर्गेनाइजेशन, केन्द्रीय वर्कर्स के संगठन जो हैं, उनकी मैम्बरशिप को अगर जोड़ा जाए तो वह उसके बराबर नहीं बैठती है। यदि यह बात सही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आई०एन० टी०यू०सी० क्यों इसको रोक नहीं पाती, कैसे ऐसी स्थिति पैदा होती है। मैं साथ ही यह भी पूछना चाहता हूं कि आपकी कारवाइयां, आपके कानून, आपकी गतिविधियां मुल्क में जो जीवनोपयोगी वस्तुयें हैं, उनकी कीमतों के स्तरों को क्या रोक सकी हैं ? कल ही हमारे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने मंजूर किया कि ४० प्रतिशत कपड़े की कीमतें बढ़ी हैं। अन्न की कीमतें बढ़ती रहती हैं, दूसरी जीवनोपयोगी चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं और जब वे बढ़ती हैं उन पर आप चैक नहीं लगा सकते हैं, रोक नहीं लगा सकते हैं तो फिर उन लोगों से कहें जोकि भूखे है कि तुम ज्यादा मांग न करो और उनकी मांगों को तब तक सुनने के लिये तैयार न हों जब तक वे हड़ताल पर उतारू न हो जाएं, ठीक नहीं है। मुझे तो खास तौर पर यही लगता है कि आज की सरकार सिर्फ हिंसा से डरने वाली सरकार हो गई है, जब तक हिंसा नहीं होगी तब तक किसी बात को सुनने के लिये वह तैयार नहीं हो सकती है। हमें मालूम है कि तीन चार पांच साल पहले से मुल्क के बहुत से लोग, जिम्मेदार लोग यह महसूस करते आ रहे हैं कि नागालैंड जिस को प्रधान मंत्री ने अब देने का निश्चय किया है उसका मसला पांच साल पहले तय हो जाना चाहिये था। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद हिंसा हुई और उस हिंसा पर प्रधान मंत्री कंट्रोल नहीं कर सके तो आज जा कर नागालैंड को मंजूर करते हैं। जब तक हिंसा नहीं होगी तब तक किसी बात को भी वह मानने के लिये तैयार नहीं हैं। चाहे कोई आन्दोलन कितना ही शान्तिमय हो, जनता

[श्री ब्रजराज सिंह]

अपना प्रतिरोध प्रकट करती रहे, विरोध प्रकट करती रहे लेकिन प्रधान मंत्री तथा उनकी सरकार यह स्वीकार करने से इन्कार करती रहती है कि किसी के भी कोई ग्रीवेंसिस हो सकते हैं कोई दिक्कतें हो सकती हैं। जब वह चीज़ हिंसक रूप धारण करती है तब कहीं बात सुनने के लिए वह तैयार होते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि हम मरते दम तक हिंसा को हिन्दुस्तान में प्रश्रय नहीं देंगे, हिंसा नहीं करना चाहेंगें। लेकिन प्रश्न यह है कि हिंसा इस हड़ताल में भी अगर शुरू हुई तो कहां से शुरू हुई। सात व्यक्तियों की जानें चली गई हैं और मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धाजंलि अर्पित करता हूं। लेकिन देखना यह है कि किस तरह से उनकी जानें गईं। सात व्यक्तियों का सवाल नहीं है, यह नीति का सवाल है। सन् १६४७ से ले कर आज तक हिन्दुस्तान में जितनी बार सरकार की तरफ से गोलीबारी हुई है उतनी बार डेढ़ सौ साल के अंग्रेजी शासनकाल में नहीं हुई थी। यह हिन्दुस्तान के लिये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह एक ऐसी बात है जिस पर कि आज के शासकों को बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये क्योंकि इस तरह की चीज़ों का होना अच्छा नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हड़ताल हुई उस हड़ताल में १६,००० आदमी गिरफ्तार हुए, यह छोटी बात नहीं थी। जब आप कहते हैं कि दस बारह या बीस प्रतिशत लोगों ने इसमें भाग लिया, तो इसको मैं मानता हूं। लेकिन जितने भी आपके कर्मचारी हैं बीस लाख या बाईस लाख उन सब की सहानुभूति उन्हें प्राप्त थी, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह दूसरी बात है कि मशीन-गन के डर से, जेल के डर से, आर्डिनेंस के डर से वे अपनी सहानुभूति का प्रदर्शन न कर सके हों या न दिखाना चाहते हों। लेकिन आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा इस सारे मामले पर न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिये बल्कि दूसरे कर्मचारियों के लिये भी, किसान वर्ग के लिये भी, जनता के दूसरे मध्यम वर्ग के लिये भी आपको अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा। आज जहां पर आप पंचवर्षीय योजनाओं में हज़ारों करोड़ों रुपये जनता की गाढ़ी कमाई के खर्च कर रहे हैं, वहां पर आपको यह भी देखना होगा कि उन पंचवर्षीय योजनाओं का जो लाभ है वह थोड़े से लोगों के हाथ में ही न रह जाय। मुझे याद है कि मैंने इसी सदन में पिछले साल यह चार्ज लगाया था गवर्नमेंट पर और खास तौर से फूड मिनिस्टरी पर कि शूगर के मामले में पचास करोड़ रुपया ब्लैक मार्किट में कमाया गया है, उसकी जांच पड़ताल की जाए।

मैं अब भी जानने को हूं कि क्या सरकार की तरफ से इस की कोई जांच की जा रही है। अभी पिछले चार पांच महीनों में कपड़े के जो मिलमालिक हैं उन्होने, में समझता हूं, करोड़ों रुपये कमाये होंगे। क्या उस की जांच पड़ताल के लिये सरकार की तरफ से कोई कमेटी बिठाने का विचार है? लेकिन यहां प्रश्न तो यह है कि जो लोग सरकार की खुशामद कर सकते हैं, मीठी वाणी बोल सकते हैं, जो उन के साथ दावतों में शामिल हो सकते हैं, जो उन के तौर तरीकों में विश्वास कर सकते हैं, उनके साथ कोई कार्रवाई करने का प्रश्न आज नहीं रह गया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्र के लिये घातक सिद्ध होगा। प्रश्न यह नहीं है कि आज कौन हारा और कौन जीता। हार जीत तो होती ही रहती है। आज कर्मचारी हार गये हैं। यह भी मान लिया जाये कि आप कानून बना सकते हैं कि कभी भी कोई हड़ताल नहीं होगी। मैं यह भी मान सकता हूं कि हो सकता है कि उन में कभी हड़ताल न हो, लेकिन आम जनता के दूसरे वर्गों को आप अपना असन्तोष व्यक्त करने से नहीं रोक सकेंगें। दस या पंद्रह साल बाद आप की नीतियों के कारण अगर जनता में अहिंसात्मक तरीके से भी इस तरह का प्रतिरोध पैदा हो गया तो आप का वहां बैठना मुश्किल हो जायेगा। मैं आप के उन

बेंचों पर बैठने का कोई विरोधी नहीं हूं, कोई यह इच्छा नहीं है कि जा कर वहीं बैठा जाय, मैं विरोध इस बात तपर कर रहा हूं कि आप जिन नीतियों पर चल रहे हैं उन नीतियों पर चलते जनता का भला नहीं हो सकता। मुल्क में आज भी गरीब और गरीब हो रहे हैं और अमीर और अमीर हो रहे हैं। आप कहते हैं कि आप समाजबाद बनाने जा रहे हैं। इस तरह से कैसा समाजबाद बनेगा? आप कहते हैं कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में ५ या १० रू. भी बढ़ाये नहीं जा सकते, लेकिन जब हम कहते हैं कि अच्छी बात है जो ४,००० रु. माहवारी पाने वाले लोग हैं उन की तनख्वाह २,००० रु. पर लाओ, २,५०० रु. पर लाओ, ३,००० रु. पर लाओ, तो आप कहते हैं कि यह समाजबाद के माने नहीं हैं। समाजबाद के माने यह हैं कि ऊपर के लोगों को नीचे मत लाओ, नीचे के लोगों को ही ऊपर ले जाओ। अगर आप ऊपर वालों को नीचे नहीं करेंगे तो कोई एसा कैलकुलेशन लगाया जाय, कोई ऐसी गणित लगाई जाय जिस से लोगों का फायदा हो सके। जिस तरह की परिस्थिति आज है उससे तो आप एक हजार साल में भी नीचे के लोगों को ऊपर नहीं ले जा सकते।

इस लिये मेरा आप से निवेदन है कि इस हड़ताल के बाद जो प्रतिक्रियायें आप के बीच में हो रही हैं जो तरीके आप अपनाना चाहते हैं सरकारी कर्मचारियों में हड़ताल को हमेशा के लिये रोकने के लिये, कृपा कर के जनता के भले के लिये ऐसे कानून लाने की कोशिश मत कीजिये। आप इस तरह की परिस्थिति पैदा न कीजिये कि आप के कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार न हो जब उस की जरूरत हो। आप उस दिक्कत को बातचीत के जरिये दूर कीजिये, यह मैं नहीं कहता कि हमेशा हड़ताल होनी चाहिये लेकिन मैं इस बात को मानता हूं गांधी जी के उसूलों के मुताबिक भी इस को माना जाना चाहिये कि जिस को तकलीफ हो उस को अपनी तकलीफ को अहिंसात्मक तरीके से रखने का अधिकार दिया जाना चाहिये। मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई वायोलेंट तरीका इस्तेमाल किया जाना चाहिये। कर्मचारियों का यह मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि अगर दूसरे तरीके खत्म हो जाते हैं तो व हड़ताल के जरिये अपनी मांगों को मनवायें। यह कर्मचारी कहीं भी हों, सरकारी कर्मचारी हों या औद्योगिक कर्मचारी हों, हर एक कर्मचारी को अधिकार होना चाहिये इस का। आप कभी भी यह न सोचें कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को गैर कानुनी करार दे कर आप उन्हें सन्तुष्ट कर सकेंगे या जनता के दूसरे वर्ग जो हैं उन को आप कांविंस कर सकेंगे कि इस तरह की बात प्रजातंत्राक्षक तरीकों के अनुसार है। इस लिये मेरा निवेदन होगा कि हड़ताल में जो भी परिस्थिति रही, उस में भले ही आप जीते और कर्मचारी हारे, लेकिन आप उससे कोई ऐसा नतीजा निकालने की कोशिश मत कीजिये जिस से आगे के लिये दुर्भावनायें पैदा हों, आगे के लिये इस तरह की परिस्थिति पैदा हो जिस से कि हिन्दुस्तान में लेवर मूवमेंट दूसरी गति ले ले, इस तरह की बात पैदा हो जिस से लोगों का प्रजातंत्रात्मक उसूलों से विश्वास हट जाय और इस तरह की परिस्थिति पैदा होते ही न केवल कर्मचारी लोगों की हानि होगी, बल्कि प्रजातंत्रात्मक ढांचा जो है, हमारी डिमाक्रेटिक फैब्रिक जो है, उस ढाचें में विश्वास के खत्म होने की बात हो जायेगी। मैं आशा करूंगा कि सरकार अपनी जीत के मद में इस तरह का कानून बनाने की कोशिश नहीं करेगी, इस तरह की बात नहीं सोचेगी जिस में अगर किसी आदमी ने कोई भी काम किया है, हड़ताल में हिस्सा लिया है, उस के विरुद्ध बदले की भावना से काम लिया जाय।

मैं एक दो निवेदन कर के खत्म करता हूं। अभी मेरे पास रेलवे के एक कर्मचारी आये। उन्होने कहा, मैं आई० एन० टी० यू० सी० से सम्बन्ध रखता हूं, हड़ताल से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था, मैंने नोटिस भी नहीं दिया, लेकिन बिना किसी हड़ताल में हिस्सा लेने का जिक्र किये हुए कह दिया गया है कि तुम को डिस्चार्ज किया गया है। इस तरह के न जाने कितने मामले होंगे। तो डिपार्टमेंटल

[श्री अजराज सिंह]

इसको जो अधिकार दिये जा रहे हैं वे अधिकार खतरनाक हैं क्योंकि उन से वे पुरानी रंजिशें निकाल सकते हैं या दूसरे तरीके की बात कर सकते हैं जिससे लोगों का नुक्सान हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि हड़ताल को खत्म करने के बाद अब आप कोई इस तरह की बात न कीजिये जो कि बदले की भावना को प्रकट करने वाला हो। आप कहीं पर कोई कानून बनाने की कोशिश मत कीजिये जिस में हड़ताल को गैरकानूनी करने की बात सोची जा सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम) : प्रधान मंत्री तथा अन्य माननीय सदस्यों के लम्बे और सारगर्भित भाषण सदन में हुए हैं। उनमें कई प्रकार की बातें कही गयी हैं। प्रधान मंत्री ने बातचीत करने के लिये निमन्त्रण दिया है। लेकिन मुझे उनका निमन्त्रण अस्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि जिन कारणों से हड़ताल हुई, उस मुख्य प्रश्न की अवहेलना की जा रही है और उसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा रहा है। वह प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार के २२ लाख कर्मचारी हैं। उनके परिवारों और आश्रितों को मिला कर यह संख्या १ करोड़ ५० लाख के लगभग फैल जाती है। देश की जनता का यह बहुत बड़ा भाग है। क्या इन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि उनके वास्तविक वर्तमान वेतनों का पूरा पूरा संरक्षण होगा ? जो कुछ सरकार के समर्थकों ने इस सदन में कहा है, उसे जहां तक मैं समझ सका हूं, उसमें इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाये। इसके बिना बाकी सब बातें निराधार हैं।

प्रधान मन्त्री ने हड़ताल से पूर्व अपने ब्राडकास्ट में सीमा की प्रतिरक्षा का उल्लेख किया था। आज भी अपने भाषण में उन्होंने यही बात कही है। इस पर मेरा यह कहना है कि इस हड़ताल के साथ सीमा की रक्षा का प्रश्न उठाना उस समय अच्छा लगता जबकि सरकार उन जवानों की सहायता के लिये, जो कि न केवल पश्चिमी सीमाओं पर कार्य कर रहे हैं बल्कि उत्तर-पूर्वी सीमा पर भी कार्य कर रहे हैं, कुछ ठोस कार्य करती। आसाम में जो अभी उत्पात हुए हैं उस समय सरकार ने वहां स्थित जवानों के लिये क्या किया ? अच्छा होता कि प्रधान मंत्री उन सभी बातों का उल्लेख यहां करते तो अधिक प्रभाव पड़ता अतः हड़ताल के सम्बन्ध में सीमा रक्षा का प्रश्न उठाना गलत बात है। प्रतिरक्षा का अभिप्रायः केवल सीमान्त की रक्षा करनी ही नहीं है बल्कि उसके अन्तर्गत सीमान्त एवं सीमान्त पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा भी सम्मिलित है। आज के संसार में, जब तक हमारी रेलवे लाइनों, डाक, तार और टेलीफोन सेवाओं, कोयला खानों और इस्पात संयंत्रों में काम करने वाले कर्मचारी सन्तुष्ट न हों, तब तक देश की प्रतिरक्षा का कार्य ठोस नहीं माना जा सकता। सरकार के समर्थक आज यह विचार लोगों को देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों का बहुमत हड़ताल में सम्मिलित नहीं हुआ था। इस दिशा में आंकड़े एकत्रित करके भी प्रस्तुत किये जा रहे हैं। परन्तु मैं इन बातों और युक्तियों की उलझन में फंसना नहीं चाहता। मेरा यह कहना है कि यह कोई साधारण बात नहीं कि अध्यादेश के जारी होने के बावजूद अपने पारिवारिक जीवन को और सर्वस्व को खतरे में डालते हुए चार पांच लाख कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया। यह कोई ऐसी मामूली बात नहीं है जिसे साधारण ढंग से लिया जाये अथवा उसे महत्व न दिया जाये। सरकार के दमन और आतंक की उन्हें पूरी जानकारी थी। यह बात सब पर स्पष्ट हो जानी चाहिये, और ईमानदार व्यक्तियों को यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि कर्मचारियों के समक्ष एक ही बात थी कि उन्हें निरन्तर बढ़ते हुए मूल्यों के पंजों से मुक्ति मिल जाय।

प्रधान मंत्री की भांति मैं यह सारी पृष्ठभूमि को भुला सकने के लिये तैयार नहीं हूं। वह तो कहते ही हैं कि सब कुछ भूल जायें, यही देखें कि ११ जुलाई को क्या हुआ ? यह गलत बात है। हमें पिछली सब बातें देख कर ही आज का अथवा भविष्य का निर्णय करना है। मैं यह बात स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि हड़ताल असफल रही है। यह ठीक है कि दिखाई ऐसा ही देता है परन्तु वास्तविकता यह नहीं है। यह ठीक है कि उन्होंने महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की मांग की थी उस मांग की पूर्ति नहीं हुई और कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता नहीं मिल सका लेकिन कर्मचारियों ने इस हड़ताल के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि जब तक हड़ताल करने की धमकी न दी अथवा हड़ताल न करो तब तक कुछ मिलता नहीं। सन् १९४६-४७ से इसी प्रकार की धमकियों के आधार पर ही अब तक कुछ न कुछ लेते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है। सरकार का यह मानना कि यदि जीवन निर्वाह व्यय देशनांक बारह मास में दस अंक अथवा उससे ऊंचा उठेगा तो उस पर विचार किया जायेगा, हड़ताल के कारण ही सम्भव हुआ है। हड़ताल के बिना कुछ न मानने की सरकार की आदत सी हो गई है। और इस दिशा में कभी भी कुछ नहीं किया गया। अब की बार प्रधान मंत्री ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि इस हड़ताल ने मानो हमें झकझोर कर सचेत किया है। हड़ताल का एक यह भी लाभ हुआ है कि जिन लोगों का ध्यान इस समस्या की ओर कभी भी नहीं गया था, उनका ध्यान भी इस ओर आकृष्ट हुआ है। वे भी इस बारे में सोचने लगे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार ने जो बात ११ जुलाई के बाद स्वीकार की है ठीक उसी प्रकार का फार्मूला हड़ताल आरम्भ होने से पूर्व संयुक्त कार्य समिति द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सरकार ने उसे रद्द कर दिया था। अतः कर्मचारियों के सामने हड़ताल के अतिरिक्त और कोई दूसरा चारा न था। परन्तु अब गृह-कार्य मंत्री यह कह रहे हैं कि यदि जीवन निर्वाह व्यय देशनांक बारह महीनों में दस अंक अथवा उससे ऊंचा उठा तो इस पर अवश्य विचार किया जायेगा। एक के बाद दूसरी घोषणायें तीन चार रोज में ही हो गयीं। अच्छा होता यदि यह घोषणा हड़ताल से पूर्व हो जाती तो इसमें गौरव था, इसमें सरकार का सम्मान बढ़ जाता। मेरे विचार में तो यह सब हड़ताल का ही परिणाम है। देश के लोग स्वयं अपनी बुद्धि से निर्णय करेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के सम्बन्ध में ही नहीं, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस हड़ताल के बाद अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों पर विचार करने को तैयार हो गयी। और उसने राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में साढ़े पांच रुपये की वृद्धि की। मद्रास सरकार ने भी इसी दिशा में पग उठाया और अपने यहां वृद्धि की। अतः मेरा यह निश्चित मत है कि ये सब हड़ताल के ही चमत्कार हैं।

भविष्य में होने वाली कुछ बातें सुनने में आई हैं। प्रस्थापना है कि आगे से हड़ताल करना अवैध घोषित कर दिया जाये। मेरा निवेदन है कि यदि हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाया गया तो इसके साथ कई अन्य बातों पर भी प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा। वर्ना केवल एक पक्षीय प्रतिबन्ध से काम नहीं चलेगा। बढ़ते हुए मूल्यों, मुनाफाखोरी और सट्टेबाजी को भी रोकना पड़ेगा। यदि ऐसा न किया गया तो एक सौ प्रतिबन्ध भी हड़ताल को नहीं रोक सकेंगे। क्योंकि जब परिस्थितियां असाध्य हो जायेंगी तो इसके अतिरिक्त और मार्ग भी क्या रह जायेगा।

बाहरी लोगों के कर्मचारी संघ से सम्बन्ध रखने के बारे में मेरा निवेदन है कि अखिल भारतीय श्रम सम्मेलन में अखिल भारतीय कार्मिक संघ की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वे इस बात को स्वीकार करने को तैयार हैं कि इन संघों से बाहर व्यक्तियों को अलग कर दिया जाये परन्तु बाहर व्यक्तियों की परिभाषा में भूतपूर्व कर्मचारी नहीं आने चाहियें। किसी भी समय किसी व्यक्ति को नौकरी से पदच्युत करके कहा जा सकता है कि यह बाहर का व्यक्ति है और यह संघ के कार्य में

[श्री ब्रजराज सिंह]

भाग नहीं ले सकता । यह स्थिति हमें स्वीकार नहीं होगी । हम जानते हैं कि बाहरी व्यक्तियों को अलग करने का अभिप्राय: यह होगा कि कुछ लोगों को अपनी रोजी से हाथ धोना पड़ेगा लेकिन हमें इसकी कोई चिन्ता नहीं है ।

कहा गया है कि हड़तालो कर्मचारियों के प्रति उदार व्यवहार किया जायेगा । केवल उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही होगी जिनके विरुद्ध हिंसा अथवा तोड़ फोड़ के आरोप हैं । कल गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि तोड़ फोड़ के १३५ मामले तथा हिंसा के २०० मामले हैं । यदि यह परिस्थिति है तो सारे देश के हजारों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों की गई है ? वास्तविकताओं पर पर्दा डाल कर उदारता का नाम लेकर दमन किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि हड़ताल यदि अवैध भी हो तो भी केवल उसमें भाग लेने पर किसी को पदच्युत नहीं किया जा सकता । परन्तु गत तीन सप्ताह में हजारों लोगों का निलम्बन और उनको पदच्युत किया गया है । क्या देश की सरकार न्यायिक निर्णयों की इस प्रकार उपेक्षा करेगी ? इस प्रश्न का क्या उत्तर है ? क्या आप लोगों को केवल हड़ताल में भाग लेने के दोष के कारण ही सजायें देना आरम्भ कर देंगे ? क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे जिससे कर्मचारियों को अधिकारी वर्ग के कोप भाजन से बचाया जाये ? क्या इस दिशा में किसी अपीलीय प्राधिकार की व्यवस्था होगी ? अथवा अधिकारी वर्ग को मनमानी करने की अनुमति दे दी जायेगी ।

†**श्रीमती सुचेता कृपलानी** (नई दिल्ली) : मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हड़ताल के समय देश में नहीं थी । स्वतन्त्रता के बाद यह हड़ताल देश के लिये भारी संकट का रूप धारण कर सकती थी । मुझे इस बात का प्रसन्नता है कि यह सफल न हो सकी । असफलता के कई कारण थे, एक यह भी कि जनमत इसके पक्ष में नहीं था । सरकार का रुख भी काफी मजबूत था । इस परिस्थिति में सरकार के लिये कड़ा रुख अपनाना बड़ा आवश्यक था । मुझे इस बात की भी प्रसन्नता ह कि हड़ताल के नेताओं ने बिना शर्त हड़ताल वापस ले ली । इससे देश भारी गड़बड़ा से बच गया । इसमें तो दो मत नहीं हैं कि हड़ताल असामयिक थी । और इस हड़ताल से किसा को कोई भी लाभ नहीं था ।

हमारी सीमाओं पर जो परिस्थिति चल रही है उसके परिणामस्वरूप यह सारा वर्ष ही बहुत चिन्ता का वर्ष रहा है । इस पर भी हड़ताल में प्रजा समाजवादी दल ने सक्रिय भाग लिया, यह मेरे लिये आश्चर्य का बात है । कर्मचारियों को जनमत का अनुमान लगाये बिना हड़ताल नहीं करनी चाहिये थी यह भारी जिम्मेदारी की बात थी । हड़ताल कराने वाले मजदूर संघों को पहले अपनी शक्ति का अनुमान लगा लेना चाहिये तथा साथ ही यह भी अच्छी तरह देख लेना चाहिये कि क्या जनमत उनके साथ है, तभी लोगों को हड़ताल के लिये आगे बढ़ाना चाहिये । लोगों की सहानुभूति अपने साथ बनानी चाहिये । करोड़ों लोगों और देश के भविष्य का प्रश्न था । इतने महत्वपूर्ण मामले में भी शीघ्रता की गयी । न जनमत ही निर्माण किया गया और न कुछ और ही सोचा समझा गया । यह कोई मामूली औद्योगिक हड़ताल नहीं थी स्वतन्त्रता आन्दोलन के काल में गांधी जी भी बड़ी बड़ी हड़तालों के लिये देश को आह्वाहन करते रहे हैं, परन्तु वह उसे कार्यान्वित करने से पूर्व जनमत को अच्छी प्रकार तैयार कर लेते थे । जब वह देखते थे कि देश तैयार है तो ही हड़ताल का बिगुल बजाते थे । अत: मेरा यह स्पष्ट मत है कि किसी भी दृष्टि से यह समय हड़ताल के लिये उपयुक्त नहीं था । तथा नेताओं ने गलत सलाह दी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों ने इस हड़ताल में भाग नहीं लिया। अब तो सब यह मांग कर रहे हैं कि सरकार को हड़तालियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये। उनके विरुद्ध निलम्बन अथवा पदच्युत करने के आदेश वापिस लिये जाने चाहिय। इस बारे में मुझे हड़तालियों के परिवारों से भी कई पत्र प्राप्त हुये हैं। आप जानते ही हैं कि आजकल नौकरी प्राप्त करना कितना कठिन कार्य है। हड़ताल के दुष्परिणाम इन निर्धन कर्मचारियों को भोगने पड़ रहे हैं। इस हड़ताल से एक तो कर्मचारियों को भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, दूसरे सरकार ने मजदूर संघ पर कई एक पाबन्दियां लगाने का विचार भी कर लिया है। कुछ मजदूर संघों की मान्यता भी समाप्त करने का निश्चय सरकार ने कर लिया है। इससे कर्मचारियों के हितों को ही हानि पहुंची है। अतः मेरा मत है कि मजदूर संघ के किसी भी नेता को लोगों को पूरी तरह तैयार किये बिना हड़ताल की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिये। आज सरकारी कर्मचारियों में सर्वत्र निराशा का वातावरण दिखाई दे रहा है। एक दूसरे पर आरोप न लगा कर हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि कुछ न कुछ दोष दोनों ही पक्षों का था। अब तो दोनों पक्षों का कर्तव्य यही है कि शीघ्रातिशीघ्र सामान्य स्थिति पैदा की जाय। सरकार और कर्मचारियों के अच्छे सम्बन्ध निर्माण किये जाने चाहयें। साथ ही देश की सामूहिक स्थिति का ध्यान रखते हुए कर्मचारियों की उचित शिकायतें भी पूरी की जानी चाहियें।

मुझे प्रसन्नता है कि गृह-कार्य मंत्री ने कल अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार बदले की भावना से कुछ नहीं करेगी साथ ही उन्होंने कर्मचारियों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रगट की है। और वह इस परिस्थिति का निपटारा मानवीय दृष्टिकोण से करना चाहते हैं। प्रधान मंत्री ने भी आज इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। मेरी भी सरकार से यही अपील है कि इस अवसर पर उन्हें उदारता और बुद्धिमत्ता से ही काम लेना चाहिये। जिन लोगों के विरुद्ध निलम्बन अथवा पदच्युत किये जाने के आदेश हैं उन्हें काम पर आने की अनुमति मिल जानी चाहिये। विशेष तोड़ फोड़ अथवा अहिंसा के मामलों को छोड़ बाकी सबसे उदारता का ही व्यवहार होना चाहिये। मेरा निश्चित मत है कि इसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा। यदि नियम ५ का व्यापक प्रयोग हुआ तो खिचाव और असन्तोष की वृद्धि ही होगी कुछ भले की बात नहीं हो सकेगी। मैं सरकार से अपील करना चाहती हूं कि उसे कड़ा रुख न अपना कर सरकारी कर्मचारियों को यह कहने का अवसर देना चाहिये कि उनका दमन नहीं किया गया है।

मुझे एक आपत्ति यह भी है कि कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग प्रमुख को नहीं दिया जाना चाहिये। ऐसी बातें देखने और सुनने में आई हैं कि कई एक विभाग प्रमुख अपनी इस भारी जिम्मेदारी को निष्पक्ष ढंग से पूरी करने में असमर्थ रहे हैं। कई बार उन्होंने बदले की भावना से काम लिया है। इस बात को मैं स्वीकार करती हूं कि सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन होना चाहिये। परन्तु यह तो एक असाधारण परिस्थिति थी, ऐसी घटनायें रोज रोज तो होती नहीं। अतः सरकार को उदारता से ही काम लेना चाहिये। और इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि अब किसी प्रकार का कोई तनाव न रहे।

मैं तो नई दिल्ली के सरकारी कमचारियों की प्रतिनिधि हूं। मैं उनकी कठिनाइयों को बहुत अच्छी प्रकार समझती हूं। गृह-कार्य मंत्री तथा गृह-कार्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री श्री दातार ने बहुत बार कहा भी है कि मेरी ओर से सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सबसे अधिक अभ्यावेदन उनके पास जाते हैं। बात यह है कि मैं तो प्रतिदिन मिलती हूं। मुझे पता ह कि तीसरी और चौथी श्रेणी के

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

सरकारी कर्मचारियों के लिये जीवित रहना भी असम्भव हो रहा है। जो कुछ उन्हें प्राप्त होता है, उसमें साधारण जीवन की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होतीं। अतः उनकी यही मांग है कि उनको इतना वेतन दिया जाय जिससे कम से कम उनका और उनके परिवार का पेट तो भर सके। अतः महंगाई भत्ता आवश्यकतानुसार एवं जीवन निर्वाह व्यय के अंक के अनुसार होना चाहिये। मेरे विचार में यह मांग अनुचित नहीं कही जा सकती। यह सिद्धान्त वेतन आयोग ने भी स्वीकार कर लिया था। प्रथम वेतन आयोग का विचार था कि कीमतें एक स्थान पर आकर एक स्तर पर रुक जायेंगी। परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आज कर्मचारियों को १९४७ के स्तर पर ही वेतन मिल रहा है, हालांकि राष्ट्रीय आय भी काफी बढ़ चुकी है और जीवन व्यय का अंक भी काफी ऊपर जा चुका है। इस परिस्थिति में यदि सरकारी कर्मचारी अपने दुःख दर्द की आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहें और बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय में से कुछ मांगे तो उन्हें अपराधी तो नहीं कहा जा सकता। यह ठीक है कि सरकार को सारे देश के सामूहिक हित की दृष्टि से ही सारे निर्णय करने होते हैं। इस पर भी मैं अपील करना चाहती हूं कि कर्मचारियों को भी जहां तक सम्भव हो कुछ रियायतें दी जानी चाहियें। इसके बिना उनके लिये पूरी क्षमता और योग्यता से काम करना असम्भव हो जायेगा।

मेरे विचार में सरकार यह कभी नहीं चाहेगी कि कर्मचारियों में असन्तोष व्यापत रहे और वे पूरी योग्यता से काम न कर सकें। ऐसा वातावरण तो पैदा करना ही होगा कि ठीक से कार्य हो सके। आज प्रत्येक दिशा में मंहगाई काफी बढ़ गयी है पुराने जीवन निर्वाह व्यय के अंक-अनुसार चलना असम्भव हो गया है। आखिर सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों को शिक्षा तो देनी है लेकिन वे धन की कमी के कारण उचित शिक्षा भी नहीं दे पाते। सरकार के द्वारा उन्हें मकान भी नहीं दिये जाते जो कि उन्हें मिलने चाहियें। मुझे प्रसन्नता है कि अब एक दस सूत्रीय हल निकाला गया है। आशा करनी चाहिए कि इसके कार्यान्वित हो जाने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन अवश्य कुछ बढ़ जायेंगे। यह भी कुछ न कुछ तो है ही यद्यपि इससे सरकार के बजट में ४५ करोड़ का बोझ पड़ जायेगा। मैं सरकार से अपील करूंगी कि वे अन्य तरीकों से भी सरकारी कर्मचारियों की सहायता करे।

आज प्रधान मंत्री ने भी कुछ सुविधाओं की बात की है। वेतन आयोग ने तो कर्मचारियों के कल्याण के सम्बन्ध में एक अध्याय ही लिख दिया है। कर्मचारियों को सस्ते अनाज की दुकानों की सुविधा दी जानी चाहिये तथा उन्हें अपनी सहकारी संस्थाएं चलाने की अनुमति मिलनी चाहिये। बच्चों की सस्ते में शिक्षा और सस्ते मकानों की व्यवस्था भी की जानी चाहिये। उन सब बातों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। केवल ५ रुपये वेतन में बढ़ जाने से असन्तोष दूर नहीं हो जाता। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सरकारी कर्मचारियों के प्रशासन में भी कई प्रकार की अनियमिततायें चलती हैं। पदोन्नति इत्यादि में गड़बड़ और परिवार पोषण भी काफी असन्तोष पैदा करता है। पदाधिकारी और कर्मचारियों के आपसी सम्बन्ध भी अच्छे नहीं हैं। अगर सरकार चाहती है कि उसके तथा कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध अच्छे हों तो कर्मचारियों के असंतोष को शीघ्र ही दूर करना चाहिये। आशा है कि सरकार इन सभी बातों की ओर ध्यान देगी।

इस हड़ताल का एक दुष्परिणाम यह भी होने जा रहा है कि अब मजदूर संघों से हड़ताल करने का अधिकार छीन लिया जायेगा। मैं इस बात पर जोर दूंगी कि अगर इस अधिकार को छीना जा रहा है तो हमें शीघ्र ही ऐसी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बातचीत द्वारा

कर्मचारी अपनी शिकायतों को ठीक ढंग से पूरा करवा सकें। श्री मसानी ने सुझाव दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को तीन भागों में—अत्यावश्यक सेवा, असैनिक सेवा और औद्योगिक सेवा में बांटा जा सकता है। सरकारी क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या बढ़ जायेगी और बाद में चलकर सरकारी कर्मचारी होंगे। अतः कर्मचारियों का यह अधिकार छीनने से पूर्व हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिए।

[प्रधान महोदय पीठासीन हुए]

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा): हड़ताल के क्षेत्र और भविष्य में जो व्यवस्था हम करने जा रहे उसकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। इस हड़ताल के दौरान में कुछ बातें हुई हैं जिनके बारे में कुछ बातें तथा उनका शांत रूप में स्पष्टीकरण करना चाहता हूं क्योंकि उन बातों से मेरा भी सम्बन्ध था। श्रम के सम्बन्ध में मेरा अपना परिचय अच्छा है इसलिये उस सम्बन्ध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। जो कुछ मैं कहूंगा उससे उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उससे स्थिति विशेष की जानकारी ही होगी। मुझे डर है कि मेरे द्वारा स्थिति का स्पष्टीकरण करने तथा तथ्यों का निरूपण करने से कुछ लोग नाराज़ हो जायें। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे कुछ लोगों का समर्थन भी मिला हुआ है।

प्रश्न यह उठता है कि यह हड़ताल क्यों हुई? पहली बात तो यह कही गई है कि यह हड़ताल इसलिये हुई कि कर्मचारियों को समझौता करने के लिये कोई उपयुक्त अवसर नहीं दिया गया तथा बातचीत करने के लिये भी कोई मौका नहीं दिया गया। अतः ऐसी परिस्थिति में वे और क्या करते। उनकी शिकायतें थीं और उन शिकायतों को दूर करने का अवसर न मिलने पर उनके सामने हड़ताल करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। अगर वस्तुतः यह बात रही होती तो निश्चय ही एक श्रम नेता की हैसियत से मैं उनके इस कदम की प्रशंसा करता। लेकिन, मैंने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से, सरकार की ओर से बातचीत की, उनकी मांगों के बारे में पूछा उन पर विचार किया। ये बातें हड़ताल शुरू होने से कई दिन पूर्व की गई थीं। ये बातें व्यक्तियों से तथा वर्गों से हुई थीं।

मेरा विचार था कि ऐसा करने से व्यक्तिगत मांग तथा हड़ताल के प्रश्न पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। इन सब बातों पर सविस्तार चर्चा हुई और कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा गया। फिर उनके सामने मैंने अपनी बात भी रख दी। यहां कुछ बातें मेरे बारे में भी कही गई हैं। मैंने जो कुछ भी बातें वहां कहीं वे एक सरकारी प्रवक्ता के रूप में थी और मैं यह कह सकता हूं कि सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा लोगों की सहानुभूति मेरे साथ ही अधिक थीं। इससे स्पष्ट है कि कर्मचारियों का कार्य निंदनीय था। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि कर्मचारियों के साथ यदि कोई अत्याचार होता तो निश्चय ही मैं उसकी निन्दा करता और ऐसा करने में यह पद का लोभ मुझे नहीं रोक सकता था। अगर उनके साथ कुछ अन्याय हुआ होता तो मैं आज इस पद पर आसीन न होता। मैंने उन लोगों से काफ़ी गम्भीरता के साथ बातचीत की। मेरी बातचीत का आधार यह नहीं था कि मुझे यह काम सौंपा गया है अतः सरसरी तौर पर इसको निपटा दूं।

उनकी मांगों के बारे में मेरा दृष्टिकोण काफी व्यापक था। उनकी कुछ मांगें ऐसी थीं जो वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुकूल नहीं थीं। आयोग की सिफारिशों को दबाकर कोई काम

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

नहीं किया जा सकता। आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही उनकी मांगों को अधिक से अधिक मात्रा में मांगा जा सकता था और उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा सकती थीं। उनकी दो मांगों के बारे में मैंने उनसे यह बात कही। अन्य बातों के सम्बन्ध में मैंने उनसे यही कहा कि अधिक से अधिक किया जायेगा। वेतन आयोग की सिफारिशों का हनन इसलिये नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका दर्जा मध्यस्थ निर्णयन बोर्ड के समान है और हम उसे ऊंचा दर्जा देते हैं। हो सकता है कि उसकी सिफारिशों में बाद को कुछ संशोधन किये गये हों लेकिन वे बहुत अधिक नहीं थे। बातचीत के उन तीन दिनों के दौरान में समझौता करने की पूरी पूरी कोशिश की गई थी। मैंने उन्हें बताया कि वेतन आयोग ने जो कुछ देने के लिये कहा है वह दिया जायेगा। और हम आयोग के निर्णयों का सम्मान करते हैं। अतः कोई ऐसी चीज़ जो वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नहीं दी गई थी उसे भी ठीक कर दिया गया। अतः वह स्थिति भी ठीक हो गई।

एक प्रश्न मध्यस्थ निर्णयन के सिद्धान्त के बारे में था। इस सम्बन्ध में वेतन आयोग ने बहुत अच्छी सिफारिशें की थीं। कर्मचारियों ने हमसे पूछा कि हम इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि झगड़ा शुरू होने पर हम क्या करें। उन्हें कहा कि अगर हम चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी हड़ताल की धमकी न दें और सदैव शिकायतें न करते रहें तो यह आवश्यक है कि उन्हें इस बात का आश्वासन मिल जाये कि जब कभी उनकी शिकायतें होंगी तो उनको दूर किया जायेगा। अतः मैंने उनकी यह बात मान ली और उनसे कह दिया कि ऐसी स्थिति आने पर उनकी शिकायतों को दूर किया जायेगा और उनसे बातचीत की जायेगी। और हम में आपस में समझौता न होने पर यह मामला निष्पक्ष निपटारे के लिये भेजा जायेगा। अतः मध्यस्थ निर्णयन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया। इस समय के लिये ही नहीं बल्कि भविष्य में भी इस प्रयोजनार्थ एक संयुक्त व्यवस्था की स्थापना करने का निश्चय कर लिया गया। इस व्यवस्था की विस्तृत बातों के बारे में मैंने उनसे कह दिया कि आगामी छः महीने में हम एक सम्मेलन करेंगे और उसमें ये सब बातें निश्चित हो जायेंगी। जिन बातों की चर्चा वे अब कर रहे हैं उनके बारे में मैंने उन्हें उसी समय बता दिया था लेकिन फिर भी अगर यह बात उनकी समझ में नहीं आई तो मैं क्या सहायता कर सकता हूं। उस समय जो कुछ भी संभव था वह मैंने किया। फिर उन बातों के लिये यदि वे हड़ताल करते हैं तो इसमें कोई न्याय नहीं है।

उनकी दो मांगों के बारे में, उनकी गुणिता के अनुसार मैंने उनसे बातचीत की। आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम मजूरी के बारे में उनकी बड़ी गलत धारणा थी। अखिल भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के बारे में उनमें बड़ी भ्रांति थी। अतः इस बात की आवश्यकता थी कि उस भ्रान्ति को दूर किया जाये और स्थिति का स्पष्टीकरण किया जाये। अखिल भारतीय १५वें श्रम सम्मेलन में कोई नई बात नहीं कही गई थी। चूंकि यह सम्मेलन विशेष परिस्थितियों में हुआ था। कर्मचारियों में उत्पीड़न था, नियोजकों का कहना था कि कर्मचारियों में बहुत अनुशासन है और हिंसा तथा तोड़ फोड़ के मामले बढ़ रहे हैं। नियोजकों का कहना था कि किसी प्रकार स्थिति सामान्य रूप में आ जाये, न्यायाधिकरण स्थिति विशेष से पूर्णतः परिचित नहीं है अतः ऐसी स्थिति होने पर यह सम्मेलन बुलाया गया। और उस सम्मेलन में उद्योगों में अनुशासन, उनका वैज्ञानिकन, कर्मचारियों की शिक्षा, श्रम नीति आदि आदि बातों के बारे में उस सम्मेलन में विचार किया गया।

आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम मजूरी की बात कर्मचारियों, नियोजकों के प्रतिनिधियों ने सर्व सम्मति से मान ली थी। सम्बन्धित राज्य सरकारों के मंत्रियों, सचिवों, आदि ने भी इससे अपनी सहमति प्रकट की थी। उन्होंने इस बात को इसीलिये स्वीकार कर लिया कि ऐसा करने से उद्योगों में वैज्ञानिकन और अनुशासन ठीक हो रहा था। उद्योगों में अनुशासन कोई मामूली बात नहीं है। फिर कर्मचारी स्वयं इस बात को मान गये थे।

उस सम्मेलन की सभी बातें सर्वसम्मति से स्वीकार की गई थीं। कर्मचारियों ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि बिना नोटिस दिये हुए तालाबंदी या हड़ताल आदि कुछ नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अन्य और भी बहुत सी बातों को उन्होंने स्वीकार किया।

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आप यह कैसे कहते हैं कि नियोजकों ने भी इसे स्वीकार कर लिया था ? रेलवे और प्रतिरक्षा वालों ने इसे स्वीकार नहीं किया था। सरकारी क्षेत्र के किसी भी नियोजक ने इसे स्वीकार नहीं किया था ?

†श्री नन्दा : इस समय यह चर्चा का विषय नहीं है यह तो एक अलग ही बात है। नियोजकों ने इसे इसीलिये स्वीकार किया कि वे जानते थे कि स्वीकार करने से उन्हें लाभ होगा। यह बात कर्मचारियों और नियोजकों के बीच तै हुई थी। सम्मेलन की समितियों ने इस पर विचार किया और यह निश्चित किया। मैं तो नहीं समझता कि इस में कोई गलत बात की गई है। लेकिन मैं कहूंगा कि बाद में चल कर इस सिफारिश के बारे में कुछ भ्रान्ति उत्पन्न हुई। अगर इस सिफारिश को अच्छी तरह समझा गया होता तो इस के स्वीकार करने के बारे में किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये थी। उस सिफारिश का अभिप्राय यह था कि न्यूनतम मजूरी निर्धारित करते समय कर्मचारियों की मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर उन्हें आवश्यकतानुसार वेतन दिया जाये। इन आवश्यकताओं में खाना, कपड़ा, आवास, ईंधन आदि सभी बातों का ध्यान रखना चाहिये।

मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि कहां और किस प्रकार कोई भूल हो गई। इस सिफारिश की वास्तविक भावना एवं उद्देश्य के प्रति कोई भ्रान्ति हो गई है। डा० आकरायड ने तीन बातें सुझाई हैं—संतुलित भोजन, पर्याप्त भोजन और अच्छा भोजन। संतुलित भोजन के आधार पर न्यूनतम वेतन निश्चित नहीं किया जा सकता। अच्छे भोजन के आधार पर वेतन निश्चित किया जा सकता है और उस के लिये १०० रुपये या १०५ रुपये का वेतन ठीक है। मेरे विचार से तो ऐसा निर्धारित करने में कोई गलती नहीं है। जबकि कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों को इस से अधिक ही मिल रहा है। फिर वेतन और महंगाई भत्ते के अतिरिक्त उन्हें लाभांश भी प्रतिवर्ष मिलता है।

इस सम्बन्ध में सरकार ने केवल यही कहा कि मजूरी निर्धारण करने वाले पदाधिकारियों को इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिये। वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र में भी यही कहा कि इन की गुणिता के आधार पर इन के बारे में विचार करना चाहिये।

वेतन आयोग ने भी इन सभी बातों पर विचार किया। इस आयोग ने इस सिफारिश का विस्तृत विश्लेषण कर के, अपने दृष्टिकोण से इस पर विचार कर के इस के साथ न्याय किया और फिर न्यूनतम मजूरी के आंकड़े निर्धारित कर दिये जिन के बारे में कि आप सभी जानते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

कुछ मतभेद की बात हो सकती है । उन का कहना था कि वे इस से अधिक नहीं दे सकते । वेतन आयोग ने श्रम सम्मेलन की सिफारिश पर अच्छी तरह विचार तो किया लेकिन वह पूरी तरह उस सिफारिश को स्वीकार नहीं कर सका । यह बात दूसरी है कि हम ने उस पर विचार तो किया लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार ही उस ने अमल किया ।

भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों एवं स्तर के बारे में भी प्रश्न किया गया है । इस का दर्जा निश्चय ही परामर्शदात्री का है । जब नियोजक और कर्मचारी कोई समझौता करने बैठते हैं और सरकार समझौता करने के लिये सुविधा देती है तो निश्चय ही उस की स्थिति विशेष बन जाती है और उस में बल आ जाता है । स्थिति और समस्या का हल करने की भावना उन में आ जाती है ।

अब मैं वेतन आयोग के बाद स्थायी श्रम समिति की बात कहता हूं । इन सिफारिशों में स्वीकार की गई कुछ बातों के बारे में कुछ आपत्ति की गई है । हमें इन की जांच करनी चाहिये और हमें यह देखना चाहिये कि कर्मचारियों की न्यूनतम मांगें क्या हैं । यह एक वैज्ञानिक तथ्य है । स्थायी श्रम समिति ऐसा करने के लिये तैयार हो गई । मैंने उन से कहा कि यदि आप समझौते का अक्षरशः पालन करेंगे तो कभी भी आप भविष्य में समझौता कराने में समर्थ नहीं हो सकेंगे । यदि आप देखते हैं कि कोई चीज़ गलत है और अव्यवहार्य है तो आप उसे निभाने और सही तौर पर उस के निराकरण का प्रयत्न करें । उन्होंने ठीक ऐसा ही किया । और जहां तक कि यह मामला है सभी बातें ठीक हैं ।

अपने सहयोगियों और सदस्यों के प्रति विश्वस्त रहने के लिये उन्होंने मुझ से बातचीत की । उन्होंने इस की गुणिता को पहिचाना और न्यूनतम मजूरी की मांग पर बल नहीं दिया । उन्होंने समस्या के महत्व को पहचाना और कहा कि उचित समय आने पर लोग इस बात को समझेंगे ।

दूसरी बात महंगाई भत्ते के बारे में है । उस मांग के भी दो अंग हैं । वेतन आयोग ने इस बारे में दो पहलू रखे । एक तो यह कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन को जल्दी जल्दी नहीं छेड़ना चाहिये अर्थात् उन में जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं करना चाहिये । इसलिये उन्होंने कहा कि वेतन में स्थिरीकरण होना चाहिये । दूसरी बात महंगाई की घटते बढ़ते के साथ वेतन वृद्धि का सम्बन्ध स्वतः नहीं होना चाहिये । अर्थात् यदि देशनांक में १० अंकों की वृद्धि हो जाती है तो वेतन की वृद्धि तुरंत न कर के कुछ दिनों बाद की जानी चाहिये । तीन चार महीने का समय बीत जाये तभी ऐसा करना चाहिये । हो सकता है कि यह अवधि इस समय उन के विपरीत रहे लेकिन बाद में चल कर उन के लिये हितकर ही रहेगी । मान लीजिये कि देशनांक गिर जाता है तो इस अवधि से कर्मचारियों को लाभ ही होगा । इस बारे में वेतन आयोग ने अच्छी तरह विचार किया है । आखिर सरकार और उद्योगों में अन्तर है । कपड़ा उद्योग में अगर कपड़े का मूल्य बढ़ जाये तो मजदूरों की मजूरी भी बढ़ जाती है लेकिन सरकार के साथ यह नियम लागू नहीं होता ।

कपड़ा बोर्ड ने यह निश्चित कर दिया है कि आगामी पांच वर्षों में मजूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा । कहने का तात्पर्य यह है कि कपड़ा उद्योग का कर्मचारी आगामी पांच वर्षों में अपना वेतन बढ़ाने के लिये कुछ नहीं कह सकता । इस वृद्धि का सम्बन्ध वैज्ञानिकन की कुछ शर्तों के साथ गठित है। मूल्यों की वृद्धि की बात कही गई है । मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मूल्यों में कमी करने के लिये हम प्रयत्न करेंगे । कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि मुझ से बातचीत करने के लिये आये उन से मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इस सिद्धान्त की शर्तों की जहां तक बात है जैसे ही उनकी पूर्ति हो जायेगी सरकार

उनकी पूर्ति करेगी । साथ ही उन्हें मैंने यह भी आश्वासन दिया था कि सरकार ने कुछ दिया और यदि कर्मचारी उससे सन्तुष्ट नहीं हुए तो यह मामला अकेले सरकार के हाथ में नहीं रहेगा बल्कि निष्पक्ष निपटारे के लिये यह मामला भेज दिया जायेगा । मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि फिर हड़ताल की क्या बात रह गई थी । यह बात मैंने उनसे ३ जुलाई को ही स्पष्ट कर दी थी ।

मेरा विचार है कि श्री नौशीर भरूचा ने कहा है कि महंगाई के अनुसार वेतन वृद्धि का सिद्धान्त सरकार ने उद्योगों पर तो लागू कर दिया लेकिन अपने मामले में नहीं किया । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि हमने ऐसा नहीं किया । उद्योगों में भी यह सिद्धान्त समान रूप से चालू नहीं है । यह उद्योगों के एक छोटे वर्ग में ही लागू है । मजूरी बोर्ड ने भी केवल यही कहा था कि अगर कर्मचारी यह दावा करना चाहते हैं कि उनके वेतन निष्प्रभावित नहीं किये गये हैं तो वे मध्यस्थता के लिये जा सकते हैं । यही बात मैंने भी उनसे कही थी । गैर सरकारी उद्योगों में भी यही बात लागू है इससे और अधिक कुछ नहीं है ।

कर्मचारियों ने इस बात को समझा तो अवश्य लेकिन वे अपनी बात पर अड़े रहे । उन का कहना था कि इस सिद्धान्त में कुछ परिवर्तन होना चाहिये । इस में परिवर्तन करना मेरे लिये मामूली बात नहीं थी क्योंकि हम और भी गम्भीर मामलों को तै करना चाहते थे और फिर इस में परिवर्तन करने का अभिप्राय तो वेतन आयोग की सिफारिशों को पूर्णत: स्वीकार न करना अर्थात् उन से अलग हटना था । उन्हें इस बात को समझना चाहिये था, वह उस समय संभव नहीं था ।

इन के अतिरिक्त हम ने अन्य बातों की भी चर्चा की । मैंने उन से कहा कि आप लोग व्यर्थ ही में विरोध कर रहे हैं । मैं यह जानता था कि क्या होने वाला है । माननीय सदस्य जो बात आज कह रहे हैं वह बात मैंने उन लोगों से ३ जुलाई को ही कह दी थी । मैं भी श्रम वर्ग का आदमी हूं और इस वर्ग की स्थिति को अच्छी तरह जानता हूं । मैं मानता हूं कि यह राजनैतिक हड़ताल नहीं थी लेकिन इस की भावना भी ठीक नहीं थी फिर इस के परिणामों की बात कौन कहे । मैंने उन को स्पष्ट रूप से बता दिया कि कोई भी सरकार इस प्रकार की बात सहन नहीं कर सकती और जितने भी साधन उन के पास हैं उन के आधार पर सरकार इस प्रकार की बातों को दबाने का यथासंभव प्रयत्न करेगी । मैंने उन को यह भी बता दिया कि उन की इस कार्यवाही से ऐसा करने से बहुत भारी हानि होगी, कर्मचारी एवं सरकारी कर्मचारी जनता की निगाह में आ जायेंगे और जनता की सहानुभूति उन के साथ न रहेगी तथा जनता और उन के बीच में खाई उत्पन्न हो जायेगी । और इस की प्रतिक्रिया सरकारी कर्मचारियों पर भीषण होगी । लेकिन उन के साथ कुछ ऐसे लोग थे जिन्हों ने यह बात नहीं मानी और हड़ताल के मामले को आगे बढ़ाया । मुझे इस से दुख हुआ । श्री नाथ पाई ने अपनी बात कही अपनी भ्रान्तियां प्रकट कीं । इस बात में देश की इतनी शक्ति, उत्साह और भावनाओं आदि का ह्रास हुआ यह देख कर मुझे बड़ा दुख हुआ । इस का दूसरा ही उपयोग हो सकता था । इस को दूसरे प्रयोजन में लगाया जा सकता था । इसे रचनात्मक कार्यों में लगाया जा सकता था ।

हमारे सामने अब यह प्रश्न आता है कि भविष्य में क्या होगा । हम हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कह रहे हैं । हड़तालों पर 'प्रतिबन्ध' नामक शब्द यहां असंगत है । हम यह प्रयत्न करने जा रहे हैं कि भविष्य में ऐसी स्थिति ही न आये कि हड़ताल की नौबत आये । चाहे तो हम अब भी हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं । औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार जब मामला न्याय-निर्णयन के लिये भेज दिया जाता है तो हड़ताल अवैध हो जाती है । अत: अवैधता कोई नई बात

[श्री नन्दा]

नहीं है। यह पूछा गया है कि हमने इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया सीधी सी बात है, न्याय-निर्णयन के लिये यह मामला पहले ही भेजा जा चुका था अतः फिर से इसे भेजने का प्रश्न नहीं उठता। फिर किस प्रकार हम औद्योगिक विवाद अधिनियम को लागू कर सकते थे। मेरा विचार था कि हमें वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना है अतः इसी आधार पर हमने कार्य किया। हो सकता है कि माननीय सदस्य दूसरा ही रुख अपनायें। कर्मचारी वर्ग आज न्याय निर्णयन की अपेक्षा मध्यस्थ निर्णयन के लिये अधिक उत्सुक है।

बातचीत करने के लिये जो सदस्य आये उनसे मैंने कहा कि मैं इस न्याय निर्णयन की विधि को इस मामले से हटाये लिये लेता हूं जिसके अनुसार कर्मचारियों को काम पर रहने के लिये बाध्य रहना पड़ेगा—क्या वे इसके लिये तैयार हैं। सभी लोगों ने इस बात को अस्वीकार कर दिया, वे न्यायनिर्णयन चाहते थे। इस प्रकार की नई विधि के अन्तर्गत एक साधारण कर्मचारी को उतने लाभ नहीं हैं जितने की सरकारी कर्मचारी को हैं। एक साधारण कर्मचारी को हम हड़ताल करने से रोक सकते हैं। उसे न्यायनिर्णयन का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस मामले में हमने सदैव ही न्यायनिर्णयन की व्यवस्था की है। सरकारी कर्मचारियों में इस बात की अनिश्चितता थी कि हम कभी भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं और न्याय करने का अधिकार ले सकते हैं। इस मामले में हम कह सकते हैं कि आपको सदैव ही न्याय पाने का अधिकार है। सरकारी कर्मचारियों की स्थिति इस मामले में साधारण कर्मचारियों की अपेक्षा सदैव ही अच्छी है जिन्हें कभी तो हड़ताल करने की आज्ञा मिल सकती है और कभी नहीं। इस मामले में हमने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी है जिसका पालन हम सभी परिस्थितियों में कर सकते हैं। यही बात हम क्रियान्वित करने की सोच रहे हैं। जोर इस बात पर नहीं है कि हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगे बल्कि इस बात को महत्व दिया जा रहा है कि ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे कि झगड़ों का समाधान आपसी स्तर पर हो सके। अगर फिर भी कुछ बात रह जाती है तो उनका निपटारा न्यायनिर्णयन, मध्यस्थ निर्णयन अथवा अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा किया जा सकता है। यह व्यवस्था हमारे वर्तमान विधान की व्यवस्थाओं की अपेक्षा और भी अधिक अच्छी है। इसे आप घातक अथवा किसी अन्य रूप में न समझें।

जहां तक बाहरी व्यक्तियों की बात है मैं इसे कोई विशेष महत्व नहीं देता। हमने इस हड़ताल से एक पाठ अवश्य सीखा है। फिर भी इस बारे में मैं दो बातों का उल्लेख कर देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि वहां पूरे समय काम करने वाले कर्मचारी हों जो अपना पूरा समय दे सकें। यह नहीं होना चाहिये कि एक व्यक्ति ही कई कई संघों में काम करता हो। यह तो कर्मचारियों के साथ अन्याय है। इस प्रकार वह व्यक्ति कर्मचारियों के हितों की पूरी देखभाल नहीं कर सकता। दूसरी बात राजनीति की है। आंशिक समय में काम करने वाले व्यक्ति अपने राजनैतिक दृष्टि-कोणों को लेकर ही कार्य करते हैं। मैं किसी वर्ग विशेष को लेकर यह बात नहीं कह रहा हूं। सभी वर्गों के साथ यह बात लागू है। मेरा विचार है कि उनको अपने राजनैतिक दृष्टिकोणों को भूल जाना चाहिये और सारा समय कर्मचारियों की भलाई के लिये ही लगाना चाहिये। वे चुनावों की बात सोच रहे हैं और अपने मजदूर संघों को उसके लिये उपयोग में ला रहे हैं। प्रश्न बाहरी व्यक्तियों का नहीं है। बात तो यह है कि किस प्रकार इन कर्मचारियों को इन खतरों से बचाया जाये।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि चाहे पहले कुछ भी स्थिति क्यों न रही हो लेकिन जब प्रतिनिधियों ने मुझ से बातचीत की तो उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं रह गई थी कि हड़ताल की जाये। वे हड़ताल को आसानी से रोक सकते थे और उन्हें रोकनी भी चाहिये थी। अतः हड़ताल करना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं था। भविष्य में जो भी कार्यवाही करने की बात हम सोच रहे हैं वह निश्चय ही देश के श्रमिक वर्ग तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिये लाभदायक एवं श्रेयस्कर होगी।

†**श्री फ्रैंक एंथनी** (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय) : मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को बहुत ध्यान से सुना है। उनमें परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं। तथापि मेरा यह मत है कि कोई भी देश क्यों न हो, वहां के कार्मिक संघ राजनीति से अवश्य प्रभावित रहते हैं। यहां तक कि इंटक भी सरकार की नीतियों की हामी भरती है। जहां तक हड़ताल का संबंध है मेरे विचार से सरकार भी इस मामले में निर्दोष नहीं है। सरकार ने ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देनी चाहिये थी जिससे कि लोगों को हड़ताल करने का बहाना मिले।

सरकार एक ओर जनता को मितव्ययता का सबक पढ़ाती रही और अधिक उत्पादन व बचत करने का राग अलापती रही, वहीं दूसरी ओर सरकारी व्यय में निरन्तर वृद्धि होती रही और अधिकांश राशि भृष्टाचार व फिजूलखर्ची में व्यय होती रही। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी।

निसन्देह कुछ मुद्रास्फिति का होना आवश्यक है क्योंकि आयोजन के संबंध में बहुत बड़े पैमाने पर व्यय किया जा रहा है, तथापि मंहगाई इतनी मात्रा में नहीं बढ़ती रहनी चाहिये जिस मात्रा में आजकल बढ़ती जा रही है।

श्रम मंत्री ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि इस संबंध में सरकार का रवैया न्यायोचित है। तथापि सच्चाई यह है कि सरकार गैर-सरकारी नियोजकों से तो यह कहती है कि वे न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित मजूरी अपने कर्मचारियों को दें, लेकिन जब सरकार के कर्मचारी स्वयं इस मांग को करते हैं तो सरकार अपनी असमर्थता बताती है। यह बात अनुचित है। जहां तक वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रश्न है सरकार ने कुछ सिफारिशें स्वयं अपने मन से अस्वीकार कर दी हैं जब कि दूसरी सिफारिशों के लिये यह कहा जाता है कि वे वेतन आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह सब निर्णय एक पक्षीय होता है।

मैं व्यक्तिगत रूप से श्री नाथपाई का बहुत आदर करता हूं, यदि उन्होंने मुझ से राय ली होती तो शायद मैंने उन्हें हड़ताल करने से रोका होता। कर्मचारियों और सरकार के मध्य हुई वार्ताओं से मैंने पता लगाया कि उनकी मुख्य मांगें दो हैं। पहिली यह कि आवश्यकताओं पर आधारित न्यूनतम मजूरी १२५ रुपये उन्हें दी जाय और दूसरी यह है कि मंहगाई भत्ते का संबंध जीवन निर्वाह देशनांक से जोड़ा जाये और मंहगाई भत्ते में उसी अनुपात से वृद्धि की जाय। तथापि धीरे धीरे वे यहां तक तैयार हो गये थे कि पहिली मांग के अधीन ९० रुपये भी स्वीकार कर लेंगे। अन्ततोगत्वा वे केवल दूसरी मांग पर आये वह यह थी कि मंहगाई भत्ते में जीवन निर्वाह देशनांक के अनुसार वृद्धि होनी चाहिये। मैं पहिले वेतन आयोग का सदस्य था। पहिले वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि जीवन निर्वाह देशनांक में २० अंशों की वृद्धि होने पर उसे मंहगाई भत्ते में शामिल कर दिया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रैंक एंथनी]

जाय जब कि दूसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की है कि जीवन निर्वाह देशनांक में १० अंशों की वृद्धि होने पर उसे मंहगाई भत्ते में मिला दिया जाय। सरकार ने इस सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया। ७ जुलाई को प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि सरकार वेतन आयोग की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लेगी। अतः केवल उक्त मांग को छोड़ कर हड़ताल करने के कोई कारण नहीं थे। अतः संयुक्त कार्यवाही समिति के सदस्यों को इस पर गम्भीरता से सोच कर कदम उठाना चाहिये था। तथापि ऐसा नहीं किया गया। सबसे अधिक सरकारी कर्मचारी रेलवे में हैं और रेलवे में कार्मिक संघों का बड़ा बुरा हाल है। कई संघ जिनकी सदस्यता २०,००० से ३०,००० तक है उनका न कहीं कार्यालय है न कहीं कोष है, सारे कार्मिक संघ एक दिखावा मात्र हैं। यह जानते हुये भी सरकार के साथ शक्ति की परीक्षा करना उचित नहीं था। तथापि ऐसा किया गया।

साम्यवादियों ने इस हड़ताल में जो रुख अपनाया वह बहुत निन्दनीय और शोचनीय था। उन्होंने जब देखा कि इसका नेतृत्व प्रजा समाजवादी पार्टी के हाथों में है तो उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन नहीं किया। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी सोचा कि कई कारणों से जनता इस समय उनके प्रतिकूल है। इसलिये हिंसात्मक और ध्वंसात्मक कार्यवाहियों द्वारा इस आंदोलन का समर्थन करने में बहुत खतरा है और संभव है कि वे जनता, जो उनसे पहिले से ही चिढ़ी हुई है, के कोप भाजन हो जायें। इसी कारण इस हड़ताल में हिंसात्मक वारदातें तथा ऐसी कार्यवाहियों कम हुईं।

अब मैं एक दूसरे पहलू पर आता हूं। सरकार के अधिकांश ज्येष्ठ अधिकारी, भले ही उनकी नियत कितनी साफ हो, दूरदर्शिता से नितांत वंचित हैं। परिणाम यह होता है इसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ता है। ये लोग इस मौके पर निर्दोष कर्मचारियों से बदला लेने या, दुश्मनी निकालने का प्रयत्न करेंगे, अतः सरकार को विभागीय अधिकारियों तक को इस संबंध में पूरा अधिकार नहीं देना चाहिये। निसन्देह जिन्होंने हिंसा करने, ध्वंसात्मक कार्यवाहियां करने और कर्मचारियों को उकसाने में हिस्सा लिया उनको कठोर दंड दिया जाना चाहिये।

श्रम मंत्री ने हड़तालों को रोकने के संबंध में कहा है। तथापि जहां कार्मिक संघ होंगे वहां हड़तालें भी होंगी। कार्मिक संघों का तात्पर्य सामूहिक सौदेबाजी से है। यदि यह बात सौदेबाजी से हो जाती है तो ठीक है अन्यथा हमें उसके लिये लड़ना पड़ता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार तभी किसी चीज को स्वीकार करती है जब उसके लिये संघर्ष किया जाय। जब तक हिंसात्मक तरीके नहीं अपनाये जाते या शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जाता तब तक सरकार भी उपेक्षा करती रहती है फल यह होता है कि लोगों को हड़ताल का तरीका अख्तयार करना पड़ता है। तथापि आप हड़ताल पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। ब्रिटेन में भी ऐसा नहीं है। वहां बहुत थोड़े सरकारी कर्मचारियों को छोड़ कर सभी सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार है वहां हड़ताल करने पर प्रतिरोध तभी लगाया जाता है जब कि उससे देश की जनता पर घातक प्रभाव पड़े या वह जानबूझ कर सरकार को पंगु करने के लिये की गई हो। इसीलिये में इस अध्यादेश का समर्थन करता हूं क्योंकि यह एक प्रकार की सामान्य हड़ताल थी भले ही इसका प्रयोजन सरकार को पंगु करने का हो या न हो। अतः हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने का यह आशय है कि कार्मिक संघ आन्दोलन का गला घुट

जायगा। इसका क्या नतीजा होगा, विशेषत: जब कि देश में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की वृद्धि हो रही है, और सरकार देश की सबसे बड़ी नियोजक है तो क्या उन उद्योगों में असंभव स्थितियों के रहते हुये भी कर्मचारियों को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अत: हड़तालों पर प्रतिबंध लगाना और कार्मिक संघों को अमान्य करार देना अनुचित है। इन कार्मिक संघों को अमान्य करार देने का यह परिणाम होगा कि सरकारी समर्थन प्राप्त संघों में सदस्यों की खूब वृद्धि होगी। मैंने इस संबंध में एक लेख लिखा है जिसमें मैं ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि १९५० से देश में व्यक्तिगत अधिकार छिनते चले जा रहे हैं। हमारे बुनियादी अधिकारों पर यहां तक आघात हो चुका है कि यदि बुनियादी अधिकारों से संबंधित परिच्छेद ही संविधान से हटा लिया जाय तो भी हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब रहा सहा संघ बनाने और संस्थाओं के संगठन करने का भी अधिकार ले लिया जा रहा है। यह एक उपहासप्रद बात होगी कि आप उन्हें संघ बनाने का अधिकार तो दें लेकिन उन्हें हड़ताल करने का अधिकार न दें। मेरे सम्प्रदाय के व्यक्तियों ने इस हड़ताल में जो हिस्सा लिया उस पर मुझे गर्व है, लेकिन आप इसके बदले में मुझे क्या दे रहे हैं, आप क्या उनकी स्वामिभक्ति का उन्हें यह पुरस्कार देना चाहते हैं कि उनसे संघ बनाने और कुछ कहने का भी अधिकार छीन लिया जाय यह अनुचित है।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के भाषणों का रुख देख कर मुझे बहुत दुख हुआ है। प्रधान मंत्री ने यह आरोप लगाया है कि प्रत्येक सामान्य हड़ताल एक राजनैतिक हड़ताल होती है। यह गलत है। वस्तुत: इस सभा ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार दिया है, तब यह आरोप लगाना कि प्रत्येक हड़ताल के पीछे राजनैतिक चाल होती है गलत है। इस हड़ताल के दौरान केवल उस अधिकार का उपयोग किया गया था जो कि उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त है।

गृह मंत्री ने अपने भाषण के दौरान यह पूछा है क्या मैं उन समस्यायों को नहीं जानता जिनका कि देश आज कल सामना कर रहा है, और क्या सरकार चुपचाप बैठी यह तमाशा देखती रहती जब कि अनिवार्य सेवाओं में हड़ताल हो जाती और समस्त देश में अराजकता फैल जाती। यह ठीक है तथापि क्या सभा उस समय यह बात नहीं जानती थी जिस समय यह अधिनियम पारित किया गया था लेकिन इतना सब होते हुए भी यह अधिनियम पारित किया गया क्योंकि सभा श्रमिकों को इस बहुमूल्य अधिकार से वंचित नहीं करना चाहती थी। अत: श्रमिकों ने अपने इसी अधिकार का उपयोग किया है। अब गृह मंत्री यह नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने कोई अनुचित कार्यवाही की है। गृह मंत्री ने यह कहा है कि हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया जायेगा लेकिन उन्हों ने यह नहीं बताया है कि उसके स्थान में कौन सा तरीका अपनाया जायगा। श्रमिकों से हड़ताल करने का अधिकार छीन लेना उन्हें गुलामों की श्रेणी में बिठा देने के समान है। प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि हम हड़तालों के स्थान में कोई दूसरी पद्धति की खोज करेंगे लेकिन यह पद्धति क्या है उसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। निसंदेह श्रमिक भी वार्ताओं, पंचायती फैसलों द्वारा विवादों का निर्णय चाहते हैं, तथापि सरकार ने यह

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

आश्वासन नहीं दिया कि यदि वार्त्ता के द्वारा फैसला नहीं हो पायगा तो यह झगड़ा स्वयंमेव किसी मध्यस्थ को सौंप दिया जायेगा और उसका निर्णय सभी को मान्य होगा। जब तक इस प्रकार का स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया जाय तब तक हड़तालों पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है।

गृह मंत्री ने जीवन निर्वाह के देशनांकों में वृद्धि होने पर कुछ रियायतों की घोषणा की है उसके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यदि जीवन निर्वाह देशनांकों में १० अंश की वृद्धि होगी तो क्या उसका आधा सरकार वहन कर लेगी और आधे के लिये यह प्रश्न किसी समिति या संस्था को सौंप दिया जायेगा और सरकार उसके निर्णयों को स्वीकार कर लेगी। मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री मुझे इस संबंध में स्पष्ट आश्वासन देंगे।

यदि सरकार हड़ताल पर प्रतिबंध लगाना चाहती है या उनको व्यर्थ सिद्ध करना चाहती है तो सरकार को चाहिये कि वह एक ऐसा विधेयक पारित करें कि श्रमिकों को अपने विवाद एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण तक ले जाने का अधिकार हो और उसके निर्णय दोनों पक्षों को मान्य हों।

इस विवाद के फलस्वरूप सरकार कुछ रियायतें करने को तैयार हुई है। मेरे विचार से सरकार हड़तालियों के प्रति अपना रवैया नरम करेगी। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित विधान बनाने के पूर्व गम्भीरता से विचार कर लिया जाये।

मैं आशा करता हूं कि ऐसे सभी सदस्य जो श्रमिकों के हितों के प्रति जागरूक हैं और जो यह समझते हैं कि इस हड़ताल में भाग लेकर श्रमिकों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकारों के उपयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, मेरे संकल्प का समर्थन करेंगे।

†श्री गो० ब० पन्त : मैं समझता हूं कि इस समय उन सब बातों का उत्तर देना संभव नहीं है जो उस चर्चा के दौरान पिछले दो दिनों में कही गई हैं। मैं ने कल जो वक्तव्य दिया था वह आज भी उतना ही महत्व रखता है, उस पर कोई आंच नहीं आ सकी है। दो एक छोटे मोटे प्रश्न उठाए गए हैं परन्तु उन से मूलभूत प्रश्नों पर कोई असर नहीं पड़ता है।

यह कहा गया है कि सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को पंचाट के रूप में स्वीकार किया है अथवा किसी अन्य आधार पर ? मैं यह बता देना चाहता हूं कि सरकार ने आवश्यकता के आधार पर वेतन और उसे मूल्य सूचनांक के अनुरूप बनाने के प्रश्नों को आधारभूत माना है जिनमें कोई हेर फेर नहीं किया जा सकता। यदि उन्हें छेड़ा जाएगा तो समस्त भवन गिर पड़ेगा। इसलिए इन प्रश्नों के सम्बन्ध में हम पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं समझता हूं कि हड़ताल के नेताओं ने भी यह स्वीकार किया था कि जहां तक १५वें त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन में पारित किए गए संकल्प के आधार पर न्यूनतम मांग का सम्बन्ध है वह बहुत उचित नहीं है और उसे छोड़ ही दिया गया था । दूसरी के सम्बन्ध में कोई हल निकालने का प्रयत्न किया गया था । परन्तु इस मामले में कुछ जिद्दीपन व्यक्त किया गया । श्री नन्दा ने स्थिति का जो स्पष्टीकरण किया है उससे यह मालूम हो गया होगा कि सरकार ने हड़ताल को रोकने का प्रत्येक प्रयत्न किया था और उसकी जिम्मेदारी सरकार पर किसी भी तरह नहीं है । बड़े खेद की बात है कि जिन लोगों को इस सम्बन्ध में निर्णय करना था उन्होंने हड़ताल करना आवश्यक समझा ।

वेतन को मूल्य सूचनांक के अनुसार रखने के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया । इस प्रकार की एक सिफारिश प्रथम वेतन आयोग ने की थी जिसे सरकार ने स्वीकार भी कर लिया था । परन्तु वह व्यवहार्य नहीं है । चूंकि सरकार उसे क्रियान्वित नहीं कर सकी इसलिए उसे छोड़ देना पड़ा । यह केवल हमारा ही अनुभव नहीं है वरन् संसार के किसी भी देश में मूल्य सूचनांक को वेतन से मिलाने के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया है । इसलिए प्रथम वेतन आयोग की सिफारिश के बावजूद भी सरकार उसे स्वीकार नहीं कर सकी । वेतन आयोग ने इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया है । उसने डा० एकराड द्वारा प्रस्तुत सुझावों तथा उससे सम्बन्धित अन्य मामलों पर विचार किया है और खूब अच्छी तरह विचार कर के ही यह निष्कष निकाला है कि वह व्यवहार्य नहीं है । ऐसी स्थिति में सरकार से उस गलती की पुनरावृत्ति की आशा कैसे की जा सकती थी जो उसने १९४७ या १९४८ में की थी और जिसका सुधार बाद में करना पड़ा था ।

फिर यह कहा गया कि १९४७ से अब तक २२ अंकों की वृद्धि हुई है । परन्तु इस बीच में तदर्थ वृद्धियां भी की जा चुकी हैं । एक बार दस रुपए दिए गए थे और दूसरी बार ५ रुपए । इस प्रकार १५ रुपए न्यूनतम वेतन में बढ़ाए जा चुके हैं । अब फिर वेतन आयोग ने कुछ वृद्धि की सिफारिश की है और यह स्वीकार किया जाता है कि उससे १९४७ से अब तक हुई मूल्य वृद्धि का निराकरण हो जाएगा ।

यह कहा जाता है कि हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है । मैं कल इस मामले के सम्बन्ध में काफी विस्तारपूर्वक बता चुका हूं । मैं उन समस्त तर्कों की पुनरावृत्ति तो नहीं करना चाहता परन्तु इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आय में से विनियोजन भी तो करने पड़ते हैं । आज हम अपने देश के सुनियोजित विकास में लगे हुए हैं जिसकी पहले कोई कल्पना ही नहीं की गई थी । श्री मसानी चाहते हैं कि सुनियोजित विकास के तरीके को छोड़ कर समस्त संसाधन उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में लगा दिए जायें और कम से कम सरकारी उद्योग क्षेत्र में कोई भी भारी उद्योग न स्थापित किया जाय । उन्होंने जो रास्ता बताया उससे अधिक हानिकर चीज और कोई नहीं हो सकती । इसलिए ऐसी परिस्थितियों में सरकार ने जो कुछ भी किया है वह सर्वोत्तम है । यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि बारह महीनों में मूल्यों में दस प्रतिशत वृद्धि होने पर सरकार उसकी आधी पूर्ति स्वयं कर देगी । इसलिए मैं समझता हूं अब इस सम्बन्ध में श्री भरूचा को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए ।

[श्री गो० ब० पन्त]

जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, देश को ऐसी भयंकर स्थिति में डालने के लिए बड़ा खराब समय चुना गया । इस प्रकार की कार्यवाही को कभी भी ठीक नहीं माना जा सकता है । सरकार ने हड़ताल रोकने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु जो लोग हड़ताल कराने पर तुले हुए थे उनके कारण सफलता नहीं मिल सकी । श्री अजित प्रसाद जैन ने हिन्द मजदूर सभा के पत्र से कुछ अंश पढ़ कर सुनाए थे जिनमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसी शर्तें रखी जानी चाहिए जिन्हें सरकार स्वीकार न कर सकती हो ताकि हड़ताल आवश्यक हो जाय ।

मुझे श्री अशोक मेहता के कल के इस तर्क पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन ५ लाख कर्मचारियों ने हड़ताल के सम्बन्ध में लिए गए मतदान में भाग लिया था उनमें से केवल ३ लाख ने उसके पक्ष में मत दिए थे । इसलिए वह सामान्य हड़ताल नहीं थी वरन् जिन लो ने उसके पक्ष में मत दिया था उन्हीं को हड़ताल करनी थी । यह विचित्र तर्क है । वास्तव में संयुक्त संघर्ष समिति के १० जुलाई के संकल्प में तो यह कहा गया था कि समिति को पूर्ण विश्वास है कि ११ जुलाई की अर्धरात्रि को समस्त कर्मचारी हड़ताल कर देंगे । ऐसी सामान्य हड़ताल के परिणाम की कल्पना सहज ही की जा सकती है । मैं कल उसके बारे में बता चुका हूं इसलिए उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता । जैसा कि प्रधान मंत्री ने आज अपने भाषण में कहा था सामान्य हड़ताल का परिणाम हर हालत में समाज के लिए अहितकर होगा ।

श्री भरूचा ने कहा कि हड़ताल का अधिकार हमारे कानून में दिया गया है । मुझे तो अभी तक ऐसा कोई भी कानून नहीं दिखाई दिया है । फिर श्री फ्रैंक एन्थनी ने कहा कि हड़ताल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है ।

†श्री फ्रैंक एन्थनी : जी, नहीं ।

†श्री गो० ब० पन्त : यदि माननीय सदस्य यह स्वीकार करते हैं तो फिर यह आवश्यक है कि विवादों को संतोषजनक रूप से हल किया जाय और कर्मचारियों तथा नियोजकों का किसी प्रकार का नुकसान न हो । जब यह कहा जाता है कि हड़तालों को निषिद्ध कर देना चाहिए तो उसके साथ ही परामर्श, बातचीत, समझौते और मध्यस्थ निर्णय के लिए निर्देश का यंत्र भी स्थापित करना होगा । यह गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा वरन् सरकारी कर्मचारियों और रेलवे, डाकघरों और संभवतः प्रतिरक्षा संस्थापनों पर भी लागू होगा । परन्तु इसके सम्बन्ध में भली प्रकार विचार करना होगा और जब विधेयक तैयार हो जाएगा तो उसे सभा के सामने पेश किया जाएगा ।

मैं समझता हूं कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए । यदि कोई शिकायतें या कठिनाइयां हैं तो उनकी सुनवाई की व्यवस्था होनी चाहिए । जहां तक मूल विषयों का सम्बन्ध है मेरा विचार है कि सभा में दो मत नहीं हो सकते हैं । सरकार और उसके कर्मचारियों के सम्बन्धों को ठीक बनाए रखने के लिए इससे अच्छा दूसरा तरीका नहीं हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह भी कहा गया कि सरकार इन संगठनों की मान्यता वापस क्यों ले रही हैं और ऐसा करना संघ के अधिकार में हस्तक्षेप करना है । मैं यह बता देना चाहता हूं कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है कि औद्योगिक संस्थानों अथवा रेलवे और डाक के कर्मचारी संघ न बना सकें परन्तु उनके नियम भिन्न होंगे । इन संगठनों की मान्यता खत्म करनी ही होगी क्योंकि उन्होंने बड़ा खराब कदम उठाया है जिससे देश में बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो सकती थी ।

श्री पीटर अल्वारिस ने एक पत्र में कहा है कि ऐसी व्यापक हड़ताल पहले कभी नहीं हुई थी । मैं समझता हूं कि हड़ताल से संबंधित व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य किसी को भी इस हड़ताल, हड़ताल करने वालों अथवा उनके सलाहकारों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता परन्तु मैं आशा करता हूं कि यह बात सभी लोग स्वीकार करेंगे कि इस प्रकार के तरीकों का परिणाम हानिकारक ही हो सकता है। हम सबको यह शपथ लेनी चाहिए कि आगे से सामान्य हड़ताल न की जाय व इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जिससे देश की शक्ति बढ़े और हम उन्नति कर सकें ।

एक बात यह भी कही गई कि आम हड़ताल का आह्वान करते समय उसके संगठकों ने आसाम, त्रिपुरा और मनीपुर को छोड़ दिया था । मैं नहीं समझता कि इससे क्या लाभ हो सकता था । जब रेलें बन्द हो जायें तो उन भागों को सामान कैसे भेजा जा सकता है ? संभवतः इसके पीछे देश भक्ति की भावना रही होगी। मुझे खेद है कि चीनी समाचार पत्रों ने उन भावनाओं का सम्मान नहीं किया । इससे अधिक मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

मैं आशा करता हूं कि श्री भरूचा के संकल्प को ठुकरा दिया जायेगा । हड़ताल से सम्बन्धित लोगों को छोड़कर अन्य सभी लोग यह स्वीकार करते हैं कि इस हड़ताल को न होने देने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए थी । इसलिए यह कदम सर्वथा आवश्यक और अपरिहार्य था । मैं आशा करता हूं कि मेरे प्रस्ताव को श्री जगन्नाथ राव के संशोधन संख्या ६ सहित सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं पहले श्री भरूचा के संकल्प पर मतदान लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया । सभा में मतविभाजन हुआ, पक्ष में ३८ विपक्ष में २५८ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १, २, ३, ४, ७, ८ और ९ पर मतदान लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री कासलीवाल के स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ५ को लूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कासलीवाल (कोटा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना स्थानापन्न प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति देने के पक्ष में हैं ?

†माननीय सदस्य : जी, हां ।

स्थानापन्न प्रस्ताव सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जगन्नाथ राव के स्थानापन्न प्रस्ताव पर मतदान लूंगा । प्रश्न यह है :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"यह सभा केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों की हाल की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति और इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर विचार करने के बाद भारत सरकार की उक्त कार्यवाही तथा तत्सम्बन्धी नीति का अनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, १० अगस्त, १९६० / १९ श्रावण, १८८२ (शक) को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, ९ अगस्त, १९६०

---

१८ श्रावण, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		७७९—८०३
तारांकित प्रश्न संख्या		
२३९	लंका की नौसेना की गश्ती टुकड़ी	७७९—८१
२४०	दिल्ली के स्कूलों के लिये टेलीविजन सेट	७८२—८४
२४१	तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास	७८४—८५
२४२	चीनी मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन	७८६—८७
२४३	पंजाब के होजरी कारखाने	७८७—८९
२४४	दलाई लामा से पत्रकारों की भेंट	७८९—९०
२४५	रंगों और रसायनों का निर्माण	७९०—९१
२४८	पूर्वी अफ्रीका को नकली रेशम का निर्यात	७९१—९२
२५०	पाकिस्तान में भारतीय सीमेन्ट के कारखाने	७९३—९४
२५१	त्रिशूल के लिये युगोस्लाविया का अभियान	७९४—९५
२५२	अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोग सम्बन्धी समिति	७९५—९७
२५३	भारत सरकार का प्रचार	७९७—९९
२५४	श्रम नीति निर्धारण	७९९—८०१
२७१	तीर्थयात्रियों की कैलाश और मानसरोवर यात्रा	८०१—०२
२५५	दक्षिण भारत में सरकारी मुद्रणालय	८०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		८०४—३६
तारांकित प्रश्न संख्या		
२४६	भारत–पाकिस्तान सीमा	८०४
२४७	चेरापूंजी कोयला खान	८०४
२४९	कलकत्ते के गोदी श्रमिकों के लिये मकान	८०४
२५६	भारतीय छात्र के लिये स्वीडन की छात्रवृत्ति	८०५

792 (Ai) LSD—8.

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

२५७ सिन्दरी का उर्वरक कारखाना ८०५
२५८ भारतीय कलाकारों को पाकिस्तान का वीसा देने से इन्कार . ८०६
२५९ रबड़ बागान उद्योग ८०६
२६१ सरकारी विज्ञापन ८०६
२६२ स्वीडन में नारियल जटा की वस्तुओं के लिये बाजारों का सर्वेक्षण . ८०७
२६३ हेवी इलैक्ट्रिकल्स फैक्टरी लि०, भोपाल . . ८०७
२६४ बेरूत में भारतीय व्यापार केन्द्र ८०७
२६५ बिजली के मीटरों का निर्माण ८०८
२६६ ठेकेदारों द्वारा रखे गये श्रमिक . . . ८०८
२६७ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को अधिक भुगतान ८०८–०९
२६८ बिजली का भारी सामान बनाने वाले कारखाने ८०९
२६९ ब्रिटेन को तम्बाकू का निर्यात . ८१०
२७० भारत–पाकिस्तान वीसा नियम . ८१०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४३७ सफेद कागज का उत्पादन . . . ८११
४३८ महाराष्ट्र में विस्थापित व्यक्तियों के लिये औद्योगिक यूनिट ८११
४३९ बिहार में मध्य आय-वर्ग आवास योजना . . ८१२
४४० फाउन्टेन पेनों का निर्यात . . . ८१२–१३
४४१ भारत–भूटान व्यापार . ८१३
४४२ अस्कू का निर्माण . . . ८१३
४४३ क्रीओसोट का निर्माण . . ८१४
४४४ इमारती लकड़ी का आयात . . . ८१४–१५
४४५ उर्वरक संयंत्रों सम्बन्धी प्रलेखीय चित्र . . . ८१५
४४६ बढ़ता हुआ मूल्य स्तर . . . ८१५
४४७ श्रीलंका से भारतीयों का आप्रव्रजन . . . ८१६
४४८ बड़ौदा में आगफा पेपर इन्डस्ट्री . . . ८१६
४४९ सेवानगर, दिल्ली में गंदगी के बहाव में रुकावट . . ८१६
४५० जम्मू तथा काश्मीर में रेशम का उत्पादन . . . ८१७–१८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
४५१	रूस के लिए भारतीय कपड़ा . . .	८१८
४५२	टेलीविजन सेटों का निर्माण . . .	८१८
४५३	हिमाचल प्रदेश में लकड़ी के गूदे का उद्योग .	८१९
४५४	कलकत्ता के गोदी श्रमिक	८१९
४५५	मद्रास में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का मुख्यालय .	८१९
४५६	श्रमिक शिक्षा योजना . .	८२०
४५७	जूतों का निर्यात .	८२०
४५८	ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही	८२०
४५९	अशोक होटल और हाउसिंग फैक्टरी में सतर्कता पदाधिकारी .	८२१
४६०	मोम्बासा में भारतीय व्यापार आयुक्त को होटल की सुविधायें देने से इन्कार	८२१
४६१	फरीदाबाद के विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली	८२१–२२
४६२	बिना बिका हुआ हथकरघे का कपड़ा . .	८२२
४६३	उड़ीसा में हथकरघा बुनकर सहकारी संस्थायें . . .	८२२
४६४	धातु की कलात्मक वस्तुओं का निर्यात .	८२२
४६५	दिल्ली में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास . .	८२३
४६६	कल्याणी सहकारी खिलौना समिति . . .	८२३
४६७	शिमला रेडियो स्टेशन से प्रसारण	८२३
४६८	हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योगों का प्रशिक्षण . . .	८२३–२४
४६९	कर्मचारी भविष्य निधि योजना . . .	८२४
४७०	उत्तर प्रदेश में वक्फ सम्पत्ति . .	८२४
४७१	रबड़ बोर्ड द्वारा उपकर की वसूली . .	८२५
४७२	सहकारी काफी हाउस	८२५–२६
४७३	सुरिनाम (डच गायना) से प्रतिनिधि मंडल . .	८२६–२७
४७४	भूमि सुधार	८२७
४७५	चीन द्वारा खरीदे गये टाट के बोरे तथा गांठें . .	८२७–२८
४७६	अखबारी कागज के कारखाने	८२८
४७७	तीमारपुर (दिल्ली) में सरकारी क्वार्टर . . .	८२८–२९
४७८	आन्ध्र प्रदेश में खादी का उत्पादन . . .	८२९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४७९	शिमला में सरकारी प्रेस	८२९
४८०	महाराष्ट्र में यूरेनियम	८२९–३०
४८१	कोयला खान मजदूरों की अनुपस्थिति	८३०
४८२	उड़ीसा में भूमि सुधारों के लिए सहायता	८३०
४८३	दिल्ली में बाजार	८३०–३१
४८४	पंजाब में कुटीर उद्योग	८३१
४८५	पंजाब में अम्बर चर्खा	८३२
४८६	पंजाब में खादी का उत्पादन	८३२
४८७	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	८३२–३३
४८८	राज्य व्यापार निगम द्वारा भारतीय डाक टिकटों की बिक्री	८३३
४८९	गोदी कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी उपायों का प्रशिक्षण	८३३
४९०	केरल में उद्योगों की स्थापना	८३३–३४
४९१	निर्यात व्यापार में वृद्धि	८३४
४९२	सोवियत रूस से व्यापार प्रतिनिधि मंडल	८३४
४९३	पंजाब में भारत सेवक समाज	८३४–३५
४९४	दिल्ली में मोटर गाड़ियों का संभरण	८३५–३६
४९५	जाली पारपत्र	८३६
४९६	चीन जाने वाले भारतीय यात्री	८३६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ८३६–३९, ८४१–४२

(१) श्री पुन्नूस ने पलाई सैंट्रल बैंक के बन्द होने की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाया।

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

(२) श्री अरविन्द घोषाल ने १ अगस्त, १९६० को पश्चिम बंगाल में रानी गंज की छपुई खास कोयला खान में हुए विस्फोट की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाया।

श्रम और रोजगार मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

(१) "सामुदायिक विकास तथा उससे सम्बद्ध कुछ क्षेत्रों के बारे में सातवें मूल्यांकन प्रतिवेदन (खंड १ तथा २)" की एक प्रति।

सभा पटल पर रखे गए पत्र--क्रमशः विषय पृष्ठ

(२) दिनांक १४ मई, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५४२ की एक प्रति, जिसमें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान निदेशालय के श्रेणी १ तथा २ के पदों की भर्ती का विनियमन करने वाले नियम दिये गये हैं, जो संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक के अन्तर्गत बनाये गये थे ।

(३) खादी मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(४) कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के २८ अप्रैल, १९६० को नई दिल्ली में हुए सातवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति ।

(५) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १९५७-५८ के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की जाने वाली कार्यवाही के विवरण की एक प्रति ।

(६) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० जुलाई, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १८३६ की एक प्रति ।

वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे) के बारे में विवरण ... ८४१

श्री जगजीवन राम ने वर्ष १९६०-६१ के लिये आयव्ययक (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुदान की अनुपूरक मांग बताने वाला एक विवरण उपस्थापित किया ।

संविहित संकल्प--अस्वीकृत . . . ८४२-८१

अत्यावश्यक सेवायें निर्वहन अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही । चर्चा के बाद लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ; पक्ष में ३७ और विपक्ष में २५ । संकल्प तद-नुसार अस्वीकृत हुआ ।

केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में प्रस्ताव--स्वीकृत ... ८८१-८२

केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में प्रस्ताव पर तथा संविहित संकल्प (इससे पहले की प्रविष्टि देखिये) पर साथ साथ चर्चा समाप्त हुई । श्री जगन्नाथ राव का स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और अन्य स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

बुधवार, १० अगस्त, १९६०/१९ श्रावण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि--

कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा उसका पारित किया जाना और अणुशक्ति विभाग के प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा ।

GIPND--LSIII--792(Ai)LSD JC: No—12218—50-61-9-9-60—135.